राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३७वां दिवस [संख्या २५

गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, सिंचाई, पंचायत, स्वास्थ्य, राजस्थान केनाल, श्रम, आयुर्वेद एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जयपुर शहर के पद-पथों पर स्थित थड़ियों को हटवाना

७४८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस समय जयपुर शहर में पद-पथों (फुट पाथ्स) पर कितनी थड़ियां लगी हुई हैं ? इनमें से कितनी अधिकृत हैं और कितनी अनधिकृत ?

(२) इन थड़ियों से कुल कितना किराया आता है ?

(३) क्या सरकार की इन थड़ियों को हटाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? उक्त योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

(४) क्या यह सच है कि इन थड़ियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) कुल १२१५ थड़ियां हैं। उनमें से एक भी अधिकृत नहीं है।

(२) करीब १ लाख रुपया वार्षिक वसूल होता है।

(३) जी हां। जल्दी से जल्दी हटाई जावेंगी।

(४) जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : जो संख्या बताई गई है इस संख्या में शहर के चार दीवारी की तमाम थड़ियां हैं या जयपुर नगरपालिका के क्षेत्र की सभी थड़ियां हैं ?

श्री भीखाभाई : इसमें कुल थड़ियां शामिल हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इन थड़ियों की पिछली गणना कब हुई थी जिससे मालूम पड़े कि कुल संख्या इतनी है और यह गणना किसके द्वारा कराई ?

श्री भीखाभाई : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता। म्युनिसिपैलिटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर बता रहा हूं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि म्युनिसिपैलिटी समय समय पर इन थड़ियों की गणना कराती रहती है और यह देखती रहती है कि थड़ियों की संख्या में वृद्धि तो नहीं होती ?

श्री भीखाभाई : गणना तो करती ही है; नहीं तो यह कैसे बता सकते थे ?

डॉ० चन्द्रकला : इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि गणना करती रहती है तो दिन-ब-दिन इनकी संख्या बढ़ती रहती है। आप कहते हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, तो यह गणना कब हुई कि जिसके आधार पर आप यह कहते हैं कि यह संख्या नहीं बढ़ रही है ?

श्री अध्यक्ष : नई के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं और जो हैं उनको हटा रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : गणना नही होती इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में तो आपने पूछा है कि कितनी थड़ियां हैं, उसका मैंने जवाब दे दिया। थड़ियां अब कम की जा रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने यह पूछा है कि कितनी थड़ियां अधिकृत हैं और कितनी अनधिकृत ?—तो जब तक आप गणना नहीं करेंगे तब तक यह कैसे मालूम होगा ?

श्री भीखाभाई : गणना भी हुई है, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं। मैंने कहा कि ७०६ थड़ियां तो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की हैं और ५०६ थड़ियां दूसरों की हैं। जिस समय से उन्होंने ऑक्युपाई किया उस समय से रेग्युलर किराया का पेमेन्ट कर रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जब कि म्युनिसिपैलिटी उनसे रेन्ट ले लेगी तो इसका मतलब है कि उनको अधिकार दे दिया वहां पर रहने का ?

श्री भीखाभाई : यह तो नहीं है, दर असल में उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि उनका अलॉटमेन्ट थोड़े ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

नारायण मीणा, ग्राम अयाना, तहसील इटावा के हुई चोरी में पकड़े गये श्री सीताराम पटेल से रिश्वत की मांग का मामला

७४६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दिनांक १७–६–५६ को नारायण मीणा, ग्राम अयाना, तहसील इटावा (कोटा) ने थाना

Page No.3

(श्री रानारायण वर्मा)

अयाना में रिपोर्ट की कि उसके घर १,०६१) रु० की चोरी हो गई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि सब इन्स· पेक्टर श्री बाबूलाल, थाना अयाना ने दिनांक १६-६-५८ को उक्त चोरी के सिलसिले में श्री सीताराम पटेल, अयाना को पकड़ा ?

(ग) क्या यह भी सही है कि थानेदार ने सीताराम पटेल से २,०००) रु० रिश्वत मांगी और जब तक वह तैयार नहीं हुआ तब तक उसकी बुरी तरह पिटाई की गई ?

(घ) क्या रिश्वत के रुपयों की व्यवस्था के लिए श्री सीताराम को सुल्तान सिपाही के साथ उसके ससुराल ग्राम हथोली, तहसील पीपल्दा भेजा ?

(ङ) क्या सीताराम के साले, रामगोपाल ने सेठ रघुनाथ, इटावा वाले से १,६००) रु० दिलाये ?

(च) क्या यह भी सही है कि १००) रु० सेठ जगन्नाथ अयानी एवं ३००) रु० की घर से व्यवस्था कर थानेदार को २,०००) रु० रिश्वत दिये ?

(छ) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत एडीश्नल एस० पी० के समक्ष प्रस्तुत की गई और उनके द्वारा पूर्ण जांच का आश्वासन दिया गया ?

(ज) यदि हां, तो यह शिकायत कब प्रस्तुत की गई तथा जांच का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा ही आरोप लगाया गया है।

(घ) जी हां, प्रारम्भिक जांच से ऐसा ही पाया गया है।

(ङ) जी हां। प्रारम्भिक जांच से ऐसा ही पाया गया है।

(च) जी हां, परन्तु इस प्रकार एकत्रित २,००० रुपयों में से १,६०० रुपये थानेदार को दिये गये और १०० रुपये एक वकील को।

(छ) जी हां।

(ज) शिकायत ६–१०–५६ को की गई थी और प्रारम्भिक जांच से अब आरोप सही प्रतीत हुए तो डी० आई० जी० पुलिस रेंज से निवेदन किया गया है कि थानेदार के विरुद्ध आरोप लगायें और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

तहसील सिरोही में पोसीदरा (Posidara) लघु सिंचाई योजना का निर्माण

७५०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) :

Page No.4

(श्री मोहब्बतसिंह)

Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

Whether the Minor Irrigation Scheme of Posidara in Sirohi Tehsil is proposed to be taken in hand for construction in the financial year 1960-61 ? If not, why ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): इस योजना का अभी तक इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। इसे १९६०-६१ में प्रारम्भ करने की कोशिश की जायेगी बशर्ते योजना को टैक्नीकली साउन्ड पाया गया।

श्री मोहब्बतसिंह : यह सर्वे कब शुरू हुआ था और इसमें ऐसे सर्वे कराने में कितना समय लगता है ? क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि इस सर्वे कराने में बहुत समय लगा ?

श्री अध्यक्ष : पेचीदा सर्वे होगा।

श्री दौलतराम सारण: यह तारीख तो नहीं मालूम लेकिन सर्वे अप्रेल के आखिरी तक समाप्त हो जायेगा, ऐसी सूचना है।

श्री किशनाराम : इस तारीख के लिए कितनी बार कहते हैं कि मालूम नहीं, तो मिनिस्टर लोग क्या बैठे बैठे मक्खी मारते है....

श्री अध्यक्ष : आपने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किये हैं। यह बात संसदीय तरीके से भी कह सकते थे।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग में हुई नियुक्तियां

७५१. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सार्वजनिक सम्पर्क विभाग, राजस्थान में सन् ५८-५९ व ५९-६० में किन किन को एल० डी० सी०, यू० डी० सी० अथवा चपरासी के पद पर कब कब से नियुक्त किया गया है ?

(ख) क्या इन नियुक्तियों से पहिले इन पदों का एडवर्टाइज़मेन्ट कराया जाकर प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) जिनको नियुक्त किया गया है उनकी एप्लीकेशन्स कब कब आई तथा उनके पास एम्पलॉयमैन्ट एक्सचेन्ज के इंटव्यू कार्ड थे या नहीं ? नहीं होने की स्थिति में ये नियुक्तियां किस प्रकार से की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् ५८-५९ व ५९-६० में नियुक्त एल० डी० सी० व चपरासियों की सूची संलग्न है (परिशिष्टि अ तथा ब)। इस अवधि में यू० डी० सी० के पदों पर कोई सीधी नियुक्ति नये व्यक्ति की नहीं की गई।

(ख) ऐसी नियुक्तियों के बारे में सदा खुला एडवर्टाइज़मेन्ट निकाल कर नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है। इसकी जगह एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की सहायता से नियुक्तियां की जा सकती हैं। कुछ मामलों को छोड़ कर जिनकी सूचना परिशिष्टों में उपलब्ध है, शेष सभी मामलों में आवश्य-

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

कताओं की पूर्ति करके ही नियुक्तियां की गई थीं। सीधी नियुक्तियां विशेष परिस्थितियों में की गई थीं।

(ग) सूचना संलग्न परिशिष्टों में दी गई है। कार्ड नहीं होने की स्थिति में नियुक्तियां इसलिए की गई थीं कि काम जल्दी का था और यह सम्भव नहीं था कि एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये भर्ती की जा सके।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

श्री भैरोंसिंह: यह जो सूचना आपने दी है उसमें डेट्स ऑफ एप्लीकेशन्स नहीं दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : एप्लीकेशन्स एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में देते हैं। यहां तो एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से कार्ड लाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके डिपार्टमेन्ट में डेट एप्लीकेशन की नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से कार्ड आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वहां से कार्ड आये होंगे लेकिन जिनको नियुक्त किया उनकी एप्लीकेशन्स किस किस तारीख को आईं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाइरेक्टर को अपॉइन्ट करने का अधिकार है। लेकिन अपॉइन्ट करने का प्रोसिजर यह है कि एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जवालों को लिखा जाता है कि इतने एल० डी० सी० या यू० डी०सी० चाहिये। इस पर वे कार्ड इश्यु करते हैं और जिन लोगों के पास कार्ड होता है उनका इन्टव्यू करके नियुक्ति कर ली जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि डिपार्टमेन्ट की रिक्वीज़ीशन पर एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज ने कार्ड भेजे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्ट लिख देता है तभी कार्ड भेज देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं इनमें क्या डिपार्टमेन्ट की रिक्वीजिशन पर एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज ने कार्ड भेजे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें जिनके आगे नोट दिया गया है उनको छोड़ कर बाकी के लिये रिक्वीज़िशन पर कार्ड भेजे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि डाइरेक्टर को अपॉइन्मेन्ट करने के पॉवर्स है लेकिन जब तक एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज वाले कार्ड नहीं भेजते तब तक वे किसी भी हालत में अपॉइन्टमेन्ट नहीं कर सकते ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि तीन केसेज़ में स्पेशल रीज़न्स दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो उनकी पॉवर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : महीने दो महीने के लिये टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट कर सकते हैं और इनमें भी लिख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय

श्री भैरोंसिंह)

कि शिड्यूल ऑफ पॉवर्स हैं उनके अनुसार अपॉइन्टमेन्ट्स हुई हैं और कार्ड के बिना भी टेम्पोरेरी बेसिस पर अपॉइन्टमेन्ट कर सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : नाम आने चाहिये एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से। टेम्पोरेरी केसेज़ में वैसे भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : टेम्पोरेरी केसेज़ में भी वैसे ही अपॉइन्टमेन्ट्स कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल ऑफ पॉवर्स में तो यह बात होती है कि अमुक पोस्ट पर अमुक अपॉइन्टमेन्ट हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आदेश जारी करती है कि इस तरह से अपॉइन्टमेंट करो ....

श्री भैरोंसिंह : यही मैं पूछ रहा हूं कि आदेश के अनुसार एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से इन्टव्यू कार्ड आये बिना भी नियुक्ति कर सकते है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने बताया कि अमरजेन्सी में कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कर सकते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्च्युअल पोज़ीशन मैंने आपको बता दी और लिस्ट दे दी।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से ऐसे आदेश हैं कि बिना एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज के इन्टव्यू कार्ड के अपॉइन्टमेंट नहीं कर सकते और तनख्वाह भी नहीं मिलती है जब तक इन्टरव्यू कार्ड के बेसिस पर अपॉइन्टमेंट नहीं की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी यही पूछना चाहता था। तनख्वाह का क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेज पर आता है।

श्री रामकिशो व्यास : जिनका अपॉइन्टमेंट एमर्जेन्सी बेसिस पर किया गया उनके बारे में भी लिख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जनरल सर्क्यूलर निकाला है कि एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज के इन्टव्यू कार्ड के बिना टेम्पोरेरी बेसिस या परमानेन्ट बेसिस पर अपॉइन्टमेंट नहीं की जा सकती ? ये ऑर्डर्स और सर्क्यूलर्स इस विभाग पर भी लागू होते हैं, फिर बिना इन्टव्यू कार्ड के नियुक्ति कैसे कर दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जबाब दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपका जबाब साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जबाब साफ है, कार्ड्स नहीं मंगाये गये और अपॉइन्टमेन्ट्स कर दी गई। वे यह भी कहते हैं, जनरल सर्क्यूलर्स इस प्रकार के हैं कि एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से कार्ड मंगाये जायं और फिर नियुक्ति की जाय।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा समझा जाना चाहिये आपके कहने के अनुसार कि उन्होंने जो नियुक्तियां कीं वे आदेशानुसार नहीं कीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप कुछ भी समझें, फैक्ट्स मैंने बता दिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसी भी एप्लीकेशन्स हैं कि जो नियुक्ति करने के बाद आई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास: मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एमर्जेन्सी व्यक्ति की दृष्टि से थी या पोस्ट की दृष्टि से ?

श्री अध्यक्ष : कुछ कुछ दोनों ही दृष्टियों से।

नगरपालिका सूरजगढ़ के चेयरमैन व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

७५२. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सही है कि नगरपालिका सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं की ओर से किसी भी प्रकार का रोशनी का प्रबन्ध नहीं है, जब कि पहले सदा से रोशनी का प्रबन्ध था ?

(२) क्या यह सही है कि नगर से टैक्स वसूल करके चेयरमैन अपने तथा-कथित साथियों और निजी व्यक्तियों का पोषण कर रहे हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि चेयरमैन नगरपालिका के फन्ड से कुछ गुन्डों का पालन कर रहे हैं जो आये दिन नगर के प्रतिष्ठित व सज्जन व्यक्तियों की शान बिगाड़ते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिका के चेयरमैन व अन्य पालिका के चपरासियों पर ३०७ का केस चल रहा है ?

(५) क्या सरकार इस प्रकार के चेयरमैन व कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने का विचार रखती है

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि सूरजगढ़ की भूतपूर्व नगरपालिका रोशनी का प्रबन्ध करती थी और यह नहीं करती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दे दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर 'जी हां' यानि पहले होता था लेकिन अब रोशनी का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि नगरपालिका की आमदनी कम है और दूसरे खर्चे डे टू डे बढ़ गये हैं इसलिये यह रोशनी का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है। अब आदेश हो गये है कि जीवन मंडी शामिल करली जाय, इसका उत्तर कल दे चुका हूं।

श्री लच्छूराम : मंडी पहले भी शामिल नहीं थी और अब भी नहीं है लेकिन पहले रोशनी होती थी। इसमें पूछा गया है कि इस आमदनी से गुंडों को पाला गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आमदनी रोशनी आदि

(श्री लच्छूराम)

पर खर्च नहीं करते हैं तो जरूर गुंडों को पाला जाता है।

श्री भीखाभाई : पहले ६७ लेन्टर्न्स थीं लेकिन नगरपालिका की कुल आमदनी ४०० रु० होती हैं। जो स्टाफ आॅक्ट्रॉय, वगैरह के लिये रखा है उनके लिये भी पूरा नहीं पड़ता है, इसलिये मंडी साथ में दे दी है इससे आमदनी ठीक हो जायगी।

श्री लच्छूराम : पहले कैसे लगती थीं ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला ऐसा है कि रोशनी कहां हो, कहां नहीं हो, इसका ताल्लुक म्युनिसिपैलिटी के इन्टर्नल मामले से है। इसके बारे में आप यह पूछें मिनिस्टर साहब से कि इतने लेन्टर्न क्यों हटाये, तो यह उचित नहीं है। आखिर स्वायत्त शासन भी कोई चीज़ है। इसमें गवर्नमेन्ट तभी हस्तक्षेप करती है जब कि मिसमेनेजमेन्ट हो।

श्री जनादनराय नागर (मावली) : इस पर भी १५ रु० खर्च हो गये।

श्री अध्यक्ष : इसमें दो रोशनी लग जातीं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह(श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्रीजी स्वयं दें। चाहे इसका उत्तर न भी दिया जाय तो भी मैं सब्र करूंगा। नये मंत्रीजी से यह आशा नहीं है कि वे पूरा उत्तर दे सकेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, यह नहीं होना चाहिये। इसके बजाय तो इसे पोस्टपोन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी उत्तर दे देंगे।

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : रात दिन जो उत्तर मिलता है वही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : इनको आज देख लीजिये, फिर भी अगर संतोष नहीं मिले तो आयन्दा और देखना।

ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर, तहसील बैराठ के लेखक श्री चिरंजीलाल गुप्ता

७४३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर, तहसील बैराठ में लेखक के पद पर श्री चिरंजीलाल गुप्ता कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और किस वेतन पर ?

(ख) क्या यह सही है कि उनके पिता श्री जगन्नाथप्रसाद गुप्ता बिलान्दरपुर पंचायत के पंच हैं ?

(ग) क्या उपरोक्त स्थिति में श्री चिरंजीलाल गुप्ता की नियुक्ति नियम विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि पंचायत

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग के निरीक्षक ने भी जांच करने के बाद इस लेखक को हटाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो आदेश पालन न होने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) सही है। ४० रु० माहवार वेतन पर दिनांक १. ६. ५६ से काम कर रहे हैं और दिनांक १. ४. ५९ से ५०) रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। अब नहीं हैं।

(ख) जिस समय चिरंजीलाल गुप्ता नियुक्त हुआ उस समय उसका पिता जगन्नाथ-प्रसाद गुप्ता पंच था। लेकिन अनियमितता का पता लगते ही गत मास में श्री जगन्नाथ-प्रसाद गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया।

(ग) यह सही है कि जांच की गई थी। मगर रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षक को पंचायत को लेखक हटाने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस लेखक ने कितने महीने तक कार्य किया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शायद आपने जवाब सुना नहीं। वे १. ६. ५६ से काम कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो कोई व्यक्ति पंचायत का पंच हो तो उसका लड़का लेखक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां, नहीं कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लेखक की नियुक्ति पंचायत विभाग की इजाज़त से की जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंचायत उसकी नियुक्ति कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका एप्रूवल पंचायत विभाग से लिया जाता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां, लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा समझा जाय कि इस लेखक के संबंध में कोई एप्रूवल लिया गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब स्थायी नियुक्ति की जाती है तो आदेश पंचायत विभाग से लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार किस प्रकार से कहती है कि इसकी नियुक्ति स्थायी नहीं हुई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको अस्थायी मानते हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : ५६ से ५९ तक काम करता रहा तो किस आधार पर सरकार इसको अस्थायी रूप में मानती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे तो ७, ७ साल तक लोग अस्थायी रूप में चलते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, उत्तर के अन्दर एक नाम से बुलाया

Page No.10

(श्री जनार्दनराय नागर)

गया है, मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। हिन्दी भाषा की प्रगति में एक नाम अपमान-जनक मानते हैं। और का जो प्रयोग किया गया है वह अंग्रेजी का अनुवाद है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबंध की सूचना पंचायत विभाग को मिल गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंचायत विभाग से अभी तक निरीक्षक की रिपोर्ट नहीं आई है ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं, नहीं; उनको सूचना मिल गई है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किस बात की ?

श्री भैरोंसिंह : इस बात की कि एक पंच का लड़का एक लेखक के रूप में उस पंचायत में काम कर रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस बात की सूचना अब मिल गई है। आपके सवाल पूछने पर जब पूछा गया तो सूचना दी है और उसके बाद में इस्तिफा दे दिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, एक नाम से बोलने की प्रथा, पंच को एक नाम से सम्बोधित करना थोड़ा मैं समझता हूं वह भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार के खिलाफ बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जो वेतन उठाया गया है यानि उनकी नियुक्ति हुई है उस समय से जितना रुपया उठाया गया है वह रुपया वापिस वसूल करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जगन्नाथप्रसाद ने अस्तिफा कब दिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सवाल के उत्तर में मैंने बताया कि पिछले महीने में दिया है।

पी० एस० आई० व एस० एच० ओ० के पदों हेतु योग्यताएं एवं वेतन

७५४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पी. एस. आई. की पोस्ट पर लेने के लिए आजकल किन किन मिनिमम क्वालिफिकेशन्स की आवश्यकता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि पी.एस.आई. की पोस्ट के लिए लॉ ग्रेजुएट का होना आवश्यक है ? यदि हां, तो उसका स्टार्टिंग वेतन क्या होता है ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि एस. एच. ओ. व पी. एस. आई. का स्टार्टिंग वेतन एक सा है ? यदि नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है तथा यह किस आधार पर रखा जाता है ?

(घ) एस. एच. ओ. के लिये किन किन मिनिमम क्वालिफिकेशन्स की आवश्यकता है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) पी. एस. आई. की पोस्ट पर लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट है ।

(ख) जी हां । पी. एस. आई. का स्टार्टिंग वेतन ८०) रु० व २०) रु० प्रोसिक्यूटिंग एलाउन्स है ।

(ग) जी हां । पी. एस. आई. और एस. एच. ओ. का वेतन एक सा है । अन्तर केवल इतना सा है कि पी.एस.आई. को २०) रु० प्रति माह प्रोसिक्यूटिंग एलाउन्स ज्यादा मिलता है ।

(घ) सब इन्सपेक्टर के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक्यूलेशन है ।

श्री मूलचन्द डागा : एक की क्वालिफिकेशन मैट्रिक्यूलेट है और एक की क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट होती है, तो उन दोनों की तनख्वाह में अन्तर क्यों नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : २०) रु० का अन्तर बताया है ।

श्री मूलचन्द डागा : २०) रु० का अन्तर तनख्वाह में नहीं है । स्टार्टिंग पे दोनों को आप एक ही दे रहे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : स्टार्टिंग के साथ साथ २०) रु० का एलाउन्स देते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या इस अन्तर को आप उपयुक्त मानते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : क्या गृह विभाग मैट्रिक्यूलेट के स्टेन्डर्ड को और लॉ ग्रेजुएट के स्टेन्डर्ड को बराबर मानता है ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सरकार की निगाह में सब बराबर हैं ।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : अलग २ अपनी २ काबलियत पर है । मेरा खुद का फीलिंग यह है कि पी. एस. आई. की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए । हमने कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हुये ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं सका ?

श्री रामकिशोर व्यास : पी.एस.आई. की तनख्वाह ज्यादा हो क्योंकि वह लॉ ग्रेजुएट है, यह मेरी खुदकी फीलिंग है । उनको ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हम एफ. डी. को पर्सुएड नहीं कर पाये ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या प्रोपोज़ल किया था गवर्नमेंट ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको कोई बात कह दें तो उसकी तह में चले जाना चाहते हैं । प्रोपोज़ल भेजा था पी. एस. आई. और पी. आई. के लिए, दोनों का रिजेक्ट कर दिया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : बहुत ही अजीब बात है । अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री कोई प्रोपोज़ल मूव करती है और एफ. डी. उसको रिजेक्ट कर देती है और आप बैठे रहते हैं ।

(हंसी)

Page No.12

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा तो मन्त्री महोदय को बल मिलेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मन्त्री महोदय को सत्ता दे रखी है। बल तो वे ही हैं।

श्री अध्यक्ष : सत्ता और बल दोनों हों तभी काम चलता है।

भरतपुर पुलिस पंचायत सम्मेलन

७५५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गत वर्ष डीग, जिला भरतपुर में कोई पुलिस पंचायत सम्मेलन हुआ था? यदि हां, तो उसका आयोजन किस अधिकारी द्वारा किया गया था?

(२) क्या उक्त सम्मेलन के लिए उस क्षेत्र की जनता से कुछ धन भी एकत्रित किया गया था? यदि हां, तो कितने और किन किन लोगों से लिया गया था? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(३) उक्त रकम में से किस किस मद में कितनी कितनी रकम खर्च हुई थी? क्या उक्त आमद व खर्च का कोई हिसाब रखा गया था? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाये।

(४) यदि ऐसा हिसाब नहीं रखा गया, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, सी. आई., डीग द्वारा आयोजित किया गया था।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने पहले सवाल का उत्तर नहीं बताया कि किसके द्वारा हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी. आई. डीग।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न (२) में पूछा गया था कि सम्मेलन के लिए धन एकत्रित किया गया था और उत्तर दिया कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई चन्दा नहीं लिया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगर चन्दा किया है तो आप क्या करेंगे?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): चन्दे को हजम करेंगे।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : चन्दा कोई नहीं किया था कल्चरल शो किया था। उसमें टिकिट सेल किया था। उसको आप चन्दा समझें तो आपकी मर्जी?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें २५से ३० हजार का कर लिया था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमापुर): टिकिट किस बात के थे?

श्री रामकिशोर व्यास : कल्चरल शो था, पुलिस वैलफेअर फण्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट का था, उसमें किया था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुलिस कॉन्स्टेबल, हैड कॉन्स्टेबल, सब–इन्सपेक्टर, सर्किल इन्सपेक्टर ने ठीक उसी तरह से चन्दा इकट्ठा किया था जिस तरह से पुराने जमाने में वार फण्ड का चन्दा इकट्ठा किया करते थे।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। आप खुद शरीक थे और कई एम.एल.एज़. थे। उन्होंने तारीफ ही की फन्क्शन की। मुझको भी आने को कहा था लेकिन मैं नहीं आ सका। शिकायत इस तरह की आई नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शिकायत आई तभी तो सवाल उठाया गया है। मुझे बतलाया गया कि ट्रक वालों से और दूसरे दूसरे लोगों से जबर्दस्ती चन्दा लिया गया। उन्होंने हिसाब चाहा। वे समझते हैं कि ३० हजार लिए और १० हजार खर्च किया। वे चाहते हैं कि उसका हिसाब देखें कि जो रुपया दिया है वह ठीक तरह से खर्च हुआ है या नहीं। यह देखने का उन्हें हक है।

श्री रामकिशोर व्यास : कितनी धन राशि एकत्रित हुई है, वह मैंने अर्ज कर दी। कुल खर्चा जो है वह ३,१७६ रुपये का हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : और आमदनी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वैलफेअर फण्ड है। ठीक तरह से रेग्युलेट होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : २३,६०३ रु. आया है। उसमें से ३,१७६ रु. खर्च किया है। बाकी सब रुपया पुलिस वैलफेअर फण्ड में जमा हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसका हिसाब देखा जा सकता है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप देखना चाहते हैं तो स्पेशली कह दूँगा कि आपको दिखा देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : २३ हजार में से ३ हजार खर्च हुए तो बाकी २० हजार का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : फण्ड है, रेग्युलर पुलिस का वैलफेअर का उसमें जमा हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : रेग्युलर फण्ड में जमा हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि पुलिस के अलावा दूसरे लोगों को दिया गया है। कहीं पंचायत को दिया गया है, दूसरे लोगों को दिया गया है। पर्सनली कुछ लोगों को दिया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप देखना चाहें तो दिखला दूंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप अरेन्जमेंट कर दें। मैं बतलाऊंगा देखने के बाद में कि कितनी ही इर्रेग्युलेरिटीज हुई हैं और कितने रुपये का दुरुपयोग हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इस

(श्री श्रीभानसिंह)

प्रश्न को क्या आप कम्प्लेन्ट के रूप में ट्रीट करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : देख लें....

श्री श्रीभानसिंह : सारी भरतपुर और डीग की जनता जानती है कि पुलिस ने कलेक्ट किया है और उसको आप डिनाई करते हैं ? Will you treat it as complaint ?

श्री अध्यक्ष : कहां डिनाई करते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया है कि इतने हजार रुपये की आमदनी हुई है ।

श्री श्रीभानसिंह : यह माना नहीं जा सकता है । जब कि इतने एम.एल. ए. उस एरिया के कहते हैं और मेरे पास भी इनफॉर्मेशन है कि पुलिस ने कलेक्ट किया है और कोई टिकिट नहीं बेचे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं बेचे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : आप इन्क्वायरी करवा लें ।

श्री रामकिशोर व्यास : किस बात की ?

श्री श्रीभानसिंह : कोई टिकिट नहीं बेचे हैं । पंचायतों से फण्ड कलेक्ट किया है, कहीं अलग अलग लोगों से ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बेचे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : मेरी इन्फार्मेशन है कि नहीं बेचे हैं । आप इन्क्वायरी करवा लें ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप डेफिनिटली बता दें, एन्क्वायरी कराऊंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं कह रहा हूँ डेफिनिटली ।

श्री रामकिशोर व्यास : कह रहे हैं डेफीनिटली ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप कह रहे हैं कि टिकिट का पैसा नहीं आया है ।

श्री श्रीभानसिंह : आप करायेंगे इन्क्वायरी ?

(गृह मंत्री ने स्वीकृति-सूचक सिर हिलाया)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वहां पर चन्दा उनकी इच्छा के विरुद्ध लिया गया है..

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री सिर हिला रहे हैं; वह प्रोसीडिंग में कैसे आयेगा कि वे इन्क्वायरी करावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो वैलफेयर फण्ड है । किसी का क्या पर्सनल गेन है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुलिस और सर्किल इन्सपेक्टर ने बारबार लोगों को तंग करके चन्दा वसूल किया है । उसका काफी आतंक है ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसी वजह से तो यह सवाल है । जहां तक इसका दायरा है

Page No.15

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसका ताल्लुक है। मैं कह रहा हूं कि इसकी इन्क्वायरी क्यों न करायें ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप फैक्ट्स दे दीजिये, इन्क्वायरी करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७५६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

सी. आई. डी. की महिला पुलिस

७५७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सी. आई. डी. की महिला पुलिस में कौन २ महिला सब-इन्सपेक्टर, असिस्टेंट सब-इन्सपैक्टर तथा हैड कॉन्स्टेबिल के पद पर कार्य कर रही हैं और कब २ से ?

(ख) इनमें से कौन २ किस २ पद पर कब २ से किस २ अधिकारी द्वारा कन्फर्म कर दी गई हैं ?

(ग) इनकी प्रत्येक की क्या २ योग्यता है तथा इस विभाग में कब कब किस २ पद पर किस २ अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई थी ?

(घ) जिस २ पद पर उनको नियुक्त किया गया था उस पद से पदोन्नति के द्वारा इनको हैड कॉन्स्टेबिल अथवा सब-इन्सपेक्टर या असिस्टेन्ट सब-इन्स्पेक्टर के पद पर, यदि नियुक्त किया गया है तो क्या इनसे सीनियर को सुपरसीड करना पड़ा है ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ? कृपया सेवाकाल व योग्यता सहित जिनको प्रोमोशन मिला है व जिनको सुपरसीड किया गया है उनकी तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : महिला पुलिस के बारे में पहले पूछ चुके हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : It may be taken day after to-morrow.

श्री भैरोंसिंह : जी ?

श्री रामकिशोर व्यास : परसों ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

माउन्ट आबू में सलगम (Salgam) नाला से हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का सर्वेक्षण

७५८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

Whether the Government contempaltes to take up the survey of hydro electricity scheme from Salgam Nala at Mount Abu ? If so, how long this survey would take for completion ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, सर्वे का काम हाथ में लिया जाने को है व आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व समाप्त होने की आशा है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सर्वे का

Page No.16

(श्री दलपतसिंह)

काम अभी तक लिया नहीं? ताज्जुब की बात है, दो साल पहले मैंने प्रश्न पूछा था, तब कहा था कि काम शुरू हो जायगा। अभी कह रहे हैं कि काम हाथ में ले रहे हैं।

(हंसी)

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पहले समाप्त होने की आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

भीलवाड़ा में गांधी अस्पताल हेतु प्राप्त की गई भूमि के एवज भूमि एवं मुआवजा

७५६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में गांधी अस्पताल के लिये कई लोगों की भूमि एक्वायर की गई थी? यदि हां, तो कब और किन किन की?

(२) इस भूमि का अब तक किन किन को और कितना कितना मुआवजा दिया गया और कब तथा जिनको नहीं दिया गया, उनको क्यों?

(३) क्या यह सही है कि जिन लोगों की काश्त की भूमि ली गई उनको भीलवाड़ा के पास भूमि नहीं दी गई तथा उनके मुकाबले में अन्य लोगों को काश्त की जमीन भीलवाड़ा के पास दी गई? यदि हां, तो क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर नहीं आया है। इसके पोस्टपोनमेंट के लिए पहले प्रार्थना की है। इसकी सूचना दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पी० एस० आई० व पी० आई० को लीगल रिमेम्बरेन्सर के अधीन रखना

७६०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पी. एस. आई. व पी. आई. को पुलिस से अलग कर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के आधीन क्यों नहीं रखा जाता है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

म्युनिसिपैलिटीज को मैला उठाने की व्यवस्था में सुधार करने हेतु प्रदत्त धन-राशि

७६१. श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कुछ धन मैला उठाने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनुदान रूप में दिया गया था?

(ख) यदि हां, तो यह धन किन किन म्युनिसिपैलिटीज़ को कितना कितना

Page No.17

(श्री रामचन्द्र)

दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या सरकार ने कभी यह जांच की थी कि यह धन उचित रूप में खर्च किया या नहीं ? यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार से की थी ?

(घ) क्या सरकार इस योजना को आगे चालू रखने का विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई–स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) सन् ५७–५८ में दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में २० नगरपालिकाओं की जांच स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा की जा चुकी है। शेष नगरपालिकाओं से पत्र–व्यवहार किया जा रहा है। सन् १९५९–६० में दिये गये अनुदान की जांच स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अब की जावेगी।

(घ) यह मामला भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र : मैला उठाने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रुपया दिया गया, वह किस प्रकार दिया गया ? यह सुविधा किस प्रकार दी गई ? क्या सुविधायें पैदा की हैं ?

श्री भीखाभाई : सुविधा से मतलब मैं समझा नहीं।

श्री रामचन्द्र : मेरा मतलब यह है कि मैला उठाने वाली सुविधायें देने के लिए रुपया दिया गया, वे सुविधायें किस रूप में दी हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की योजना है कि दरअसल में जो म्युनिसिपैलिटी हैंड क्वार्टर्स और गेराज वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, उनको रुपया दिया जाता है। जो म्युनिसिपैलिटी अपनी सहमति प्रकट करती हैं कि पचास प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं उसके बाद उनकी मांग को कन्सोलिडेट करके भारत सरकार के पास भेज देते हैं। वहां से जो रुपया मिलता है वह म्युनिसिपैलिटीज़ का काम होता है कि वे उससे लाभ उठायें।

श्री रामचन्द्र : मैं यह समझूं कि राजस्थान सरकार रुपया देने से पहले इस बात की जांच करना जरूरी समझती है कि इस कार्य में ये सुविधायें मिली हुई हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि पैसे के बारे में सवाल था, उसकी जांच के लिए आपने पूछा है। अब यह प्रश्न अलग है कि दरअसल हेड क्वार्टर्स इसमें हैं या नहीं। That is a separate question, Sir.

श्री रामचन्द्र : मेरे प्रश्न से सम्बन्ध रखता है। मेरा सवाल इस सम्बन्ध में नहीं है कि हिसाब आप ने कराया है या नहीं कराया। मेरा प्रश्न है कि जिस चीज़ के लिए यह धन दिया गया उसका सदुपयोग हुआ है

(श्री रामचन्द्र)

या नहीं हुआ है ? अगर हुआ है तो किस प्रकार हुआ है ? यह जानना चाहता हूँ। हिसाब से मेरा मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

घाणेराव ग्राम पंचायत, तहसील देसूरी, के उप-सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

७६२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि घाणेराव ग्राम पंचायत, तहसील देसूरी के सरपंच सात साल से और उप–सरपंच चार साल से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या इस ग्राम पंचायत की जांच जिला स्तर पंचायत अधिकारी श्री आसोपा ने तारीख १०.६.५६ को की और रिपोर्ट अपने अधिकारियों–संयुक्त विकास आयुक्त, पंचायत, राजस्थान को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरपंच और उप-सरपंच दोनों को पंचायत एक्ट की धारा १७।४। के अन्तर्गत पदच्युत कर दिया जावे ?

(घ) क्या यह सही है कि उप–सरपंच ने पंचायत की रकम का गबन किया है ? यदि हां, तो कितनी रकम का और कब ?

(ङ) क्या सरकार ऐसे उप–सरपंच के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी —पंचायत मंत्री की ओर से) : (क) राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत दिनांक १६.३.५५ को निर्वाचन हुआ। उस समय से ही ये कार्य कर रहे हैं। पुन: निर्वाचन २८.११.५८ को हुआ उसमें भी ये ही चुने गये।

(ख) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते, मामला अभी तक जांच में है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परिणाम पर पहुँचा जा सकेगा।

(ङ) वर्त्तमान समय में प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जांच की रिपोर्ट कौनसी तारीख को आपके पास पहुंची ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : २४.६.५६ को इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट पेश की है।

श्री मूलचन्द डागा : २४.६.५८ को पेश हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: ५९ को।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें नकल दी है। इसमें साफ है, पत्र संख्या १४६६ दिनांक २४.६.५८, और से जिला स्तर पचायत

Page No.19

(श्री मूलचन्द डागा)

अधिकारी, जिला पाली, (राजस्थान)। संयुक्त विकास आयुक्त पंचायत राजस्थान, जयपुर को प्रति। संयुक्त विकास आयुक्त को उसने रिपोर्ट पेश की है २४.६.५८ को।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं, नहीं। १०.६.५६ को जांच की और २४.६.५६ को रिपोर्ट पेश की।

श्री मूलचन्द डागा : २४.६.५६ को रिपोर्ट पेश होने के बाद पांच महीने बीत चुके हैं, उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष : केवल पांच महीने।

श्री मूलचन्द डागा : पांच महीने।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्सपेक्टर ने, जिन्होंने शिकायत की थी, उनके बयान लिये। सरपंच और उप सरपंच, जिनकी शिकायत की थी, न उनसे पूछा और न बयान लिये गये। इसलिए एक तरफा कार्यवाही होने के कारण जांच कलेक्टर के सुपुर्द कर दी गई। उनको १७.१०.५६ को जांच के कागजात भेज दिये गये हैं। उनको रिमाइन्डर भी भेजे हैं लेकिन जवाब नहीं आया।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह लालफीताशाही, जो शुरू से चलती है।

श्री मूलचन्द डागा : एक तरफा जांच कैसे हुई ?

श्र अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : पंचों की जांच की, पंचों की मौजूदगी में बयान लिये, फिर एक तरफा कार्यवाही कैसे हुई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

उदयपुर शहर की अम्बापुरा ग्राम कॉलोनी का इम्प्रूवमेंट

७६३. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि उदयपुर सिटी के अम्बापुरा ग्राम कालोनी में बहुत दुर्गन्ध फैली रहती है ? अगर हां, तो सरकार उस कॉलोनी के इम्प्रूवमेंट के लिये क्या उपाय सोच रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कालोनी की जनता ने सरकार को कई दफे इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि फिशरीज़ रिसर्च हाउस से जो सड़क अम्बा माताजी के मंदिर होकर कुरावड की हवेली की तरफ जाती है वह अत्यन्त खराब तथा दुर्गन्धित है जिससे जनता अत्यधिक परेशान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को टीक कराने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई—स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

Page No.20

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

भाखरा एरिया से बैटरमेंट लेवी

७६५. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या मंत्री, राजस्थान केनाल बोर्ड निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार का भाखरा एरिया से कुल कितनी बेटरमेंट लेवी वसूल करने का अनुमान है ?

मंत्री राजस्थान केनाल बोर्ड (श्री रामचन्द्र चौधरी) : भाखरा क्षेत्र में अनुमानत: १६ करोड़ रुपये बेटरमेंट लेवी के रूप में वसूल किये जायेंगे ।

अभी तक केवल ७१ गांवों की बेटरमेंट लेवी तय हो पायी है जिसकी ग्राम वार व किस्म जमीन वार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : किस रेट से वसूल की जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक मुश्त में दे तो २०८ की एकड़ और अगर किश्त में दे तो २६४ की एकड़ के हिसाब से ।

श्री मोहरसिंह : कुल कितने गांवों से वसूल की जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ३६५ से वसूल की जायगी, जो भाखरा क्षेत्र में आये हैं ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने बेटरमेंट लेवी में कुछ रिडक्शन करने के लिए निर्णय लिया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : निर्णय नहीं किया है, एक कमेटी बैठाई है, उस पर विचार करने के लिए ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार भी ऐसी कमेटी बैठायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंजाब सरकार ने जो कमेटी बैठाई है, उसकी रिपोर्ट आ जायगी, तब हम भी उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : यह कब से वसूल की जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वसूल की जा रही है ।

श्री मोहरसिंह : कितने गांवों से वसूल हो चुकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी वसूली बहुत कम शुरू हुई है ।

श्री मोहरसिंह : किश्तों में वसूल करें तो कितनी किश्तों की आयोजना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : २४ किश्त ।

श्री मोहरसिंह : ब्याज किस हिसाब से रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत ।

श्री मोहरसिंह : ब्याज किस हिसाब से रखा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत ।

पंचायत बदनोर, तहसील आसीन्द के सरपंच द्वारा सरकारी रकम का दुरुपयोग

७६५. **श्री जयसिंह राणावत** (आसीन्द) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत बदनोर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा को गत दो वित्तीय वर्षों में जन-संख्या और रेवेन्यू के आधार पर दी जाने वाली सहायता कितनी बार कितनी कितनी मात्रा में किसके हस्ते दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रकमों का सही उपयोग न होकर पंचायत के सरपंच ने रकम को अपने काम में लिया है जिसकी वजह से तहसील आसीन्द में कागजात चले हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत के सरपंच ने खास बदनोर और उसके मजरे सीतला का चौड़ा में कुइयों के लिए मिली हुई ५०० रु० की धनराशि का इसी प्रकार दुरुपयोग किया है ?

(४) यदि हां, तो इस रकम की वसूली की क्या कार्यवाही दर पेश है ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी —पंचायत मंत्री की ओर से) : (१) बदनोर पंचायत को सन् ५७-५८ में जन-संख्या और रेवेन्यू के आधार पर ५६० रु० सहायता हस्ते श्री सावंतसिंह उप-सरपंच तथा ५८-५९ में ५३६ रु० हस्ते श्री अनारखां हस्ब तहरीर और ५६ रु० हस्ते श्री लक्ष्मी-नारायण सरपंच को दिये ।

(२) पंचायत द्वारा हिसाब अभी तक पेश नहीं हुआ है जिसके लिये ताकीद जारी है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं, रकम वसूल पहले ही कर ली गई है ।

श्री जयसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, रकम में भारी घोटाला है । वहां के तहसीलदार ने जांच की है । वह अब तक वसूल न की जाकर रियायत की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच जारी है, आप प्रमाणित करायेंगे तो जिन्होंने कुसूर किया है उनको सजा मिलेगी ।

श्री जयसिंह राणावत : कुसूर पंचायत सरपंच का है ।

श्री अध्यक्ष : जांच हो रही है, फिर रियायत कहां हो रही है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रकम में घोटाला है या जांच में घोटाला है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को हाईकोर्ट के नीचे रखने की योजना

७६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि बाकना रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट

(श्री मूलचन्द डागा)

रखे जावें और वे डाइरेक्ट हाईकोट के अन्डर में रहें ? यदि हां, तो फिर इस सिफारिश को अमली रूप देने में क्या क्या रुकावटें हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : बाफना कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे सारे प्रश्न विचाराधीन हैं ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : आप पूछते ही ऐसे हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): आप स्वयं विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर नगर में यातायात दुर्घटनाएं

७६७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गत वर्ष (१६५६) में जयपुर नगर में कुल कितनी यातायात दुर्घटनाएं हुई ? इनमें कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

(ख) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में यातायात दुर्घटना में क्रमश: वृद्धि होती जा रही है ?

(ग) यातायात को नियन्त्रित करने एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या सक्रिय कदम उठा रही है ?

(घ) क्या यह सच है कि बाजारों में पैदल चलने वालों के लिये समुचित व्यवस्था का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार जल्दी से जल्दी उस अभाव को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) केवल १०६ आकस्मिक दुर्घटनाएं हुई जिनमें १३ आदमी मारे गये और १०१ व्यक्ति आहत हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) फुटपाथों पर से थड़ियां हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जनता में यातायात का भाव उत्पन्न करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

(घ) व्यवस्था का अभाव तो नहीं है, फिर भी थड़ियों के हट जाने से पैदल चलने वालों को और भी सुविधा हो जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार महसूस नहीं करती कि जयपुर की सड़कें अपेक्षाकृत और शहरों से बहुत चौड़ी हैं, पर यहां का ट्रेफिक बड़ा अव्यवस्थित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो महसूस करते हैं कि सड़कें चौड़ी हैं पर यह महसूस नहीं करते कि यहां का ट्रेफिक अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित न हो, इसको ठीक करने के लिये तारकोल के टिन सड़कों के बीच में लगाये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इससे तो और भी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, रिक्शे वगैरह टकरा जाते हैं इन पीपों से।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बद-किस्मती है कि पुलिस वालों की यूज़फुल चीज को भी नुकसान देह बताती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जैसे दूसरे संकेत ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिये होते हैं उन संकेतों को क्यों नहीं अपनाया जाता है, लाइनिंग वगैरह को ?

श्री अध्यक्ष : संकेत चिन्हों को लोग मानते नहीं हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप इन पीपों से टकराई हैं क्या ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि थड़ियों वालों के अलावा दूसरे लोग सड़कों को घेरे रहते हैं और इससे शहर का यातायात बड़ा अव्यवस्थित रहता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह !

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के मिल मजदूरों को बकाया वेतन की अदायगी

७६८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा में मिल के मजदूरों का वेतन बाकी रह गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(ख) क्या यह सही है कि मिल के मजदूरों को भीलवाड़ा में श्रम मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मजदूरों के वेतन यदि मिल के मालिकों ने शीघ्र ही नहीं चुकाये तो सरकार इसका चुकारा करेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में मंत्री मण्डल की बैठक के समय श्रम मंत्री ने मिल मजदूरों को वेतन चुकाये जाने का फिर आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो यह वेतन कब तक चुकाया जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां, माह अक्टूबर, १९५९ व माह नवम्बर, ५९ के वेतन का चुकारा बाकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कितना रुपया बाकी है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कुल कितना रुपया बाकी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि २ महीने के बाकी हैं, फीगर्स इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में भीलवाड़ा गये थे ?

श्री भीखाभाई : इसका जवाब मैंने बता दिया कि गये थे, पर आश्वासन दिया नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो आश्वासन दिया गया उसको डाइरेक्टर पब्लिसिटी ने लिखित में सब समाचार पत्रों को दिया है और 'राष्ट्रदूत' में वे सारे समाचार छपे हैं ?

श्री भीखाभाई : इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने भी सुना और उन्होंने भी सुना। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने आश्वासन नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि डाइरेक्टर के आधार पर छपी हुई खबर गलत है ?

श्री भीखाभाई : मैंने तो देखा नहीं, मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर के आधार पर जो खबर छपी है वह खबर गलत हो सकती है पर जो डाइरेक्टर ने लिख कर दिया वह तो गलत नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसे स्वीकार थोड़े ही कर रहे हैं कि लिख कर दिया।

श्री भीखाभाई : मैंने तो लाइल्मी जाहिर की है ! मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं ? इसके अलावा श्रम मंत्रीजी ने स्वयं स्पष्टीकरण एक दिन पेश कर दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक इनको वेतन दिलाने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री भीखाभाई : अक्टूबर तक तो पेमेंट हो चुका है और राजस्थान सरकार की तरफ से जो वेजेज़ का इन्सपेक्टर मुकर्रर है उस ने सबके प्रार्थना-पत्र-कार्यवाही के लिये कोर्ट में पेश कर दिये। मिल ने अपनी गिर्वी रखी हुई सम्पत्ति को अटेच करने पर आपत्ति की है। ऑब्जेक्शन करने के कारण आपत्ति हुई है, वर्ना अटेच भी कर लेते।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि को इसी आश्वासन के कारण जब केबिनेट वहां गई थी तो मजदूरों ने श्रम मंत्रीजी को घेर लिया था और माननीय यातायात मंत्री उनको घेरे से निकाल कर लाये थे ?

श्री भीखाभाई : नहीं, ऐसा नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय यातायात मंत्री उनको घेरे में से निकाल कर लाये थे ? श्रम मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं पर यातायात मंत्रीजी यहां पर हैं, उनसे पूछ लें कि श्रम मंत्रीजी को घेरे से निकाल कर लाये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशोर व्यास : आपसे मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं आपसे।

सिरोही जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों का खोला जाना

७६६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Ayurved Minister be pleased to state:-

1. Whether the Government is aware of the commitment of the Directorate of Ayurved to open eight Ayurvedic Dispensaries in Sirohi District before the expiry of the term of Second Five Year Plan ? If so, what steps are being taken in this direction ?

2. Is the Government aware that in Abu taluka there is not a single Ayurvedic Dispensary ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) संचालक द्वारा कोई ऐसा निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया, अपितु विभाजन की दृष्टि से प्रत्येक जिले के अन्तर्गत चालू योजना के शेष दो वर्षों में ८ औषधालय खोलने का प्रावधान सिरोही के अलावा अवश्य था। सिरोही जिले में इस वर्ष दो औषधालय पीसालिया, तहसील शिवगंज और माउन्ट आबू-तहसील आबू में खोले गये। यदि भवनादि की सुविधा ग्राम वासियों की ओर से निःशुल्क दी गई तो जनसंख्या के लिहाज से अवशिष्ट औषधालयों को यथा संभव अगले वर्ष में खोलने का विचार किया जायगा।

(२) इस वर्ष माउन्ट आबू-तहसील आबूरोड में नवीन औषधालय खोला गया है। भूतपूर्व जिला विकास समिति सिरोही द्वारा आबूरोड तहसील का ग्राम निचलगढ़ औषधालयार्थ प्रस्तावित था जहां विभागीय निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार भवनादि की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। भवनादि की सुविधा उपलब्ध की जाने की स्थिति में अग्रिम वर्ष उक्त तहसील के निमित्त प्राथमिकता की दृष्टि से विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सही है कि आबूरोड औषधालय खोला गया वह जिला विकास कमेटी की सिफारिश से नहीं खोला गया ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास तो इस तरह की सूचना थी कि जिला विकास कमेटी की सिफारिश पर खोला गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

वन समिति

७७०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Forest Minister be pleased to state:—

Whether a Forest Committee was appointed in the year 1958 or 1959 ? If so, has this committee submitted its report to the Government ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : 1. The Committee was appointed in 1958 and it has submitted its report to the Government.

श्री मोहब्बतसिंह : When has this committee submitted its report to the Government ?

श्री भीखाभाई : Yesterday also I said that about six months back.

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या इसकी एक एक कॉपी फोरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट, की प्रत्येक सदस्य को मिलेगी ?

श्री भीखाभाई : After the consideration of the Committee's Report by the Cabinet the Government decides to circulate it. It will be circulated to all the members.

श्री मोहब्बतसिंह : ६ महीने का समय हो गया है तो क्या केबिनेट में इस पर डिस्कशन नहीं हुआ ?

श्री भीखाभाई : जी, शुरू हो गया है, एक-दो चीज बाकी होगी तो जल्दी निकल जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पी० एस० आई० को लॉ रिपोर्ट्स भेजा जाना

७७१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज कल पी. एस. आई. के पास लॉ रिपोर्ट्स कौन कौन सी सरकार द्वारा भेजी जाती हैं ? यदि नहीं भेजी जाती, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के जमाने में क्रिमिनल लॉ जर्नल पी. एस. आई. को अलग से दी जाती थी ? यदि हां, तो अब क्यों बन्द कर दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान लॉ वीकली और क्रिमिनल लॉ जर्नल की कॉपीज़ प्रत्येक जिले के एस. पी., पी. आई. और पी. एस. आई. को भेजी जाती हैं।

(ख) राजस्थान बनने के बाद में पी. एस. आई. को अलग से देना बन्द कर दिया है। क्योंकि बजट में देने के लिए गुंजायश देखते हुए व राजस्थान बेसिस पर नहीं दी जाती, इसलिये नहीं दी जाती।

श्री मूलचन्द डागा : पी. एस. आई. के पास क्रिमिनल लॉ जर्नल तक नहीं है तो वह....

श्री रामकिशोर व्यास : है तो सही, फर्स्ट पार्ट नहीं सुना। पी. आई. और पी. एस. आई. दोनों को देते हैं। मैंने दोनों के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

टोडा रायसिंह नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन व चुनाव में विजयी सदस्यों को शपथ ग्रहण नहीं कराना

७७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टोडा रायसिंह नगरपालिका का चुनाव १८. ७. ५६ को संपन्न हुआ, जिसका परिणाम २०.७.५६ को घोषित किया गया ?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि टोडा रायसिंह नगरपालिका की अवधि १५. ६. ५६ को समाप्त होती थी ?

(३) क्या यह सही है कि १४. ६. ५६ को इसी नगरपालिका को पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि १८. ७. ५६ को सम्पन्न हुए चुनाव में विजयी सदस्यों को अब तक शपथ ग्रहण नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा कलेक्टर टोंक को चार बार लिखित रूप से यह आदेश दिया गया कि नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवा दी जाय, परन्तु कलेक्टर ने उन आदेशों का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी-स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से) : (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) जी हां। आबादी ८,००० से कम थी और म्युनिसिपल बोर्ड ने पंचायत में परिवर्तित होने का प्रस्ताव पास। किया इसके कारण परिवर्त्तित किया गया।

(४) जी हां, १४. ६. ५६ को नगरपालिका का पंचायत में परिवर्त्तित होने के कारण जो सदस्य १४. ६. ५६ को मौजूद थे व जो पंचायत उस दिन काम कर रही थी उनकी अवधि ३१. १. ६१ तक बढ़ी हुई मानी गई । इस कारण शपथ नहीं दिलवाई गई।

(५) जी हां, सही है, संयुक्त विकास आयुक्त ने कलेक्टर टोंक को शपथ ग्रहण करवाने का इसलिए आदेश दिया था क्योंकि पहले सूचना यह प्राप्त हुई थी कि म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि १२ सितम्बर, १६५६ को समाप्त हो गई। चूंकि अवधि १५. ६. ५६ तक थी इसलिये शपथ न दिलवाना ही ठीक था। इस कारण कलेक्टर साहब ने शपथ-ग्रहण नहीं करवाई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ६१ तक केवल उन्हीं पंचायतों की अवधि बढ़ाई है, जिस समय यह कानून बना था, उस समय एग्ज़िस्टिंग पंचायतें थीं उन्हीं की अवधि बढ़ाई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह किस तारीख को आदेश निकला था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह आदेश १०. ७. ५६ को एग्ज़िस्टिंग पंचायतें थीं उनके समय में वृद्धि करने का था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह एक्ट अमल में आया १४. ६. ५६ को और उनकी अवधि १५. ६. ५६ तक थी, इसलिये ऑटोमेटिकली उनकी अवधि ६१ तक बढ़ गई।

Page No.28

श्री भैरोंसिंह : एग्ज़िस्टिंग पंचायतों की अवधि बढ़ गई, यह आदेश दिया गया। १०. ६. ५६ को काम करते थे। १०.६.५६ तक म्युनिसिपैलिटी पंचायत में परिणत नहीं हुई थी फिर उनकी अवधि कैसे बढ़ गई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह म्युनिसिपैलिटी पंचायत में कन्वर्ट हो गई।

श्री भैरोंसिंह : यह चार दिन बाद में हुई। तब आपका यह ऑर्डर लागू नहीं होता।

श्री रामचन्द्र चौधरी : १४. ६. ५६ को गवर्नमेंट का यह आदेश आया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी म्युनिसिल बोर्ड थे और वे पंचायतों में परिणत हो गये उनकी अवधि ऑटोमेटिकली ६१ तक बढ़ गई।

श्री भैरोंसिंह : आपका आदेश १४.६.५६ को हुआ। १०. ६. ५६ को यह म्युनिसिपैलिटी थी। हमने जिला परिषद् और पंचायत कानून बनाया उसमें यह था कि १०. ६. ५६ को जो एग्ज़िस्टिंग पंचायत थीं उनकी अवधि बढा दी जाय, क्या यह उस कानून के विरोध में नहीं हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो अमल हुआ वह १४. ६. ५६ से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : १०. ६. ५६ को जो पंचायतें एग्ज़िस्ट करती थीं उनके लिये यह था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ठीक बात है।

श्री भैरोंसिंह : १४. ६. ५६ को जो म्युनिसिपैलिटी थी और उनको आपने पंचायतों में परिणत किया उनको चार दिन बाद में कैसे कैसे पंचायतों में परिणत किया और उनकी अवधि बढ़ाई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये चार दिन रहे कैसे ? यह सवाल मेरी समझ में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : एग्ज़िस्टिंग पंचायतों में तो यह आपने उनकी अवधि बढ़ा दी १९६१ तक, लेकिन आपने यह म्युनिसिपैलिटीज़ में लागू कैसे किया और किस प्रकार यह लागू हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि १४. ६. ५६ से इसका अमल हुआ है। १०. ६. ५६ से इसका अमल थोड़े ही हुआ है। १०. ६. ५६ तक जो पंचायतें थीं उनको भी लिया है और जो म्युनिसिपैलिटीज़ पंचायतों में बदल गईं उनको भी लिया और उनकी अवधि भी बढ़ गई।

श्री भैरोंसिंह : यह तो १४. ६. ५६ को बनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कहते हैं कि यह कानून १४. ६. ५६ को अमल में आया है।

श्री भैरोंसिंह : आप १०. ६. ५६ का कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप '१०. ६. ५६ को' स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि यह १४. ६. ५६ को अमल में आया।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन एग्ज़िस्टिंग पंचायतों के संबन्ध में ऑर्डर इश्यू हुआ था यह म्युनिसिपैलिटी पंचायत में परिणत नहीं हुई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह नगरपालिका पंचायत के रूप में परिणत कर दी गई थी क्योंकि ८ हजार से कम आबादी थी और १४. ६. ५६ से यह एक्ट अमल में आया इसलिये इसकी मयाद भी एक्सटेन्ड हो गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस पॉइन्ट पर हाई कोर्ट में रिट हुई और इसको काम करने से रोक दिया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका मुझे ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७३

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

प्रान्त में प्रकाशित समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का आधार

७७४. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में ऐसे कितने समाचार पत्र हैं जिन्हें सरकार ने विज्ञापन के झूठे बिल पेश करने पर ब्लैक लिस्ट में लिया है ? कृपया उनके नाम व कारण बतलावें।

(२) राजस्थान में प्रकाशित होनेवाले किन किन समाचार-पत्रों की विज्ञापन देने की सरकारी दरें क्या क्या हैं ?

(३) क्या विज्ञापित दरें सरकार द्वारा निश्चित करने व उन पत्रों में देते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(क) क्या यह पत्र रेगुलर निकलता है,

(ख) कितने पृष्टों का निकलता है,

(ग) उनकी सर्कुलेशन संख्या क्या है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी इन्क्वायरी करवाती है या उन्होंने जैसा लिखा वैसा मान लेती है ?

(५) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ सरकारी विज्ञप्ति मिलती हैं तब ही छपते हैं, वर्ना बन्द रहते हैं और जब छपते हैं तो २५ व ५० कॉपीज़ ही छपवा कर सरकार को बिल पेश कर देते हैं ?

(६) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(७) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई नहीं।

(२) सूची संलग्न है।

(३) हां। विज्ञापन के स्वीकृत करते समय तो ये सब सूचनाएं मांगी जाती हैं,

(श्री रामकिशोर व्यास)

परन्तु जहां तक दर का सवाल है वह सकुं-लेशन से ही तय किया जाता है।

(४) जैसा लिखते हैं या जो वे प्रमाण पत्र देते है मान लिया जाता है। ऐसा इस कार्यालय की जानकारी में नहीं है।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(७) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : विज्ञापनों की दरों के लिये कुछ नियम बने हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कई दफा अर्ज किया कि इसके ब्रोड प्रिन्सिपल्स हैं।

श्री आनन्दसिंह : आपने (१) का उत्तर दिया, "कोई नहीं"। मगर जोधपुर से निकलने वाला 'प्रजा सेवक' वीकली है उसको ब्लैक लिस्ट में लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : बीच में उसकी इन्क्वायरी वगैरह हुई थी।

श्री अध्यक्ष : अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं है। आपको इसकी लिस्ट दी।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी वगैरह करवाई थी।

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी वगैरह कराई थी, किया नहीं था।

नेक्स्ट।

चेयरमैन, नगरपालिका झालावाड़ के विरुद्ध कार्यवाही

७७५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न-प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चेयरमैन नगरपालिका, झालावाड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैधानिक कार्यवाहियों के बारे में जनता के द्वारा काफी शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका के चेयरमैन चुपके से नगरपालिका की जमीन को बेच देते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पत्थर के ठेकेदार सरदारसिंह और रामगोपाल पर चुंगी टैक्स न देने के बारे में नगरपालिका द्वारा केस चलाया गया था ? यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जनता द्वारा शिकायतें नहीं की गई। शिकायतें श्री मोहनलाल गुप्ता व श्री रतनलाल, नगरपालिका के सदस्यों द्वारा ही की गई थीं।

(२) शिकायतें प्राप्त होने पर सहायक प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई। मामला डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के विचाराधीन है।

(३) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

श्री मूलचन्द डागा : शिकायत कब की गई ?

श्री भीखाभाई : प्रश्न जो यहां उपस्थित किया, विधान सभा में भेजा, उसके बाद में।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : आपने (२) का जबाव दिया, 'जी नहीं'। यह अंगडे के नाम से जमीन थी उसकी किन किन लोगों ने नीलाम की बोली लगाई ?

श्री भीखाभाई : यह शिकायत उन्होंने भेजी। एक शिकायत ५ मार्च को आई। शिकायत यह थी कि एक प्लॉट ऑक्शन किया और उसे रेगुलर वे में ऑक्शन नहीं किया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही है कि चेयरमैन ने बिना नीलाम के नगरपालिका की जमीन ले ली, इस प्रकार की शिकायत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ५ म० प०

कार्य-सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

विधायी कार्य, वापिस लिया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिषेध) विधेयक, १६५८
(वापिस लेना)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि हस्तांन्तरण (प्रतिषेध) विधेयक, १६५८ को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्यों ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : आपको पूछने का हक है और यह वाजिब भी है। यह

(श्री रामकिशोर व्यास)

बिल उस वक्त पेश किया गया था जिस समय ट्रान्सफर होनेवाले थे, वे बन्द किये जावें। इसके बाद सीलिंग का बिल आया और वे प्रोविज़न इसमें आ गये। इसलिये इसकी अब आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिषेध) विधेयक, १९५८ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थलिये जानेवाले विधेयक।

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है इस बिल का संकेत, जिस समय माननीय वित्त मन्त्री ने सदन में भाषण दिया उस समय सदन को मिल गया था। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस बिल को लेकर, जिस संभावित कर को लेकर बजट के समय सदन के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था और इस विरोध के फलस्वरूप माननीय मन्त्री महोदय पर इसका किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं हो पाया, जिस कारण से वह बिल अब सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है. मैं ऐसा समझता हूं कि जिस बिल के संबन्ध में एक दफा सदन की राय विपरीत हो और यदि सरकार किसी प्रकार से निर्णय ले लें तो उसमें परिवर्तन कराया जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है; इस दृष्टि से शायद मैं यह आवश्यक भी नहीं समझता कि आज इस बात का विरोध किया जाय, लेकिन कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना हुई जिस घटना से मुझे प्रेरणा मिली कि सरकार एक बार इन्कार करने के बाद भी, सदन के सामने सरकारी रूप में एक अधिकृत घोषणा करने के बाद भी यदि सदन के बाहर उनको डिनर पर बुलाया जाकर कोई मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया जाय तो शायद हमारी सरकार इतनी उदार भी है कि डिनर लेने के बाद इन करों के प्रावधान में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दे। मैं उन बातों के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर इस समय नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने एन्टर्टेनमेंट टैक्स के बारे में सदन में जब माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे तो उसके उत्तर में सरकार की ओर से जो बातें कहीं उनके विपरीत डिनर के बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया। वह निर्णय एक रूप से सदन का अपमान

(श्री भैरोंसिंह)

है और दूसरी तरह से हमें इस बात का संकेत करता है कि सरकार टैक्सेशन के सम्बन्ध में जो नीति बनाती है उस नीति का ही आधार गलत है । यदि सरकार ने टैक्सेज़ की पॉलिसी पर सारी स्थिति को देख कर और उस पर यदि कोई नीति बनाई हुई है तो उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स के अलावा कोई विशेष प्रकार के परिवर्त्तन या परिवर्धन की अपेक्षा नहीं की जा सकती । लेकिन उन्होंने इस प्रकार का निर्णय वहां कर लिया । इससे यह प्रेरणा मिलती है कि सरकार के सामने यदि किसी चीज़ को रखा जाय और समझाया जाय उस विषय में जिस विषय में वह समझी हुई नहीं है, तो ऐसे आसार बन सकते हैं कि सरकार टैक्सेज़ में कोई परिवर्त्तन करें । उस स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि न तो मैं सदन के एक सदस्य के रूप में, न मेरी पार्टी (जन संघ) के रूप में और न ही व्यक्तिगत रूप में इस टैक्स में कमी कराने के लिए डिनर के रूप में हम उनके सामने आ सकते हैं, न ही डिनर पर इन्वाइट कर सकते हैं । लेकिन इस सदन के एक सदस्य के नाते मैं उनका और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा और इसलिए करूंगा कि सरकार की इस बेसलेस पॉलिटी पर दुःख है । सरकार ने मोटर गाड़ियों पर टैक्स लगाया और अब स्पिरिट पर टैक्स लगा रही है । सरकार का यह कहना है कि टैक्स लगाने में सहूलियत का तरीका अपनाया है । टैक्स के नाम पर नहीं, ४० नये पैसे प्रति गैलन पर टैक्स लिया जाता है उसमें परिवर्त्तन नहीं कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार ने नाप–तोल की प्रणाली स्वीकार कर ली है और लिटर पर टैक्स लगाना चाहते हैं, इसलिए १० नये पैसे प्रति लिटर पर लगा रहे हैं । चाहते यह हैं कि गैलन पर जितना टैक्स है लिटर पर पेट्रोल पर टैक्स आना चाहिये । इसका नतीजा यह होगा कि इससे चार लाख के टैक्स बढ़ेंगे ।

मैंने पहले भी सदन में कहा था कि सरकार की टैक्स लगाने की कोई नीति नहीं है और नीति है तो यह भावना लेकर चलती है कि नाप तोल की प्रणाली में अन्तर आने के कारण मजबूर होकर टैक्स लगाना है । यह एक जनता को मुगालता है, मजबूरी नहीं है । मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी । सरकार टैक्स लेना चाहती है या नाप तौल के तरीके को बदलना चाहती है ? यदि सरकार तरीका बदलना चाहती है तो इस दृष्टि से इसमें सरकार अयोग्य साबित हो गई है क्योंकि नाप-तोल में कोई परिवर्त्तन करना, टैक्स बढ़ाने का तरीका नहीं है । सरकार ने किस एक्सपर्ट की राय ली, ओपिनियन ली ? किससे सरकार ने सलाह-मशिवरा किया ? सरकार को किस विभाग ने इस प्रकार की राय दी कि यदि नाप तोल में परिवर्त्तन करते हैं तो टैक्स बढ़ाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ? सरकार इसका उत्तर देगी । मैंने भी इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट की राय ली है । एक्सपर्ट की राय यह है कि नाप तौल की प्रणाली में परिवर्त्तन के कारण टैक्स नहीं बढ़ सकता । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस परिवर्त्तन से मोटर स्पिरिट पर चार लाख का टैक्स आवेगा । सरकार कहेगी कि विशेष टैक्स नहीं है । माननीय

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि इस टैक्स का, स्पिरिट से सम्बन्ध नहीं है, मोटर गाड़ी से सम्बन्ध नहीं है, रोड डेवलपमेन्ट से सम्बन्ध नहीं बल्कि ट्रान्सपोर्ट के विकास से इसका सम्बन्ध है और ट्रान्सपोर्ट के विकास का प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन से सम्बन्ध है। जितना ट्रान्सपोर्ट विकास करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन में लोगों को सहूलियतें मिलती हैं। यह टैक्स मोटर ट्रान्सपोर्ट के हित में कितना अच्छा हो सकता है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मोटरों के बारे में भारत सरकार के टैक्सेज हैं। मोटर और उसके स्पेयर पार्ट्स और जितनी चीजें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं उन पर कस्टम ड्युटी लगती है। यदि हमारे देश में मेन्यूफेक्चर होती हैं तो उन पर सेन्ट्रल एक्साइज़ टैक्स है। राजस्थान में मोटर व्हिकल्स एक्ट लागू है और यहां सेल्स टैक्स है। २० लाख की आय है। पचास—साठ हजार रुपयों के टैक्स अभी थोड़े दिन पहले पैसेन्जर और गुड्स पर लगाये हैं और नगरपालिका और पंचायतों द्वारा भी किसी गाड़ी से चार आना टैक्स लिया जाता है, किसी गाड़ी से ||) आना टैक्स लिया जाता है और किसी गाड़ी से २) टैक्स लिया जाता है। पंचायतों ने भी इस तरह से टैक्स लेना शुरू कर दिया है। सरकार यह कहेगी कि मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाने से किराया नहीं बढ़ेगा। मोटर मालिकों को जो मुनाफा होता है, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी उसका उसी पर असर होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम नेश्नलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। जितनी बसेज़ रूट्स हैं उनका नेश्नलाइजेशन करने जा रहे हैं। जब सरकार नेश्नलाइजेशन करेगी तो इस बेसिस पर चलेगी कि एक गाड़ी पर कितना खर्चा होता है और कितनी आमदनी होती है। आज मोटर बसेज के ऑनर्स और ऑपरेटर्स कहेंगे कि आगे जाकर सरकार नेश्नलाइजेशन करने वाली है, सरकार उनके इस किराये में वृद्धि करेगी। सरकार मोटर स्पिरिट का टैक्स देने वाली नहीं है तो छोड़ने वाली भी नहीं है, जो इससे आमदनी होगी तो फिर इस टैक्स को किराये में शामिल करके वसूल जनता से करने वाली है। जहां सरकार नेश्नलाइजेशन की बात कर रही है और बस ऑपरेटर्स की बात करती है सरकार पेसेन्जर्स को केवल भुलावे में डालना चाहती है कि पेसेन्जर से अधिक किराया वसूल नहीं होगा, इस पर टैक्स का भार उन पर नहीं पड़ेगा। इस पर किसी प्रकार से विश्वास किया भी नहीं जा सकता। सरकार को चाहिये कि वह विस्तृत नीति निर्धारित करे कि किस हद तक मोटर ट्रान्सपोर्ट का एक्सपन्सेशन हुआ है और करना है, किस प्रकार से पेसेन्जर्स को फेसिलिटीज़ देनी हैं और अब तक जो टैक्सेज़ लगाये हैं उनका क्या असर पड़ा है? मैं समझता हूं कि सरकार आंकड़ों के बारे में बड़ी तत्पर और होशियार है। सरकार कहती है कि सन् ४६ में इतनी गाड़िया चलती थीं, टैक्स लगाया और इतनी गाड़ियां और बढ़ गयीं। इस तरह से आंकड़े बता कर सदन में माया—जाल फैलाने में बड़ी चतुर है। लेकिन सही चीज़ को ढांकने की कोशिश करेगी तब भी वह ढंक नहीं सकती। यदि सरकार यह बताये कि मोटर ट्रान्सपोर्ट सन् ४६ में चलती थी उस समय कितना किराया दिया जाता था, वसूल किया जाता था

(श्री भैरोंसिंह)

और आज सन् ६० में कितना किराया वसूल किया जाता है. इनमें कितना अन्तर है तो .उनके आंकड़े निरर्थक साबित होंगे । कल ही सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गलत तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा और बताया कि प्राइस इन्डेक्स की तुलना वेतन से की गई है। जब कि प्राइस इन्डेक्स की तुलना तो मार्केट वेल्यू से की जाती है । दुनिया के किसी भी इकोनोमिस्ट ने आज तक इस प्रकार से तुलना नहीं की होगी जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की । ऐसा कर विभाग के माननीय मंत्री महोदय भी कर सकते हैं कि इतनी गाड़ियां ४९ में थी और ६० में इतनी गाड़ियों का नम्बर बढ़ गया है । ट्रान्सपोर्ट का विकास हुआ है और गाड़ियों का नम्बर भी बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । सवाल यह होता है कि किराया भी बढ़ा है तो क्या सहूलियतें जो लोगों को मिलनी चाहिये थीं वे मिली हैं ?

ट्रान्सपोर्ट के नाम पर सहूलियतें मिली हैं और किराये का जहां तक सम्बन्ध है उसमें भी दुगुने से कम वृद्धि नहीं हुई है । जहां भारत सरकार डीज़ल पर टैक्स लगाती है वहां राजस्थान सरकार पेट्रोल पर लगाती है । एक तरफ टाइज पर कर लगाते हैं दूसरी तरफ दूसरे दूसरे पार्ट्स पर लगाते हैं । इन सारी चीजों का प्रत्यक्ष रूप से किसी कर-दाता पर असर नहीं आता और जहां तक अप्रत्यक्ष कर का संबन्ध है कोई जेब से नहीं देता आखिर इसका भार जो बैठने वाले हैं उन्हीं पर पड़ने वाला है ।

राजस्थान सरकार पंचवर्षीय योजना के आधार पर टैक्स लगाती है। लेकिन इस विषय में कम से कम इस सरकार को जांच करनी चाहिये कि जिस क्षेत्र के अन्दर टैक्स लगाना चाहते हैं वह क्षेत्र कितना टैक्स अदा कर सकता है, वहां की केपेसिटी कितनी है और लोगों को कितना देना चाहिये और उस आधार पर जितना टैक्स आता है, उसमें से कितना सरप्लस समझते हैं । इसकी जांच आपने की नहीं । जांच करें भी क्यों ? अगर जांच करते हैं तो स्थिति साफ हो जाय ? जिस समय पैसों की आवश्यकता होती है तो मोटर ट्रान्सपोर्ट पर सरकार हर प्रकार का टैक्स लगाकर उससे वसूल करने की चेष्टा करती है। रेलवे की आमदनी के अन्दर कमी हुई तो उसका असर राजस्थान की मोटर बस सर्विसेज़ पर पड़ा और इसके कारण राजस्थान में पैसेन्जर और गुड्स पर टैक्स लगाना पड़ा । रेलवे का इन्तजाम भारत सरकार से ताल्लुक रखता है वह उसका इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं कर सकती और वह ट्रान्सपोर्ट के कम्पीटिशन में ठहर नहीं सकती । ऐसी स्थिति को देख कर यह ठीक समझा गया कि लोगों पर किराया बढ़ाया जाय उन लोगों पर जो मोटरों में बैठ कर जाते हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार कितना ही टैक्स बढा दें किन्तु जहां तक सहूलियत का सवाल है लोग इस ओर अग्रसर होंगे ही । लोग सहूलियत के हिसाब से मोटरों में बैठते हैं । इतना कुछ होते हुए भी लोग यदि गाड़ियों में बैठते हैं तो वे मजबूरी के कारण बैठते हैं । आप टैक्स लगाते हैं उन लोगों पर जो मोटरों में बैठते हैं, बसेज़ में बैठते हैं । आप चाहते हैं कि ये जो मोटरों और बसेज़ में बैठने वाले हैं उनसे जितना टैक्स वसूल किया जा सकता

(श्री भैरोंसिंह)

है कर लेना चाहिये। क्योंकि टैक्स का भार भी बढ़ा देते हैं तो भी ये सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लोग उनमें बैठेंगे ही।

पिछली बार पैसेंजर गुड्स पर टैक्स लगा कर हमने ३० लाख की आमदनी आंकी थी लेकिन वह आमदनी बाद में जाकर ५५ लाख के करीब हो गई। २५ लाख रुपया आपके एस्टीमेट से ज्यादा प्राप्त हुआ। जहां आपने मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाने से चार लाख की आमदनी आंकी है आखिर वह एस्टीमेट किस आधार पर लगाया है? राजस्थान सरकार ने यह सोचा हो कि इतने गेलन पेट्रोल की बिक्री होती है और इस तरह से नाप–तोल की प्रणाली बदल जाने के कारण लिटर बेसिस पर जो नाप की प्रणाली आयी है उससे अनुमान लगाया होगा जिससे चार लाख के आसपास के आंकड़े आ जाते हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ मेटीरियल मैं इकट्ठा कर पाया हूं उसके बेसिस पर मैं इस बात पर नहीं पहुँचा कि इस प्रकार के प्रयत्न के बावजूद इतनी आमदनी होगी या नहीं। आपने इस बारे में जांच करने का प्रयत्न नहीं किया। जिस आधार पर आपने चार लाख का अन्दाज लगाया वह पेट्रोल कन्ज़म्प्शन या सेल के आधार पर परिणाम निकाला है। इस हिसाब से मैंने भी मैथेमेटिकल केल्कुलेशन करवाया है, उससे यह जो आपका केल्कुलेशन है वह ठीक नहीं बैठता। ये चार लाख रुपये के आंकड़े आपने किस आधार पर अनुमानित किये, यह तो मंत्री महोदय ही बता सकेंगे।

अब एक प्रश्न आता है: आज हम अगर इस प्रकार से चार लाख रुपये को वसूल न करें तो क्या दूसरा तरीका भी है जिससे हमारा यह चार लाख का टैक्स वसूल हो सकता है या नहीं? यह बात सही है कि बजट पास करके हमने कुछ कॉमिटमेंट्स किये हैं, चार लाख का एडीशनल प्रोविजन हमने स्वीकार किया है। अगर हम उससे अलग हटते हैं तो हमारा चार लाख का जो एडीशनल एक्सपेन्डीचर है वह किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार फुलफिल कर सकते हैं? इसकी लाएबिलिटी हमारे पर आती है। इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि टेक्निकल पॉइन्ट ऑफ व्यू से यह बात सही है लेकिन उसकी लॉएबिलिटी जिस रूप में हमने ली है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, यह कोई जरूरी नहीं होता। अगर माननीय मंत्री महोदय की इच्छा हो तो मैं एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जो पेट्रोल पर, स्पिरिट पर टैक्स लगा रहे हैं उसका असर आखिर जाकर उसमें बैठनेवालों पर पड़ेगा और उससे केवल चार लाख की आमदनी होगी। राजस्थान के अन्दर जो पैसेन्जर आते जाते हैं या गुड्स की गाड़िया हैं जो माल को आसपास या इधर उधर ले जाती हैं उनको सबको टैक्स से मुक्त कर दें व जो भी पैट्रोल खरीदते हैं उन सबके ऊपर किसी प्रकार किसी के टैक्स न लगाये जायं। बाकी जो जो लोग इन्कम टैक्स पे करते हैं, जिनके पास आमदनी का जरिया है उन पर इस प्रकार के टैक्स को केल्कुलेट किया जाय तो यह इतनी आमदनी आसानी से प्राप्त हो सकती है। गुड्स के अन्दर मुनाफा कमाने की दृष्टि से करते हैं, रेलवे-व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था करते, हैं बाकी ऐसी गाड़ियों को टैक्स लगा देना चाहिये जो गाड़ियां केवल माल को इधर उधर ठेके के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह)

छोड़ देते हैं । उन पर टैक्स लगा देते हैं तो चार लाख रुपये की आमदनी मुश्किल नहीं होगी । बड़े बड़े मालदार और जो धनी हैं, जिनके पास एक नहीं दो दो, तीन तीन गाडियां हैं जिनको गाडियों में बैठने के अलावा और कोई काम नहीं, दूसरी किसी सवारी का उपयोग नहीं करते उन पर टैक्स लगा देते हैं तो यह साधारण जनता पर जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया है उससे वे बच जायेंगे । आपका केवल इतना मात्र कह देना कि हम ओपरेटर्स से वसूल करेंगे, पेट्रोल खरीदनेवालों पर आयगा, यह बात नहीं । इसका असर आखिर जाकर सामान्य जनता पर आने वाला है । सरकार कम से कम एक निश्चय कर ले कि बाहर जितनी भी बसेज़ जाती हैं, बस ओपरेटर्स से किसी भी रूप में कर वसूल न करें, उसके बजाय जितने भी प्राइवेट कार्स वाले हैं, जो लोग इन्कम टैक्स पे करते हैं उनसे यह कर वसूल कर लिया जाय तो किसी हदतक यह स्वीकार किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की बाधा सामने नहीं आयगी । ऐसी स्थिति के अन्दर इससे यातायात व्यवस्था के अन्दर, उसके विकास के अन्दर किसी भी प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला नहीं । यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । सदन में कहने के बावजूद भी यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते है तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं आपके लिये डिनर के आयोजन के लिये प्रयास करूं, ताकि आप उनको इस प्रकार की राहत दे सकें और उसमें जनता के नाम पर डीनर को आमन्त्रित करूं । डीनर के कारण हो सकता है, आप इस प्रकार के टैक्स को माफ कर सकते हैं तो मैं उस प्रकार की व्यवस्था करने का आयोजन करूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हुआ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी मुझसे सहयोग करें और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर विचार करें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जहां टैक्स लगाने की मन्शा है और जो संशोधन लाया गया है उन दोनों में अन्तर होना चाहिये । सरकार ने एक प्रणाली बना ली है कि जहां नाप तोल की प्रणाली बदल गई है उसके कारण कर प्रणाली में भी अन्तर करना पड़ा है और इसको लेकर कई विधेयक हमारे सामने आये हैं । जहां देश में मैट्रिक प्रणाली को स्वीकार किया है, उसी को आधार मान कर यह विधेयक लाया गया है । यह कहा जाता है कि जहां इस प्रणाली को बदला गया है प्रणाली के साथ में जहां नये पैसे से उसकी रेट मुकर्रर हुई है, जो लीटर प्रणाली का यूज़ इसमें किया जायगा उसी के कारण हम केवल नया माप–तोल अंगीकार कर रहे हैं इसलिये इस प्रकार का परिवर्त्तन करना पड़ा है । जहां तक प्रणाली को बदलने का सवाल है सारे देश के अन्दर एक प्रणाली हो, इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता और इससे किसी को ऐतराज भी नहीं हो सकता । लेकिन इसके साथ साथ आप जो टैक्स बढ़ा रहे हैं और वह भी नई प्रणाली माप–तोल के कारण, वह बात समझ में आनी वाली नहीं है । दोनों बातें अलग अलग रूप में आतीं तो समझ में आ सकता था । जहां आपने माप–तोल की प्रणाली बदली है वहां आप टैक्स की प्रणाली भी उसी के अनुरूप बदल

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सकते हैं। जहां दस नये पैसे टैक्स लिये जाते थे वहां आप ८ नया पैसा भी कर सकते थे। डेसीमल कोइनेज के आधार पर आप कर प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। जहां ४० नये पैसे हैं वहां दस नये पैसे भी तो आप कर सकते हैं। आखिर इसका आधार क्या है ? मैं जहां तक समझ पाया हूं इसमें केवल टैक्स बढ़ाने का ही आधार आपने माना है। जब हमने लिटर प्रणाली अपनाली तो नाम में अन्तर आवे आप उसे लागू करें, पर टैक्स में अन्तर क्यों आना चाहिये ? केल्कुलेशन से, हिसाब से जितना पैसा बनता है उसी हिसाब से यह तो अपने आप भी चलता रहेगा। इस पर नये पैसों का क्या अन्तर आवेगा ? आप पैसों की बात भी क्यों बांधते हैं ? तो यह जो टैक्स बढ़ाने की वृत्ति है उचित नहीं है, इसे आपको नहीं अपनाना चाहिये। फिर प्रणाली के साथ साथ आप हर समय टैक्स के बढ़ाने की बात भी हर साल करते रहें, यह भी ठीक नहीं है। अगर आपको यह भी कुछ बढ़ाना—करना ही है तो आप एक बार ही सब कर लें। तो समय समय पर इस मीटर प्रणाली के नाम पर आप जो टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री): माननीय अध्यक्ष, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने १ अप्रेल, १६६० से मैट्रिक प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। इस उद्देश्य और निश्चय को सामने रख कर इस बिल में अमेंडमेंट पेश हुआ है। इसमें क्लॉज ३ के मुताबिक यह स्पष्ट है कि हम चालीस नये पैसे तक टैक्स लगा सकते हैं। अब गैलन के बजाय जब लिटर हो गया तो लिटर पर दस नये पैसे के हिसाब से हमने टैक्स लगाने की तजवीज की है। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि इसकी वजह से जैसा माननीय सदस्यों ने जो दो भाषण दिये हैं कोई टैक्स बढ़ाने की बात हो, लेकिन श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य के भाषण से ऐसा मालूम हुआ कि विरोध में तो वे कोई बात नहीं कहना चाहते, पर अपनी आदत के मुताबिक मन्त्री लोगों को गाली निकालने की उनकी मंशा थी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा क्यों मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह आपकी नई बुद्धि का परिचय है, नये मिनिस्टर जो बने हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But the Hon'ble Member did cast an aspersion when he said that if the Hon'ble Minister was given a dinner he would consider and reduce the tax. That was an aspersion.

श्री भैरोंसिंह : It was a fact.

श्री पी० के० चौधरी : I do maintain that it was an aspersion.

श्री अध्यक्ष : It was an oblique reference.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका तो additional एन्टर्टेन्मेंट का बिल था, वह आपने एक्ट बना दिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मन्त्रीजी ने जो कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

कहा कि उनको गाली देने के पर्पज़ से विरोध किया गया है, यह बुरा एक्सप्रेशन है। अगर मन्त्रियों की भाषा में इसी प्रकार का स्तर आता है तो वे गलत परम्पराएं लाएंगी। अगर डिनर के बारे में मेरे कहने में कोई गल्ती हो तो मैं उसके लिये क्षमा मांगने को तैयार हूं; पर उस पर मन्त्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, यह किसी भी प्रकार के औचित्य को सिद्ध नहीं करता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गाली से मेरा मतलब यह नहीं था कि कोई भद्दा शब्द इस्तेमाल करता हूं। पर आपका डिनर का मतलब आक्षेप करने से है, तो मेरा गाली का मतलब इसी से है कि बिना मतलब आक्षेप करने से ही है। जिसके लिये आपने कहा वह तो इस बिल से दूर की बात है।

श्री भैरोंसिंह : आप आक्षेप का प्रयोग कर सकते हैं गाली के स्थान पर और अगर आक्षेप के लिये उपयुक्त शब्द आपको नहीं आता दूसरा तो चुप ही रह जाते।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम आपसे यह भाषा भी सीख रहे हैं।

तो अगर आप इस बिल पर यह न बोल कर एन्टरटेनमेंट बिल पर बोलते हैं, उसमें हमने एडीशनल टैक्स लगाया है वह २) पर-हन्ड्रेड सेंट आया है मैक्ज़िमम। उसमें कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कानून की कोई ऐसी मंशा नहीं कि हम दो पैसा लगावें, आठ आना लगावें या बारह आना लगावें। एक लिटर पर १० नये पैसा मेग्ज़िमन रखा है। इसका मतलब यह लिया कि एक लिटर ले लिया और उस पर हम कोई टैक्स बढ़ा रहे हों, ऐसी बात कह दी।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सदन में जो विचार additional Entertainment Tax का हुआ उसमें कौन सा टैक्स घटा दिया, कोई बात ऐसी नहीं आई है। दो रुपया तक लगा सकते हैं वह भी। उसके अन्दर कहां तक मैग्ज़िमम ले जा सकते हैं, यह बताया है। इसके अन्दर रह कर लगाया जावे तो वह जायज़ है।

इसी तरह इस बिल में भी जो लिटर पर दस नये पैसे लगाये हैं वह भी मैग्ज़िमम है। उसमें भी आप कहीं तक भी लगा सकते हैं। तो जितना उचित होगा उतना लगाया जावेगा पर चूंकि यह प्रणाली सारी जगह सारे भारत में कल से लागू करनी है, इसलिये इस बिल को आपके सामने पेश किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : वह केल्कुलेशन तो बतावें कि कितना लगाना चाहते हैं? चार लाख का आपका मैथेमेटिकल केल्कुलेशन क्या है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : दस पैसा मैग्ज़िमम है।

श्री भैरोंसिंह : चार लाख का एस्टीमेट कैसे किया?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस तरह कि पहले जितना लगता आया है, यानि ३२

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

नये पैसे पहले थे और अब चालीस नये पैसे किये हैं। तो इस तरह जो बढ़ेगा और फिर कन्ज्यूम भी होगा, जैसे हर साल ज्यादा होता आया है उसी हिसाब से इस साल भी हमने अनुमान किया है, इन दो बातों को आधार मान कर हमने हिसाब लगाया है। इसमें लाख-पचास -हजार कम-वेशी इधर उधर हो सकता है। आखिर अभी तो अन्दाज ही से लगाया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आपने दस पैसे से हिसाब लगाया है या कितने से लगाया है, यह तो बताइये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो अब बतावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप फिर किस हिसाब से इस बात पर पहुँच गये कि चार लाख हो जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो पहले के हिसाब से लगाया है अन्दाज।

श्री भैरोंसिंह : आपने चार लाख का अनुमान लगा कर फिर इस हिसाब से दस पैसे पर आप पहुँचे हैं, या दस पैसा लगा कर फिर आपने चार लाख का केल्कुलेशन किया है। किस तरह से यह चार लाख का फिगर आपने सोचा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिये पिछले साल का रेकॉर्ड देते हैं, फिर देखते हैं कि हर साल कितनी मोटरों में वृद्धि हुई, उस हिसाब से इस साल कितनी होगी और फिर अगर दस पैसा करते हैं तो कितनी हो जावेगी? तो इस तरह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चार लाख का टैक्स केल्कुलेशन किया है। इसमें लाख-पचास हज़ार का इधर-उधर का फर्क हो सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माल की ज्यादा खपत होगी, इस आधार पर लगा रहे हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं, मोटरें और व्हिकल्स वैसे वैसे बढ़ती हैं, हम यह सोचते हैं और उसी हिसाब से माल की भी बिक्री ज्यादा होगी, माल इधर से उधर ले जाया भी ज्यादा जावेगा।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यूनिट के बदलने से माल की बिक्री पर असर पड़ेगा क्या ? इसका माल की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो ट्रैफिक का सवाल है। जैसे जैसे ट्रान्सपोर्ट बढ़ता है उसी तरह से मोटर स्पिरिट वगैरह का कन्ज़म्पशन भी बढेगा, माल भी इधर से उधर ज्यादा आवेगा-जावेगा, तो इसको भी ध्यान में हम रखते हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : मेरा निवेदन यह है कि अब तक टैक्स लगाया गया था गैलन को यूनिट मान कर और चालीस नये पैसे पर गैलन आपने लगाया। अब यूनिट आपको बदलना है, गैलन की जगह लिटर करना है। इसका माल की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा यह सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पर हर साल खपत में जो बढ़ोतरी होती है यह तो होगी ही।

श्री रामचन्द्र : वह अलग चीज़ है। यहां पर तो प्रश्न है लिटर से टैक्स अधिक आने की बात का, यह कैसे होगा? आपने दस पैसे की बात की है, तो आपके गैलन में कितने लिटर होते हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक गैलन में ४॥ लिटर के करीब होते हैं और ३२ लाख की आमदनी हमें इस टैक्स से हो सकेगी। तो अब भी हम उसी के बेसिस पर अन्दाज लगाते हैं कि उस हिसाब से चार लाख की आमदनी हमें इससे और हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री अध्यक्ष : विधेयक के क्लॉज २ पर श्री पी० के० चौधरी का संशोधन है।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्लॉज़ दो पर संशोधन हैं। I move the amendment to replace the words "ten naye paise" by the words "nine naye paise".

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कहा गया है कि :

"The Government of India have decided to introduce Metric System in the purchase and sale of Motor Spirit from the first April, 1960. It has, therefore, become necessary to amend the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1954, in order to provide for levy of Tax per litre instead of per gallon."

अध्यक्ष महोदय, यह जो केस है it is purely a case of conversion. एक गैलन जो है वह ४॥ लीटर का कन्वर्शन है। तो जहां एक गैलन के ऊपर ४० नये पैसे का टैक्स होता था वहां अब १० नये पैसे पर–लीटर के हिसाब से ४५ नये पैसे चार्ज होंगे और जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है: Slight changes in the excise rates are likely to give additional revenue of 7 lakhs. ये जो चेन्जेज़ हैं उनसे ७ लाख रुपये की आमदनी विज़ुअलाइज़ की है। यह जो एक्साइज़ रेट राइज़ किया है वह मोटर स्पिरिट के अलावा और किसी पर भी नहीं है। इसलिए हम इस बात को मानकर चलते हैं कि इससे ४ लाख की आमदनी नहीं बल्कि इस कन्वर्शन से उनको लगभग ७ लाख रुपये की आमदनी विज़ुएलाइज़ करते हैं। तो मेरा निवेदन था और इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में भी लोगों ने कहा है कि आज ट्रान्सपोर्ट के ऊपर काफी बोझ न्यू टैक्सेशन से आया है। कुछ तो बर्डन पर्चेज़ेज़ से हो गया है। अगर कोई रोड ट्रान्सपोर्ट व्हीकल पर्चेज़ करे तो १५ परसेंट ड्यूटी उसके ऊपर लगा दी और मोटर स्पिरिट टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है और यहां पर मैं तो मानता हूँ कि जो अब ४० नये पैसे का टैक्स है वह अब इस नयी रेट से ४५ नये पैसे का हो जायेगा। इसका मतलब होता है कि लगभग १५ पर्सेन्ट उसमें टैक्स बढ़ गया। इसलिए मेरा निवेदन था कि अगर सिर्फ कन्वर्शन का ही सवाल है तो उस कन्वर्शन की रेट को ऐसा रखा जाये कि जो

(श्री पी० के० चौधरी)

एग्ज़िस्टिंग बर्डन ऑफ टैक्स है कम से कम इस ट्रेड में, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हो। क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा रोड ट्रान्सपोर्ट डेवलप करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोड ट्रान्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और जिसके ऊपर हमारे देश की इकोनोमिक डेवलपमेंट डिपेण्ड करती है। नॉट ओनली पैसेंजर्स ट्रान्सपोर्ट बल्कि गुड्स ट्रान्सपोर्ट के अन्दर भी कम से कम इन्सीडेन्स उसके ऊपर होना चाहिए। इस दृष्टि से मैं चाहता था कि उनके ऊपर जो टैक्स का ऑलरेडी बर्डन है और जो बर्डन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया है स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई बर्डन न हो और जहां तक मुझे ख्याल है सेन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने भी अपनी विश एक्सप्रेस की है और मैंने खबर में पढ़ा है कि प्लानिंग कमीशन ने स्टेट्स को कहा है कि उनकी तरफ से जो मोटर ट्रान्सपोर्ट है उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं बढ़ाया जाये। तो जो मोटर स्पिरिट का टैक्सेशन है वह भी तो मोटर ट्रान्सपोर्ट के ऊपर पड़ता है क्योंकि इसका कन्ज़म्पशन मोटर ट्रान्सपोर्ट में ही करते हैं। तो जब प्लानिंग कमीशन का डाइरेक्टिव है, "In view of Central Taxation on Motor Spirit, no further incidence in this respect should be increased by the State Governments." इस ख्याल से मैं देखता हूँ कि कन्वर्शन के नाम से एडीशनल टैक्स बर्डन उनके ऊपर न पड़ जाये इसलिए मैंने ९ नये पैसे का अमेन्डमेंट रखा था। ९ नये पैसे पर-लीटर के हिसाब से एक गैलन का रिटर्न आयेगा वह ४०.५ नये पैसे आता है। फिर भी नुकसान तो नहीं होता है बल्कि जो एग्ज़िस्टिंग टैक्स आप रियेलाइज़ करते हैं उससे ५ नये पैसे ज्यादा मिलता है। इसलिए मैंने यह रखा था। बल्कि एक्चुअली उनको ८ नये पैसे करने चाहिए थे जिससे कि टैक्स बढ़ता नहीं और बल्कि कुछ कम ही होता। लेकिन उन्होंने मेग्ज़िमम लिमिट रखी है it will be the maximum limit.

इस ख्याल से ९ नये पैसे रखा है जिससे आज जो ४० नये पैसे का लिमिट है उससे यह लिमिट रह जाती है और उसके कन्वर्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह ९ नये पैसे के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लें। हां, एक दलील उसमें आ सकती है और जो अक्सर दी भी जाती है कि ९ नये पैसे लेने से हमें कन्वर्शन में दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आइन्दा जाकर जो पेट्रोल का मेज़रमेन्ट है वह लीटर से ही होगा गैलन को आपको रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप गैलन को रेफर नहीं करेंगे तो कन्वर्शन की डिफिकल्टी नहीं होगी। चाहे ९ नये पैसे हों या १० नये पैसे हों, it makes no difference. इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें, वह ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री रामचन्द्र (डग–मु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके विरोध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो मैट्रिक प्रणाली रखी है उसका मूल उद्देश्य है कि जनता में आपस में लेनदेन में सुविधा हो।

Page No.43

(श्री रामचन्द्र)

उसी के अनुसार ही सिक्का बनाया गया है और वह है एक नया पैसा, दो नया पैसा, ५ नया पैसा और १० नया पैसा । यानि गवर्नमेन्ट ने ५ का मल्टीपल का सिक्का रखा है ताकि लेन–देन में जो भाव तय हो वह ५ और ५ के मल्टीपल में ही तय हुआ करे और सरकार भी टैक्स लगाये तो इसी के अनुसार ही वह कर की रेट कायम करे ताकि कर देने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न रहे । इस बात को ध्यान में रख कर मंत्री महोदय ने जो लिटर के आधार को यूनिट मान कर १० नया पैसा रखा है, मैं समझता हूं, यह उचित है । इसमें फर्क मुश्किल से १,२ नये पैसे का आता है । यानि माननीय सदस्य का अमेन्डमेंट यह है कि ९ नये पैसे रखा जाये और मंत्री महोदय की यह धारणा है कि १० नये पैसे रखा जाये । ९ नये पैसे रखने में फिर वही दिक्कत गुणा वगैरह करने की आयेगी और अगर १० नये पैसे रखा जाये तो जितनी ही संख्या लिटर की होगी केवल एक बिन्दी लगाने से उसकी पूरी कीमत मालूम हो जायेगी । मान लीजिए कि किसी ने ३,६५६ गैलन पेट्रोल खरीदा । अब उसके कितने पैसे हुए ? तो मैट्रिक प्रणाली के अनुसार एक सिफर बढ़ा दो और उसमें सौ का भाग दो तो वह रुपया हो गया । इसमें विशेष गुणा करने की जरूरत नहीं है । यदि ९ नये पैसे रखे जायेंगे तो जनता हिसाब किताब के उलझन में पड़ेगी और सरकार की जो हिसाब लगाने की मन्शा है वह पूरी नहीं होगी । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो रेट कायम किये गये हैं पर–लीटर के हिसाब से १० नये पैसे थे उतने ही रहने चाहिए । ९ नये पैसे रखने से हिसाब में गड़बड़ होगी, यही मेरा निवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन करने से पहले मैं एक बात माननीय सदस्य ने जो कही थी और उसके कारण से जो व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार और सदन में बिल विचारार्थ लिये जाने की जो परम्पराएं हैं उन परम्पराओं के अनुसार और मुझे दिन तो याद नहीं लेकिन संभवतया २–३ इस प्रकार की सदन में रूलिंग्स भी हो गई हैं जिन रूलिंग्स के आधार के ऊपर मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि क्या किसी बिल के अन्दर, यदि बिल की क्लॉजेज़ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के अगेन्स्ट में बनी हुई हैं, तो सदन में वह विचारार्थ लिये जा सकते हैं या नहीं ? इस बिल में जहां कि क्लॉज़ के ऊपर चर्चा की जा रही है :

" In Section 3 of the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1954 (Rajasthan Act 6 of I954), for the words 'forty nayepaise per gallon, the words' ten naye paise per Iitre' shall be substituted on and from the first of April, 1960'" और स्टेटमेंट्स ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है :

" The Government of India have decided to introducMe etric System in the purchase and sale of Motor Spriit from the lst April, 1960. It has, there-

(श्री भैरोंसिंह)

fore, become, necessary to amend the Rajasthan Sale of Motor Spirit Taxation Act, 1954, in order to provide for levy of tax per litre instead of per gallon. This Bill seeks to substitute the maximum rate of ten naye paise per litre forforty naye paise per gallon. अब इसमें क्वेश्चन यह आता है कि स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत सरकार ने नाप–तोल की जो प्रणाली है उसमें इस प्रकार का परिवर्त्तन किया है जिस परिवर्त्तन के कारण लिटर (गैलन) के स्थान पर गैलन (लिटर) पद्धत्ति को स्वीकार करना पड़ा है और उस पद्धत्ति को एडजस्ट करने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। अब उस स्थिति के अन्दर स्टेटमेंट के द्वारा यह पता लगता है कि भारत सरकार ने जो पद्धत्ति अपनाई है उस पद्धत्ति को एकोमोडेट करने के लिए केवल यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कहीं इस बात का संकेत नहीं है, भारत सरकार की पद्धत्ति में कहीं इस बात का संकेत नहीं है कि ४० नये पैसे पर गैलन के बजाय १० नये पैसे पर लिटर कर दिया जाय और उसके करने से ४ लाख की जो आमदनी होती है उस आमदनी को स्वीकार कर लिया जाग। मैं माननीय मंत्री महोदय से जिस समय वे इसका उत्तर दें तो इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा और सदन में यह निवेदन करूंगा कि जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वह स्टेटमेंट में क्लॉज़ की मन्शा के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा था कि ६ नये पैसों से कुछ कमी बेशी के साथ यह एडजस्टमेंट होता है। मैंने इसी सम्बन्ध में अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण को देखा और उसी भाषण में केवल झालावाड़ से आवनेाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका कुछ संकेत मिलता है। उसमें लिखा है :

" The present rate on gallonage if calculated on litre works out in a fraction and it has to be kept in round figure with a view to facilitate calculation. " वहां पर उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि राउन्ड फीगर के अन्दर इस सारी चीज पर जो टैक्स लगेगा, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसकी राउन्ड फीगर में हमें व्यवस्था करनी पड़ी है। लेकिन राउन्ड फीगर का कोई संकेत नहीं है और संकेत नहीं है उस स्थिति के अन्दर यह मान कर चलना पड़ेगा कि सरकार स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में भारत सरकार द्वारा बनाई गई पद्धत्ति को स्वीकार करने की इच्छा से रखती है और उसको स्वीकार करने की दृष्टि से ही इस प्रकार का संशोधन पेश किया है। लेकिन संशोधन में जो १० नये पैसे आते हैं वे १० नये पैसे उस मन्शा के बिल्कुल विपरीत आते हैं। उस स्थिति में स्टेटमेंट में जो बात कही है उसके विपरीत इस क्लॉज़ के अन्दर यह बात रखी है।

दूसरा प्रश्न है जिसके बारे में मैं माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं का समर्थन करता हूं। उसका यह कारण है कि अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने जबाब देते हुए बताया और बताया ही नहीं, यदि मैं यह कहूं कि सदन में कोई बात स्पष्ट रूप से कहने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ सरकार ने ४ लाख के टैक्स लगाये और दूसरी

(श्री भैरोंसिंह)

तरफ सरकार से यदि कोई पूछे कि उसका केल्कुलेशन किस प्रकार से हुआ, कितने पैसों पर केल्कुलेट किया है, तो आप कहते हैं कि १० नये पैसे पर–लिटर मेग्ज़िमम है जिस तरह कि ४० नये पैसे पर–गैलन मेग्ज़िमम था और सरकार ने ३२ नये पैसे कैसे लगा रखे थे, उसी तरह से माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि १० नये पैसे मेग्ज़िमम हैं। तो इसके अन्दर कम भी लगा सकते हैं। यह पूछें कि क्या कम लगायेंगे, कब से लगायेंगे ? कल से, १ अप्रेल से टैक्स लगेगा और ४ लाख का आज से २५ दिन पहले उस समय जब कि बजट पेश किया गया था ४ लाख का एसेसमेंट कर लिया गया और आज मंत्रीजी कहते हैं कि कम भी लगा सकते है और उनसे यह पूछते हैं कि कितना है तो कहते हैं कि सरकार एसेसमेंट करेगी। मैं उस सरकार से पूछता हूं कि आज इस समय १ बज गया है और कल से यह टैक्स लगेगा और आपको पता नहीं कि कितना होगा ? यह सरकार है या तमाशा है ? सरकार को पहले एसेसमेंट करवाना था। २५ दिन के अर्से से पहले जब कि विधान सभा में रखा गया था तब से लेकर आज तक एसेसमेंट नहीं हो सका। अगर किया भी होगा तो वह एसेसमेंट सदन में नहीं बता सके हैं। सरकार को आज तक यह पता नहीं कि किस आधार पर टैक्स लगेगा तो उसका कोई आधार नहीं है। किस तरह से ४ लाख का टैक्स लगेगा जब कि इधर आप कहते हैं १० नये पैसे मेग्ज़िमम सरकार का दायरा है। उसके अन्दर कम भी कर सकती है तो किस स्तर तक कम किया है ? ६ नये पैसे, या ८ नये पैसे या ९ नये पैसे आपका केल्कुलेशन क्या है ? ९ नये पैसे भी आप केलकुलेट करके चलते हैं तो भी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं होती है, मामूली सी वृद्धि होती है, मैं समझता हूं कि कुछ हजारों रुपये की वृद्धि होगी। इसलिए आप यह कह कर मुगालता सदन को देना चाहें कि १० नये पैसे मेग्ज़िमम है, उसको कम कर सकते हैं। जब आप कम कर सकते हैं तो ९ नये पैसे क्यों नहीं मन्जूर कर लेते हैं ? ९ नये पैसों से पूरा केलेकुशन बैठता है। उसके बाद में ४ लाख की बचत नहीं होती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ४ लाख की बचत के लिए आप मेग्ज़िमम टैक्स वसूल करना चाहते हैं। इसमें मिनिमम करने का सवाल नहीं आता है। इसमें एक पॉइन्ट भी कम करने का सवाल नहीं आता है, एक नया पैसा भी कम करने का सवाल नहीं आता है। तो सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि १० नये पैसे मैग्ज़िमम नहीं हैं, अगर मेग्ज़िमम हैं तो उससे हम कम करने वाले नहीं हैं। जो कुछ टैक्स वसूल करना चाहते हैं वह १० नये पैसे के हिसाब से लेने वाले हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह मेग्ज़िमम है और इससे कम भी किया जा सकता है तो माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्टीकरण करेंगे कि कितना कम किया जायगा और कितना कम किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि एक पॉइन्ट भी वह कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह बात कही है तो मैं यह कह सकता हूं कि उन्हें जानकारी नहीं होने के कारण यह बात कह दी होगी।

अब प्रश्न यह आता है, मैं, टैक्स बढ़ाते हैं उन सिद्धान्तों पर नहीं जाता हूं, टैक्स कितना आयेगा, उस चीज़ पर नहीं जाता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं, कि मंत्री महोदय ने केल्कुलेट नहीं किया है कि कितनी कमी होगी ; यह तय कर लें। टैक्स का असर किन पर होगा इसका कोई उत्तर नहीं। टैक्स जिन पर लगेगा उनकी टैक्स देने की शक्ति है या नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं। यदि उन बातों को कहते हैं आप सदन के अन्दर तो आप कहते हैं कि विचार किया जा सकता है।. इन्टर्टेनमेंट टैक्स का आप हवाला देते हैं। मुझे सुन कर अफसोस हुआ कि उन्हें मालूम नहीं कि टैक्स क्या था और टैक्स में रियायत क्या थी ? मैं समझता हूं कि यह जो ३,४ लाइन्स फरमाईं उनमें भी फैक्ट्स नहीं थे। उन चीजों को मैं छिपाने की दृष्टि से कहूं, यह शायद उनको जानकारी नहीं थी, ऐसा कहूँ। कितना टैक्स लगाया जाय और कितना टैक्स कम होगा ? तो माननीय मंत्री महोदय कह जाते हैं कि कोई विशेष अन्तर होने वाला नहीं है। क्या इस स्थिति में मंत्रीजी हैं कि एन्टरटेनमेंट की हाउस में चर्चा हुई थी उसके कारण से जितनी आमदनी होने वाली है उस आमदनी की घोषणा करने की बात को हाउस में नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कह सकते हैं हाउस में उस बात को। एक दफा गलती हो गई डिनर में जाकर घोषणा करने की। डिनर में जाकर घोषणा करें या न करें, लेकिन सदन का सदस्य होने के नाते इसमें सदन का अपमान समझता हूं कि जिस बात को सदन में स्वीकार नहीं करते हैं उसको आप डिनर में स्वीकार करते हैं। इस संबंध में आगे जो व्यवस्था की बात होगी वह सदन में आयेगी। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि सदन की घोषणा में और बाहर की घोषणा में टैक्सेज़ में अन्तर है, उसको स्वीकार करके चलें। उसको आप दरगुजर करके नहीं चल सकते हैं, अगर किसी प्रकार का अन्तर हो तो। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की मन्शा टैक्स लगाने की नहीं है। जिस तरह से कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इस बात का संकेत हमको मिलता है कि टैक्स लगाने की सरकार की मन्शा नहीं है। सरकार रोड ट्रान्सपोर्ट के डेवलपमेंट के अन्दर विश्वास करती है। रोड डेवलपमेंट के अन्दर उसका किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े, इस प्रकार की चेष्टा करते हैं। उस स्थिति में इस पॉइन्ट को कैसे भी कहें। हम जितना टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स के कारण ट्रान्सपोर्ट पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है,इसकी सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं। सरकार की तरफ से इस बात की कोई चेष्टा नहीं की गई कि आज इस टैक्स को जो ऑपरेटर्स से वसूल करेंगे वह कभी पेसेन्जर्स पर किस प्रकार से आ सकता है और आ सकने की स्थिति में पेसेन्जर में टैक्स देने की शक्ति है या नहीं और यदि देगा तो किस प्रकार का भार स्वरूप वह मालूम होगा। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है। केवल भारत सरकार के आदेश की तामील की है। भारत सरकार ने आदेश दे दिया, मंत्रीजी ने आदेश दे दिया और इस सदन ने आदेश दे दिया। लेकिन भारत सरकार के आदेश में इस बात का थोड़ा बहुत भी संकेत मिलता हो कि आप टैक्स बढ़ा दें या आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार का संकेत भारत सरकार के आदेश में मिलता है तो शायद हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं। भारत सरकार ने अपने को सीधा सा आदेश दिया है, नाप तोल के बारे में भारत सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार ने जो सीधा सा तरीका अपनाया है उसको आप भी अपनाइये। उसको अपनाने के लिये कुछ बदल–फेर करने के बजाय आप तो टैक्स ही बढ़ाने की बात करते हैं। टैक्सेज़ के बारे में जो मसानी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके बाद ५१–५२ में रिपोर्ट निकली है। उसके बाद सन् ५३ में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उनको देख कर आप अंदाजा लगा सकते थे कि आपके सारे टैक्सेज़ जो हैं, मोटर पार्ट्स के बारे में, डिज़ल के बारे में, स्पेअर पार्ट्स के मेनुफेक्चरिंग के बारे में और भी जितने टैक्सेज़ मोटरों के बारे में लगाये हैं उन सारों का मिला कर कितना असर ट्रान्सपोर्ट के डेवलपमेंट पर पड़ता है और उनका असर पेसेन्जर्स पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में आपने कोई जांच नहीं की है और जितनी रिपोर्ट्स निकली हैं उनकी अवहेलना करके और भारत सरकार के आदेश की आड लेकर कानून को तब्दील करना आसान समझते हैं। इसका असर कितना पड़ता है, उसकी आपको चिन्ता नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे और मंत्रीजी से व्यवस्था चाहूंगा कि जो बात स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में नहीं रखी गई हैं वही बात अगर क्लॉज़ में है तो वह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स के विपरीत पड़ती है, ऐसी बात अगर क्लॉज़ में आ जावे तो सदन उस पर विचार कर सकता है या नहीं : इसको सामने रखते हुए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेंट रखा है कि १० नये पैसे के बजाय ६ नये पैसे रखे जांय। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था १० नये पैसे फी लिटर के हिसाब से मेग्ज़िमम रखा गया है....

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं रहेगा क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हिसाब की सहूलियत के लिये रखा गया है। आपने कहा कि अब तक हमें यह नहीं मालूम है कि ६ नये पैसे के हिसाब से करीब करीब उतना ही आयेगा जो टैक्स प्रपोज़ किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जो टैक्स प्रपोज़ कर कर रहे हैं कल से वह ६ नये पैसे नहीं हैं बल्कि ८ नये पैसे हैं, पर–लिटर के हिसाब से आयन्दा वसूल करेंगे। पहले जो टैक्स था वह ७.०४ नये पैसे था। अब राउन्ड फिगर करने के लिये ८ नये पैसे कर दिया गया है। इसलिये मैं समझता हूँ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का मकसद पूरा होता है। इसलिये मैं समझता हूं आप इस बिल को पास करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप अमेन्डमेंट मंजूर कर लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ८ नये पैसे लगाना मंजूर कर लिया है। १० नये पैसे तो मेग्ज़िमम है। कल से जो टैक्स इम्पोज़ करेंगे वह ८ नये पैसे हैं, इससे ज्यादा नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ८ नये से कैसे पैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह तो एस्टिमेट है।

Page No.48

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : In view of the assurance given by the Hon'ble Minister, I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के अगेन्स्ट में बिल में क्लॉज़ रखा जाय, तो वह परमिटेड है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): आप कह रहे हैं कि पहले ४० नये पैसे पर-गैलन थे, अब लिटर पर १० नये पैसे कर रहे हैं; यह जो मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट है वह राजस्थान सरकार का है, भारत सरकार का बनाया हुआ नहीं है, इसलिये भारत सरकार के आदेश का प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने **यह** आपत्ति की है कि स्टेटमेन्ट ऑफ **ऑब्जेक्ट्स** एण्ड रीज़न्स में जो बात बताई गई है उससे क्लॉज़ भिन्न है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें भिन्न क्या है ?

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह लिखा है कि डेसिमल प्रणाली को ला रहे हैं इसलिये यह है और आपने क्लॉज़ में ज्यादा लगाने का प्रपोज़ किया है । It is not only conversion but some sort of fresh taxation.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा । पहले ७.०४ नये पैसे के हिसाब से था । गैलन पर ज्यादा से ज्यादा ४० नये पैसे था, अब इसको राउन्ड फिगर में करने के लिये ८ नये पैसे पर-लिटर के हिसाब से कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यही बात स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में भी कह देते तो ठीक रहता ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बढ़ा तो नहीं सकते ।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के खिलाफ कैसे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स पर जो आपत्ति उठाई है उसमें तथ्य है....

श्री श्रीभानसिंह : इसमें जो पर्मिशन गवर्नर से ली है वह १० और ४० नये पैसे के लिये ली है । उसमें जो अगर किसी मेजर से किसी क्लॉज़ में टैक्स को एक्सीड करते हैं तो उसकी पॉवर्स नहीं हैं । विदिन तो वेराई

(श्री श्रीभानसिंह)

कर सकते हैं । लेकिन इन्क्रीज़िंग पॉवर्स नहीं आती जब तक कि इसके लिये पर्मिशन नहीं ली जाती ।

श्री अध्यक्ष : पर्मिशन तो बोडी ऑफ दि बिल की ली है । माननीय सदस्य का ऑब्जेक्शन यह है कि बोडी में और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में भिन्नता है । इसलिये आप कहते हैं वह लागू नहीं होता....

श्री श्रीभानसिंह : स्कोप ऑफ दि बिल तो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से जाहिर होता है, उसके बियोन्ड कोई क्लॉज़ हो तो वह इन्कोर्पोरेट नहीं हो सकता क्योंकि जो स्कोप डिफाइन्ड है वह इसके बाहर है ।

श्री अध्यक्ष : Body of the Bill is much more important than the Statement of Objects and Reasons.

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स शुरू से प्रारम्भ होता है । स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के आधार पर ही बिल की क्लॉजेज़ ड्राफ्ट होती हैं । उसके विपरीत यदि कोई क्लॉज़ आता है तो वह स्टेटमेंट के विपरीत जाता है और गवर्नमेंट की मंशा के विपरीत जाता है । तो सरकार की मंशा के विपरीत यदि कोई बात किसी क्लॉज़ में आती है तो ऐसा समझना चाहिये कि सरकार उसको चाहती नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग में गलती हुई है, सरकार का आदेश उसके लिये नहीं था । इसलिये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से भिन्न इस प्रकार का क्लॉज़ हो तो उसको एन्टर्टेन नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : विपरीत नहीं कह सकते, लेकिन इन्कम्पलीट कह सकते हैं । वे अगर और एड कर देते जैसा कि इन्डीकेशन दिया था वित्त मंत्रीजी के स्पीच में तो अच्छा रहता । कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, but he could have amplified it. That would have been better, but there is nothing that can hold the discussion at this stage.

श्री भैरोंसिंह : ऐसी व्यवस्था हो जायगी कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में ऐसी मंशा नहीं है कि टैक्स बढ़ाया जाय और बिल के क्लॉज़ से टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसलिये इसको अभी पोस्टपोन कर दिया जाय, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को तरमीम कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को तरमीम नहीं किया जा सकता । जो सार की बात है उसको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इसलिये लिख देते हैं कि कारण का पता लग जाय....

श्री भैरोंसिंह : कारण में अंतर हो गया ।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मान सकते । स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से एक मिसलीडिंग इम्प्रेशन क्रियेट हो सकता है ; इसलिए जैसा पहले कहा जा चुका है....

श्री भैरोंसिंह : प्रिएम्बल के साथ में चला जायगा तो हाईकोर्ट में जाकर बन्द हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने बताया, we have to distinguish between the body of the Bill and the Statement of Objects and Reasons. Objects and Reasons are not the part of the Bill. Whatever permission is given by the Governor is for the body of the Bill and whatever is passed here is the body of the Bill as such.

जो आपने कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार आयन्दा के लिए इस बात को ध्यान में रखेगी कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में मूल कानून का उद्देश्य आना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहां पर जो थोड़ी भिन्नता है, ऐसी नहीं है कि कन्सीडरेशन स्टेज पर इसे रोक दें। हम पास करेंगे तो वे ही क्लॉज़ पास करेंगे जिस तरह वे इस बिल में इन्कोर्पोरेट किये हैं, वही बिल पास करेंगे। किन कारणों से विधेयक पेश किया गया है, यह ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में मिलता है। मैं इस हद तक आपके साथ सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरफ ध्यान रहे और वह बात ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दर्ज करनी चाहिए जो बिल की मन्शा है।

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्टीकरण हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं इस समय कुछ समय ले लूं। कुछ कानून खास तौर से विधान सभा में पारित किये गये, उन एक्ट्स में जो प्रिएम्बल और क्लॉजेज़ थे उनमें दो, तीन में डिफरेंस आये, जिनके कारण हाई कोर्ट में स्टे आर्डर किये गये। प्रिएम्बल को जज करने के सम्बन्ध में जो पॉइन्ट रखा जाता है उसको सब्सटेन्शियेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में उसकी चर्चा होती है। इस बिल का प्रिएम्बल है "A Bill further to amend the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1954" This is the Preamble of this Bill. अब इस प्रिएम्बल को जज करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखा जाता है, या प्रिएम्बल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न का सार है, जिसके आधार पर इस प्रिएम्बल को कानूनी रूप मिलता है। यह सही है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को कानूनी स्वरूप नहीं मिलता लेकिन उसको जिस्ट के रूप में प्रिएम्बल को कानूनी स्वरूप मिलता है। इस जिस्ट का अनुमान लगाने के लिए, क्या है और किस बात का संकेत है, उसको जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखना पड़ेगा? इस स्थिति में इस कानून का रूप रहता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि कहीं आगे जाकर इस प्रकार के लीगल कॉम्प्लीकेशन्स खड़े न हो जायं, इस प्रकार की एनोमोली पैदा न हो जाय जिस चीज को लेकर हाई कोर्ट चैलेंज करे और इस सदन को संशोधन के लिए समय लगाना पड़े और सरकार को संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना पड़े। इस मामूली गल्ती को दूर करने के लिए इसको पोस्टपोन कर दीजिये। अगर यह कल तक आ सके तो सदन फिर विचार कर सकता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : हाई कोर्ट का टाइम क्यों खराब हो?

श्री रामचन्द्र चौधरी (अतिरिक्त कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

Page No.51

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): हाई कोर्ट से हाउस सम्बन्धित नहीं है लेकिन बिल पर जो डिबेट होती है उस डिबेट को लिमिट करने के लिये उसको जज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से। जो डिबेट हो, वह विदिन दी स्कोप ऑफ दी बिल हो, इसलिए ही ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स बनाये जाते हैं। यह नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दूसरे दिये जायं और बिल के अन्दर जो क्लॉजेज़ हों वे डिफरेन्ट हों।

श्री अध्यक्ष : It is the other way round. The Bill is framed first and then the Statement of Objects and reasons is prepared.

श्री श्रीभानसिंह : May be that they first frame the Bill and then frame the Objects, and Reasons. But the Objects and Reasons must reflect, what is in the body of the Bill, and and if the body of the Bill and Objects and Reasons are different, that means the clauses which are in contravention of the Objects and Reasons should not be incorporated, i. e. they are beyond the Scope of the Bill. The scope of the Bill, as far as this Legislature is concerned, is set by the Statement of Objects and Reasons. तो अगर जब उसको लिमिट कर दें, और जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, और जो स्कोप ऑफ दी बिल है, जो बॉडी ऑफ दी बिल है, वह डिफरेन्ट है तो जो क्लॉजेज़ डिफरेन्ट हैं, वे बिल में से हटाये जायेंगे। अगर वे रखे जायेंगे तो उनको सब्सटेन्शियेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में चेंज किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : What governs the Bill is not the Objects and reasons. The most important thing is the body of the Bill. The objects and Reasons are not part of the Bill. They are not passed.

श्री श्रीभानसिंह : As far as the legal question is concerned, they are not part of the Bill. But as fat this legislation is concerned, the Statement of Objects and Reasons is a part and parcel of the Bill. The discussion starts from the Statement of Objects and Reasons in the first reading, and then the second reading is in regard to the body of the Bill, and then there is the third reading. The first reading incorporates the Objects and Reasons. The Courts may not take cognizance of the Objects and Reason s but the House has to take cognizance of it and, therefore, anything contravening the Objects and Reasons must not come in the Bill.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): Has this thing been deliberately created by the Hon'ble Minister or it has just escaped them ?

श्री अध्यक्ष : Do you expect an answer to this querry ?

श्री अर्जुनदास : Of course, Sir.

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : मेरे ख्याल से कुछ माननीय सदस्यों ने स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ा नहीं, क्योंकि इसके आखिर

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

में दिया हुआ है "This Bill seeks to substitute the maximum rate of ten naye paise per-litre for forty naye paise per gallon."

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : But the clauses of the Bill go beyond the Statement of Objects and Reasons.

श्री रामचन्द्र चौधरी : सवाल कहां है ? जिसका अमेंडमेंट चाहते हैं, क्लॉज़ेज़ में वह दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में, वह इससे बाहर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऑब्जेक्ट्स में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेन ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। इसमें है कि मैट्रिक सिस्टम की वजह से इसको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके साथ साथ वहां लिखा है पर–गैलन की जगह पर–लिटर पर टैक्स लगाना है, उसकी वजह से चेंज करना पड़ा है; नहीं तो चेंज करने की जरूरत नहीं आती। उसके साथ साथ जैसा कि झालावाड़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया था कि इसमें राउन्ड–अप फिगर्स रखे हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में रख दिया है। इसलिए हाई–कोर्ट में जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह इसमें दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में नहीं रखते। यह कह देते "This Bill seeks to substitute the maximum rate of ten naye paise per-litre for forty naye paise per-gallon". If that was the purpose, then this one single sentence would have done it.

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके साथ साथ यह रीज़न था, इसको बदलने का जो मुख्य कारण था वह यह है कि मैट्रिक सिस्टम ऑल इन्डिया....

श्री अध्यक्ष : Anyway, the drafting could have been improved. I think you would agree there.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट के लिए रूल है, वह है 'The amendments will be within the Scope of the Bill.' तो स्कोप ऑफ दी बिल के अमेंडमेंट टेबल होते हैं। वही स्कोप डिफाइन किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में।

श्री अध्यक्ष : Not alone.

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : Statement of objects and Reasons plus the Bill. We cannot confine ourselves merely to the Statement of Objects and Reasons. आप कह रहे हैं, किस स्टेज पर अमेंडमेंट आयेगा ? सारे बिल, as a whole पर आयेगा।

श्री श्रीभानसिंह : जैसा पहले कहा, फर्स्ट रीडिंग बिल की है, उसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, क्लॉजेज़ के लिए नेसेसरी हो तभी रेफर किया जाय, otherwise the discussion will be

(श्री श्रीभानसिंह)

general. और जनरल डिस्कशन होगा, वह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स पर ही होगा, वहां क्लॉजेज का पर्टिक्यूलर रेफरेन्स नहीं होगा। फर्स्ट रीडिंग के डिस्कशन में यह मान कर चलते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में स्कोप डिफाइन्ड है उसके मुताबिक क्लॉजेज़ होंगे बिल के। इसलिए जो पेटर्न, लिमिटिंग फैक्टर्स डिबेट के होते हैं वह स्कोप ऑफ दी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स होते हैं। उनके ऊपर ही डिबेट को लिमिट कर दिया जाता है, अमेंडमेंट को लिमिट कर दिया जाता है। उससे क्लॉजेज़ डिफरेन्ट कैसे हो सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से डिफरेन्ट कैसे हो सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, इस स्टेज पर बिल को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

Mr. P. K. Choudhary, would you withdraw your amendment?

श्री पी०के० चौधरी(फुलेरा): Yes, Sir, I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): प्रिएम्बल के बारे में मैं थोड़ा सा विरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : The preamble is quite simple. यह बिल अमेंड कर रहे हैं, उसका स्कोप कुछ भी हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उसका स्कोप स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में होता है।

श्री अध्यक्ष : Statement of Objects and Reasons, to-gether with the Bill.

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों में कन्फरमिटी (confrmity) नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल का प्रिएम्बल है, "A Bill further to amend the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1954" इस प्रिएम्बल के द्वारा जो भी कानून हम बनाते हैं उस कानून के पीछे मन्शा क्या है, इस बात का संकेत हमको मिलता है। जिस समय कानून बन कर, जिस समय बिल एक अधिनियम के रूप में हमारे सामने आयेगा उस समय स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स उस अधिनियम का पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के स्थान पर प्रिएम्बल के रूप में हमें इस कानून के पीछे जो मंशा है उस मंशा को प्रदर्शित करेगा। तो मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि प्रिएम्बल बिल होता है। उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, उसके आधार पर क्लॉजेज़ बनते हैं और क्लॉजेज़ के आधार पर उसका प्रिएम्बल बनता है। और क्लॉजेज और स्टेटमेंट ऑफ

(श्री भैरोंसिंह)

ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के अन्दर कोई अन्तर नहीं हो सकता। उस स्थिति में इस प्रिएम्बल की सही मंशा उस कानून की धाराओं के द्वारा व्यक्त की जाती है। यहां तीनों चीजें एक दूसरे के विरोध में आ गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, यह कुछ और बात की ओर संकेत करता है कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार नाप तोल की प्रणाली में अन्तर करना है। यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स की बात है। इसकी धाराओं में ४० नये पैसे पर-गैलन के स्थान पर १० नये पैसे पर-लिटर टैक्स करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जो परिवर्तन किया जायगा उसके अनुसार हमें टैक्स भी बढ़ाना है। अब यहां पर स्थिति आती है कि टैक्स बढ़ा रहे हैं, केवल आंकड़ों का फर्क होता है। १० नये पैसे की जगह ४० नये पैसे आते तो यह मान लिया जाता कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में जो बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए आदेशों की तामील की जाती है उसका कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट आयेगा और उसके द्वारा ४० नये पैसे पर-गैलन के स्थान पर १० नये पैसे पर-लिटर करना पड़ेगा। इसमें कॉइनेज के हिसाब को नाप तोल के हिसाब में फीगर्स को एडजस्ट करने की बात करते तो प्रिएम्बल में और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में अन्तर स्वीकार नहीं करते पर यहां पहले सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है कि यह जो अमेंडमेंट कर रहे हैं इससे ४ लाख की आमदनी होगी। इसकी ओर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कोई संकेत नहीं किया तो इस स्टेटमेंट के आधार पर जो प्रिएम्बल बनाया जाता है वह प्रिएम्बल अपने आपसे गलत साबित होगा। इसलिए प्रिएम्बल की परिभाषा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दी हुई है, उसके अनुसार यह प्रिएम्बल की परिभाषा गलत है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यह प्रिएम्बल इस बिल और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी-मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में साफ तौर से दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के आदेश के माफिक मैट्रिक सिस्टम १ अप्रेल से सारे भारत में लागू करना है, इसके लिए यह एक्ट में तरमीम लाई गई है। इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिया हुआ है ४० नये पैसे पर-गैलन की बजाय १० नये पैसे पर-लिटर लिया जायगा, जो मेग्ज़िमम होगा। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज छिपाई नहीं गई है जो चीज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में है वही इन्कोर्पोरेट की गई है क्लॉजेज़ में। इसलिए इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग रुप से जोड़े गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६६०

(खंडशः विचार-विमर्श)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved. Dr. Chandra Kala.

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, जो यह अधिनियम सेल्स टैक्स सम्बन्धी सदन के समक्ष आया है उसको मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का यह प्रस्ताव रख रहा हूं। इसका कारण और कोई विशेष नहीं, केवल कुछ पुराने अनुभव के आधार पर मैं ऐसा करना उचित समझता हूं.... .

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर डिस्कशन्स प्रारम्भ करने से पहले मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डाल देते कि किस ट्रान्जेक्शन पर यह लागू होगा। यह इसमें क्लीयर नहीं है : "To cover certain transactions which are not covered by the sales tax." कौन से ट्रान्जेक्शन्स को कवर करेगा, तो बहस में सहूलियत रहेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (....मंत्री): माननीय अध्यक्ष, यह बिल दरअसल कोई नया टैक्स लगाने के विचार से तो नहीं लाया गया है, लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं; वे तो दे देते हैं और जो लोग इसको अवोइड करना चाहते हैं वे अवोइड कर देते हैं, देने से बच जाते हैं। इसमें यह भी बता दूं कि हमारी मंशा सिर्फ पांच चीजों पर; वायर गीड्स, धनियां, जीरा, खसखस और लाल मिर्च, पांच चीजों में राजस्थान से बाहर भेजी जाती हैं उन पर पर्चेज़ टैक्स लगाने का विचार किया है।

१. २७ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हिन्दुस्तान में कहीं भी कोई चीज भेजना चाहते हैं तो अपने नाम से बिल्टी करा देते हैं। तो यह न पर्चेज़ हुआ न सेल हुआ। अपने नाम या अपने एजेंट के नाम भेज देते हैं और इस तरह इन्टर स्टेट ड्यूटी है स्टेट की उस स्टेट ड्यूटी से बच जाते हैं। जो देना नहीं चाहते वे बच जाते हैं और वे कोई टैक्स

Page No.56

(श्री रामचन्द्र)

अदा नहीं करते। ऐसे डिफॉल्टर्स जो किसी आड़ में अपने को इससे बचाना चाहते हैं उन्हीं पर यह टैक्स लगाने का विचार है, इसीलिए यह तरमीम लाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) मैं कह रहा था कि मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव इसलिये ला रहा हूं कि पुराने कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं कि हमने जब मूल एक्ट को पास किया, उसके बाद में जिन लोगों पर इसका असर पड़ा वे यहां आये और उन्होंने अपना पॉइन्ट सरकार के सामने रखा और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन लोगों ने बतलाया उन पॉइन्ट्स में से अधिकांश इतने उचित और वाजिब थे कि उन्हें सरकार को भी मानना पड़ा। इस समय के सम्बन्धित मन्त्री और उप-मन्त्री यहां नहीं हैं जिनके सामने वह मामला लाया गया था। खास तौर से भरतपुर और अलवर की मन्डियों के लोग थे, विशेष रूप से प्रभावित हुए थे और उनकी तरफ से कुछ मुद्दे उठाये गये थे और उसमें खास चीज़ वह थी कि किस पॉइन्ट पर सेल्स टैक्स लगे? पहले पॉइन्ट पर या दूसरे पॉइन्ट पर? इससे जो सेल टैक्स लगाया उसमें पॉइन्ट्स थे उनकी व्याख्या नहीं थी। कई उत्पादकों के पद खास तौर से, जो अन्न के उत्पादक किसान हैं उन पर यह टैक्स लगा रह था। वे किसान अपना माल गाड़ी में भर कर मन्डी में लाते और आड़त में बेचते तो वे कहते थे कि पहला पॉइन्ट यहां पर शुरू हो जाता है। एक तरह से उत्पादक पर भी वह कर लग रहा है जो नियमानुसार नहीं लगना चाहिये। इसके बाद व्यापारी की आड़त-यह दो प्रकार की होती है। एक जिसको कच्ची आड़त कहते हैं और दूसरी जिसको पक्की आड़त कहते हैं। कच्ची आड़त उसको माना जाता है जो किसानों की मदद करने के लिये मंडी में दूकान करते हैं। किसान लोग वहां पर माल लाते हैं और वह माल वहां पर रख देते हैं। जब तक माल बिकता नहीं है वह माल वहां पर पड़ा रहता है और उस किसान को उस माल पर कुछ कम पैसा मिल जाता है और जिस समय वह माल बिक जाता है उस समय उस किसान को बाकी की रकम मिल जाती है और उसका हिसाब कर दिया जाता है। इसलिये वे आड़तिये हैं उनको भी इससे आपत्ति थी यह तो किसानों की मदद के लिये है। अगर किसान का माल ठीक समय पर न बिक सके तो वह माल किसान को वापिस ले जाना पड़ता है, इसमें उसको बहुत दिक्कत पड़ती है इसलिये उस माल को वहीं पर रख लिया जाता है।

दूसरे पक्की आड़त होती है। एक तो वह खरीद करे उसको वही इस्तेमाल करे या दूसरी जगह बाहर भेजे। इस तरह का व्यापारियों की तरफ से भी डेपुटेशन गया था। माननीय मंत्री और उप-मंत्री और सम्बन्धित सचिव और उप-सचिव वहां पर बैठे थे और दूसरे प्रतिनिधि भी वहां थे, और उन्होंने मिलजुल कर इस समस्या को समझा और हल किया और बहुत से मुद्दे मंजूर किये। तो मैं समझता हूं कि अब हम जो कुछ भी इसमें संशोधन कर रहे हैं उनको करने से पहले यदि हम इस तरह की होनेवाली कठिनाइयों को देख लें और उनके आधार पर उन लोगों से कुछ

Page No.57

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जानकारी प्राप्त कर लें और उसकी पूर्ति करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय उसके कि उसके पारित होने के बाद में सम्बन्धित व्यापारियों और किसानों को जो कठिनाई आती हैं उस पर विचार करें। अभी भी जिस प्रकार इसके उद्देश्यों तथा कारणों को बताया गया है उसमें शब्द तो ये रखे गये हैं कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत कर की दरों के ढांचे को सरल बनाने की व्यापारियों द्वारा निरन्तर की जा रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निश्चय किया कि ऐसी दरों के वर्गों की संख्या कम कर दी जांय, जिसके परिणाम स्वरूप कर की सामान्य दर ३½ बढ़ कर ४ प्रतिशत हो जाती है। जिन उद्देश्यों को विशेष रूप से सरकार यह बताती है कि करों की दरों के ढांचे को सरल बनाने के लिये जिसके लिये व्यापारियों की ओर से मांग की जा रही है तो मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर संशोधन लाया जा रहा है उस उद्देश्य की वास्तविक रूप से पूर्ति होती है या नहीं, यदि हम इसको इसी रूप में स्वीकार करते हैं तो इसमे मुझे शक पैदा होता, है कारण कि इसके क्लॉज़ ३ में सब क्लॉज (४)में बताया है कि व्यापारियों से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो राज्य में सामान खरीदने या बेचने या सप्लाई करने का व्यापार, चाहे कमीशन पर या पारिश्रमिक पर या अन्यथा करता है और उसमें वैसे किसी व्यापार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनका कोई विभाग, कोई हिन्दू अविभक्त परिवार, और कोई संस्था, क्लब या कोई अन्य एसोसियेशन जो अपने सदस्यों से सामान खरीदता या उनको सामान बेचता हो या उन्हें सप्लाई करता हो, सम्मिलित है; इस तरह के शब्द रखे हैं। मैं समझता हूं कि इतने शब्दों के देने के बाद भी कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं उदाहरण के तौर पर आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है और जिस चीज का प्रचार किया जा रहा है वह सहकारी समितियों की है और हम सब लोग कहते हैं और उचित समझते हैं कि आज गांवों के क्रय विक्रय का काम करने के लिये गांवों में किसानों की सहकारी समितियें हों। तो क्या यह क्लॉज़ ३ के सबक्लॉज़ ४ में शब्द रखे हैं उसमें इस प्रकार की सहकारी संस्थाएं भी सम्मिलित होती हैं? क्या जो गांव के सामान को ला कर वहां पर जिस प्रकार व्यापारी आते हैं आए। जिस प्रकार एक किसान स्वयं अपनी उत्पादन की वस्तुओं को लेकर आढ़तियों को देने के लिये दूकान पर आता है इस तरह से वह संस्था आती है या नहीं और यह उस पर लागू होता है या नहीं, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इसी तरह यह दिया है कि कोई व्यापारी जो राज्य के बाहर निवास करता हो, मैनेजर या एजेन्ट के मार्फत राज्य में सामान खरीदता, बेचता या सप्लाई करता का व्यापार करता हो वह मैनेजर या एजेन्ट उक्त व्यापार के संबन्ध में इस अधिनियम के प्रयोगार्थ व्यापारी माना जायगा। यह जो है इसमें मैं समझता हूं कि कठिनाई आनेवाली है। इस प्रकार के शब्दों की परिभाषा करने में कि जो व्यापारी बाहर के आकर यहां रहें, एक तो इस प्रकार के व्यापारियों की श्रेणी है कि यहां के रहनेवाले होते हुए भी अपनी दूकानें दूसरी जगह रखते हैं और उनका व्योपार का साधन बाहर भी होता है। मान लें कि यहां पर कोई व्यापारी सरसों या तिलहन का व्योपार करता

Page No.58

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है और उसकी मिलें या फैक्ट्री बाहर है। इस तरह से वह व्यापारी यह कहता है कि मैं यहां का व्यापारी हूं। मैं इस चीज को बाहर ले जाना चाहता हूं। तो इस प्रकार का प्रश्न उस वक्त भी आया था उसका भी इसमें साफ नहीं किया गया है। यह भी बात जाननी जरूरी हो जाता है। इसी तरह से जो आगे खंड ५ आया है उसमें एक नया 'परन्तुक' जोड़ा गया है, उसमें जहां सरल बनाने के लिये विश्वास दिलाया गया है कि यह भाषा जो दी गई है उसको देखेंगे तो यह उसको सरल नहीं बनाती है। मैं समझता हूं कि इसमें व्यापारियों को पीछे कठिनाइयें आ सकती हैं। इसमें जैसा लिखा है : "किन्तु शर्त यह भी है कि किसी निर्धारित वर्ग के व्यापारियों की दशा में, जो कि किसी संविदा के निष्पादन में संलग्न निर्माता, उत्पादक, प्रोफेसर या व्यापारी से भिन्न हो और उक्त निर्धारित वर्ग के किसी व्यापारी द्वारा प्रकट किये जाने वाले विकल्प के अनुकूल और ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किये जायें, 'टर्न ओवर' से तात्पर्य उसके द्वारा बिक्री के निमित्त खरीदे गये सामान के सम्बन्ध में, चुकाये गये या चुकाये जाने योग्य कुल क्रय मूल्य जिसमें उक्त क्रय मूल्य के १० प्रतिशत के बराबर राशि जोड़ी गई हो, से होगा। लेकिन भाषा इस प्रकार की है जिसको समझने में और जिसके अनुसार कार्यवाही करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। साथ साथ इसमें नई चीज और भी है कि पहले जहां सेल्स टैक्स में क्रय 'शब्द' ही आया है। सेल्स के साथ पर्चेज़ भी हैं। अब समान दृष्टि से देखें तो सेल्स और पर्चेज़ में क्या अन्तर होगा यह ग्राहक की दृष्टि से थोड़ा समझने की चीज है।

मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो आम तौर से मुझे व्यापारी विक्रेता कहता है। मैं एक चीज खरीदता हूँ ५) में तो वह मुझ से ५ रुपये पर ५ आने सेल्स टैक्स लेता है। अब उसको सेल्स टैक्स कहा जाय या पर्चेज टैक्स कहा जावे ? यह क्रय और विक्रय दोनों पर टैक्स है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करना होगा। तो ऐसी ही कुछ चीजें मेरी नजर में आई और खास तौर से जिन लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है वह है किसान और व्योपारी वर्ग। इसलिये इसको लागू करने से पहले हमें उनसे बात कर लेनी चाहिये और देख लेना चाहिये कि इस संशोधन के बाद कुछ कठिनाई तो नहीं आवेगी, जिनके बारे में मैंने पहले आरंभ में संकेत किया है। यदि ऐसा हो जाता है तो हमें इन सब चीजों पर जो सुझाव देते हैं तो उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और मैं समझता हूं कि सम्बन्धित प्रभारी मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसके जरिये मैंने इस बात की मांग की है कि इस विधेयक को एक ऐसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो इस पर काफी विस्तार में जाकर और विचार-विमर्श कर और उसके बाद फिर सात दिन में वह अपनी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दे। मैंने सात दिन का अवसर यह जानते हुए रखा है क्योंकि राज्य सरकार के

Page No.59

(श्री मनोहर कोठारी)

सामने भी इस विधेयक को इसी सत्र के कार्य काल में पास करने का प्रश्न है और मैं इस आवश्यकता को अनुभव करता हूं लेकिन साथ ही इस विधेयक में जो कमियां हैं और ओरिजिनल सेल्स टैक्स है उनमें कमियां हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि यही सिलसिला बराबर विधान सभा के सत्र में चलता रहेगा और इसकी कहीं भी पूर्ति नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कई जगह व्यापारियों के मंडलों ने, उद्योग और वाणिज्य मंडलों ने, व्यापारिक प्रमुख संस्थानों ने राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और उनके द्वारा मांग की है कि राजस्थान सेल्स टैक्स काफी लचीला है और मैं समझता हूं, इस तरह का अस्पष्ट एक्ट है कि इसमें सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। नहीं तो आम तौर पर जनता और व्यापारियों के समक्ष काफी दिक्कतें आती हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया, सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को मिला कर राज्य सरकार द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया और उस समिति को कहा गया कि वह लोगों से सम्पर्क स्थापित करे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उस बात को भी लगभग दो साल होने आते हैं। उस समिति की रिपोर्ट काफी समय पहले ही सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देनी चाहिये थी लेकिन कुछ समय पूर्व गजट में एक विज्ञप्ति देखी थी कि वह रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं हुई है और उस समिति की अवधि और बढ़ाई गई है। उस कमेटी ने एक क्वेश्चनायर तैयार किया था। उस क्वेश्चनायर को सम्बन्धित व्यापारिक संस्थानों और उन व्यक्तियों के पास भेजा गया था जो इससे प्रभावित होते हैं। उस क्वेश्चनायर को गजट में प्रकाशित किया गया था और सूचना-पत्रों द्वारा भी उन लोगों के पास भेजा गया था और उसमें लोगों के विचार जानने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन उस सम्बन्ध में क्या हुआ, मैं नहीं जानता और होना भी उसका क्या है। लेकिन जब तक यह रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष न प्रस्तुत हो जाय और महत्वपूर्ण सिफारिशें जो वह समिति करे उन पर इसके साथ ही विचार होता तो ज्यादा उपयुक्त होता, यह मैं अनुभव करता हूं।

राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट और इस संशोधन विधेयक को मैंने देखा है। मैं समझता हूं कि सारी मूल बीमारी का ही इलाज करने की हमारी भावना है तो इस एक्ट को ही नये सिर से कोडीफाई करने की आवश्यकता है। आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के तौर पर निवेदन करूं कि आज से पहले भी हमने कुछ संशोधन राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट में किये हैं और राज्य सरकार ने ऐसे संशोधन भी प्रस्तावित किये हैं कि जिससे लोगों को सुविधा होने के बजाय कष्ट होता है, कष्ट ही नहीं होता है, वह वैधानिक और व्यावहारिक दृष्टि से किया गया संशोधन ठीक नहीं पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि पहले ओरीजिनल एक्ट में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई रिटर्न, नक्शा, जो कर निर्धारण अधिकारी के पास रखा जावेगा उसमें यदि कोई गलती हो गई या कोई भूल रह गई तो रिवाइज्ड रिटर्न प्रस्तुत किया जा सकता था, असेसमेन्ट होने से

(श्री मनोहर कोठारी)

पूर्व तक । इस तरह की व्यवस्था ओरीजिनल एक्ट में मौजूद थी। जो संशोधन यहां प्रस्तुत हुआ था और स्वीकार किया गया था वह इस तरह का हुआ कि तीन महीने के भीतर यदि वह गलती मालूम पड़ जाय तो रिवाइज्ड रिटर्न प्रस्तुत किया जाना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को सूचना देना चाहता हूं कि नियमानुसार प्रत्येक व्यापारी को हर तीन महीने का रिटर्न कर निर्धारण अधिकारी के पास पेश करना चाहिये। लेकिन यदि उसमें कोई भूल रह गई है, चूक रह गई है तो साल के अन्त में जब बैलेन्स शीट तैयार किया जाता है, हिसाब की टोटल लगाई जाती है तो गल्ती अनुभव हो सकती है, उससे पहले अन्दाज उसका नहीं हो सकता और यदि सोचते हैं, तो वह व्यावहारिक भी नहीं लगता कि पहले ही उस गल्ती का अन्दाज हो जाय। पहले ओरीजिनल एक्ट में जो व्यवस्था थी उसका वास्तविक अर्थ भी निकल सकता था और इन्कम टैक्स एक्ट में भी व्यवस्था थी। साल के अन्त में ट्रायल अकाउन्ट तैयार किये जाते हैं और बैलेन्स शीट तैयार की जाती है तो कोई व्यापारी उस गलती को अनुभव कर सकता है और रिवाइज्ड रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह की बात संशोधन विधेयक के बारे में कह सकता हूं। संशोधन विधेयक राज्य सरकार की ओर से रखे गये और विचार ही नहीं कर पाये कि राज्य सरकार ने और कुछ संशोधन प्रस्तुत कर दिये, एक लिस्ट और संशोधन विधेयक की मिल जाती है। अब तक राज्य सरकार संशोधन के बारे में यह मान कर नहीं चली है कि इसमें जो कमी है उस कमी की पूर्ति कर दी गई है और कोई कमी अब बाकी नहीं रह गयी है। मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अपना भाषण दिया था उसमें यह संकेत दिया था कि वे एक पर्चेज़ टैक्स की व्यवस्था करने वाले हैं जिससे कि वे लोग जो सामान पर्चेज़ करते हैं लेकिन टैक्स से बच जाते हैं उनसे भी टैक्स वसूल किया जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य और कारणों का विवरण है उसमें यह बताया गया है कि व्यापारियों को सुविधा देने की दृष्टि से मांग के अनुसार यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं जब कि इससे सिवाय व्यापारियों की मांग है। सबसे पहले सुविधा की बात सोचते हैं तो सेल्स टैक्स एक्ट में डिपार्टमेन्टल अपील की व्यवस्था है। यदि हम उनको सही माने में न्याय देना चाहते हैं, उनको सुविधा देना चाहते हैं तो हमको एक अपीलेट ट्रिब्युनल का अपॉइन्टमेन्ट करना चाहिये। उद्योग और व्यापारिक मंडलों ने इस ओर बराबर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और उस सुविधा को राज्य सरकार नहीं मानती है और न उनको यह सुविधा देना चाहती है। हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में भी सेल्स टैक्स कानून बने हुए हैं। उनमें दूसरी अपील की व्यवस्था की हुई है और जो अपीलेट ट्रिब्युनल है उसमें एक अकॉउन्ट जाननेवाला मेम्बर और एक लॉ का मेम्बर होता है। मैं समझता हूँ कि इस कानून में भी यहां पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। यह कहा जा सकता है कि रिविज़न की व्यवस्था दी हुई है, दूसरी अपील के बाद होनी चाहिये। लेकिन आज राजस्थान के छोटे २ व्यापारी इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और न वजन बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनको रिवीजन की फीस २५)रु.

(श्री मनोहर कोठारी)

देनी होगी। वे कैसे दे सकते हैं ! माननीय मंत्री महोदय सोचें क्योंकि वे स्वयं न्याय के जानने वाले व्यक्ति हैं और उनसे यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वे तो कम से कम, लोगों को न्याय तो देना चाहते हैं, सहूलियत देना चाहते हैं। व्यापारियों की यह एक उपयुक्त मांग है। शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर राज्य सरकार उन व्यापारियों के लिए एक अपीलेट ट्रिब्युनल की व्यवस्था करे, और करना चाहिये।

इसके अलावा सैल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन ४ में राज्य सरकार को अधिकार दिया हुआ है कि कुछ वस्तुओं पर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कर लागू करें और कर मुक्त घोषित करें। राज्य सरकार ने कुछ वस्तुओं को कर मुक्त घोषित किया और यह घोषित किया कि १०) का कर मुक्त प्रमाण–पत्र हॉसिल करने पर उसका लाभ उठा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी यह व्यवस्था होती और केवल यही दृष्टिकोण होता तो कोई अतिरिक्त बात नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार एक बात जहां यह सोच कर करती है कि यह जन-हित में है लेकिन आँखिर उसका इफेक्टर दूसरी तरह का भी हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को जहां आपने १० रुपये का कर–मुक्ति प्रमाण–पत्र हॉसिल करने पर एक कोमोडीटिज को आप कर मुक्त कर सकते हैं लेकिन एक को तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता और दूसरे को नहीं दिया जाता। सूचना के लिये मैं आप से निवेदन करूं कच्चा माल जहां आपने कर मुक्त रखा है और उसी सूरत में रखा है वह भी एक सीमा तक जिसने २५, ५० या १०० रुपये कर मुक्ति प्रमाण-पत्र हासिल कर लिया हो और वह भी साल समाप्ति से पूर्व, तो वह उसका फायदा १ अप्रेल से उठा सकता है; जब कि दूसरा व्यक्ति जो चित्रकार है वह यदि १० रुपये का कर मुक्ति प्रमाण–पत्र हासिल कर लेता है तो उसको फायदा मिल सकता है। उस दिन से वह उस प्रमाण–पत्र को हासिल करता है, उस दिन से ही उसको यह सुविधा दी जायगी। इसमें कितनी बड़ी एनोलॉजी है, कितनी विडंबना है। एक चित्रकार जो केवल दो, तीन रुपये का कागज़ और कलर आदि खरीदता है उसके बाद उससे जो चित्र निर्माण करता है और वह पांच सौ रुपये की कीमत का चित्र बनाता है। जिस चित्र के बनाने में केवल माल का तीन, चार रुपये का प्रयोग हुआ है बाकी सब उसकी अपनी मेहनत है उस पर जो सेल्स टैक्स लिया जायगा वह जनरल रेट्स के माफिक लिया जायगा जब कि उसने कर मुक्ति प्रमाण–पत्र न लिया हो। यह क्या न्यायोचित बात हुई? एक चीज को तो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कलाकारों को जिनको रियायत मिलनी चाहिये उनको भी उसी प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलना चाहिये। हाथ की मीनाकारी करने वाले लोग हैं हाथ से बर्त्तनों पर मीनाकारी का काम करते हैं, हाथ से बर्त्तन बनाते हैं वे यदि १० रुपये का कर मुक्ति प्रमाण पत्र लेने पर उनका टर्न ओवर, चाहे कितना ही हो उनको कर मुक्त रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही एक व्यवधान डाल दिया है कि अगर वह उसके लिये कोई पेड लेबर न रखा हो तभी यह सुविधा मिल सकती है। मान लीजिये कि एक बूढ़ा ठठेरा है। उसके घर में

(श्री मनोहर कोठारी)

दो प्राणी है। एक तो वह, एक उसकी स्त्री और एक उसका बच्चा। उसकी बीबी भट्टी चलायेगी और वह कारीगर का काम करेगा। ऐसी हालत में बर्त्तनों पर हथोड़ा पटकने के लिये दो आना या चार आना रोज पर किसी को एन्गेज करता है तो उसको उस प्रमाण-पत्र का लाभ नहीं मिल सकेगा। उससे उसके टोटल टर्न ओवर पर टैक्स वसूल किया जायगा। वसूल करने का आधार केवल यही रखा है कि उसने पेड लेबर एंगेज किया है। इस तरह से उसका जितना भी टर्न ओवर हुआ है उस पर टैक्स वसूल किया जायगा। आखिर आप इस कर मुक्ति प्रमाण-पत्र को रखते ही क्यों हैं? इस कर मुक्ति के साधन को हटा दीजिये तो भी मैं समझूंगा आप उनके प्रति न्याय करेंगे। वैसे भी आप लोगों से कर वसूल कर लेते हैं, इसके बिना भी कर सकेंगे। जो गरीब आदमी है जिसको इसका फायदा मिलना चाहिये वह न मिल कर उस गरीब को अपने बच्चों की रोटी में कमी करके, अपनी रोटी में कमी करके सरकार के टैक्स का पूरा रुपया जमा कराना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को हमने एग्जेम्पशन दिया है और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मुझे माननीय मंत्री महोदय बतायें उन्होंने किस आधार पर यह सोचा कि इसकी जनहित में बहुत आवश्यकता थी? एक व्यक्ति जो ३१ मार्च से पहले एप्लाई कर देता है कर मुक्ति के लिये उसको तो आप एक साल भर का टैक्स माफ कर देते हैं और इसी आधार पर जहां दूसरे व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिये वह लाभ नहीं मिल पाता।

इसके साथ साथ एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। जहां किसी से एग्जेम्पशन के रूप में १० रुपये का लाइसेन्स ले लिया चाहे वह एक लाख रुपये तक का टर्न ओवर करता हो वह उससे फ्री हो जाता है। एक व्यक्ति जिसका टर्न ओवर बहुत कम है और उसने एग्जेम्पशन नहीं लिया वैसी हालत में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चाहे उसे एक पैसे का भी फायदा न मिला हो वह उस पर एक रुपये से लेकर १२, १३, २५ हजार तक टर्न ओवर मान कर उस पर टैक्स वसूल कर लिया जायगा चाहे उसे एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ हो। अभी अभी वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में बताया कि हम स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसलिये हम उन पर टैक्सेज़ आयात करना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि एक किसान जो शुगर केन क्रशर खरीदता है हमारे इस एक्ट के अन्तर्गत जहां एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स को फ्री कर रखा है। लेकिन हमने शुगरकेन क्रशर को एग्रीकलचर इम्पलीमेन्ट नहीं माना है। लेकिन जब हमारे राजस्थान में पहले काश्तकारी कानून लागू था उसमें इसे एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट माना हुआ था। इसके अलावा शुगरकेन को स्माल स्केल इन्डस्ट्री में भी नहीं ले सकते क्योंकि वह इन्डस्ट्री इस तरीके की नहीं है। गुड़, खान्ड सारी की मिलें है चाहे वे पॉवर से चलायी जाती हों, उसको तो आप कर मुक्त कर देंगे क्योंकि वह तो स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री में आयगी, लेकिन जो शुगर केन क्रशर द्वारा हाथ से या बैलों से जोत कर, गन्ने को पेलकर गुड़ बना कर बेचते हैं उनको आप इस प्रकार का लाभ नहीं दे सकते, उनको इस कर मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। या तो शुगर

Page No.63

(श्री मनोहर कोठारी)

केन क्रशर को एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट माना जाना चाहिये अगर इसको एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट नहीं रखते हैं तो इसको स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज में शामिल करना चाहिये ताकि जो फायदा हम स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को देना चाहते हैं वह इनको भी मिले जो अपने हाथ से गुड़ बनाते हैं।

इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हम लोग जनहित की दृष्टि से, लोगों की सुविधा की दृष्टि से संशोधन करते हैं या हमसे करवाये जाते हैं। गत बार भी राज्य सरकार के इसी आश्वासन पर एक संशोधन किया गया था। वह इस प्रकार का था कि एक अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील की व्यवस्था हमने की है। वह किसी भी व्यापारी से अपील की सुनवाई से पहले टैक्स जमा नहीं कराया है तो भी अपील को एन्टर्टेन करके उसको सुन सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूं, बहुत थोड़े उदाहरण ऐसे मिलेंगे, उदाहरण नहीं जिन लोगों के सम्पर्क में मैं आया हूँ उनका कहना है कि कर निर्धारण प्राधिकारी के पास एक अन्तरंग सर्कुलर आता है उसमें यह होता है कि आपको कोई टैक्स माफ करके अपील नहीं सुननी चाहिये। एक तरफ तो वे इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि हमने अपील पेश कर दी और दूसरी तरफ सेल्स टैक्स ऑफिसर उतनी रकम की आधी रकम जुर्माने की बढ़ाकर ड्योढ़ी रकम वसूल करता है; यह बात सोचने की है। उदाहरण के लिये निवेदन करूं, किसी ने अपील कर रखी है, स्टे एप्लीकेशन कर रखी है उसको डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया उस पर पेनेल्टी नहीं लगा सकते लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर पेनल्टी पर पेनल्टी बराबर लगाते जाते हैं। ऐसी हालत में इस प्रकार की व्यवस्था हमने जो कर रखी है उसका कोई असर नहीं रह जाता। यही नहीं, हमने जहां जुर्माने की व्यवस्था कर रखी है उसके हिसाब से आधा तक जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन इनवेरीएबली होता क्या है कि जिसको दस रुपया देना होता है उस पर पांच रुपया जुर्माना लग जाता है। इसी प्रकार जिसको हजार रुपया देना होता है उस पर ५०० रुपया जुर्माने के रूप में वसूल कर लेते हैं। जहां तक एक्ट का प्रावधान है उसके अनुसार एक सीमा का निर्धारण किया गया वह इतने तक जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि हाइएस्ट पीक पर करते हैं। हम यहां अमेन्डमेन्ट्स मूव कर रहे हैं उनमें 'सेलर' की परिभाषा में अमेन्डमेन्ट है। उसके अलावा टैक्स की जो व्यवस्था कर रखी है उसमें काफी कमियां हैं; इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो जो कमियां हैं उनको आसानी से दूर किया जा सकता है।

मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के दिमाग में जो दूसरे व्यापारियों की ओर से प्रतिनिधित्व आया है उसके सम्बन्ध में और भी बातें उनके ध्यान में हों और हो सकती हैं, पर एक बात मेरी समझ में इस बार आई, जब यह संशोधन बिल प्रस्तुत हुआ। हमारे सेक्शन ३ सेल्स टैक्स एक्ट में यह व्यवस्था है कि किन व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जावे। उनमें तीन श्रेणियां हैं। एक तो वह जिसका टर्न ओवर १२ हजार का हो, दूसरा वह मैनुफेक्चरर जिसका टर्न ओवर दस हजार का है और तीसरा वह इम्पोर्टर जिसका

(श्री मनोहर कोठारी)

टर्न ओवर पांच हजार का हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करते दुःख होता है कि जब हम टर्न ओवर की व्याख्या करने को बैठते हैं तो या तो यह डिफेक्टिव हैं या इसकी अवहेलना की जाती है । जहां एक का टर्न ओवर १२ हजार है, वहां इम्पोर्टर का टर्न ओवर पांच हजार का है, तो इसकी तो खरीद ही यह हो सकती है मेरे खयाल से तो । तो जैसे टर्न ओवर की व्याख्या की है उस हिसाब से तो पांच हजार की खरीद की सीमा को टर्न ओवर माना जावेगा । इम्पोर्टर का टर्न ओवर यह पांच हजार क्यों नहीं माना जाना चाहिये) पर होता यह है कि बीस हजार का बाहर से इम्पोर्ट कर लिया तो ६ हजार का ही सेल टैक्सेबल गिन कर टैक्स लिया जावेगा और उससे फिर सेल्स पर टैक्स और वसूल कर लिया जावेगा । तो हमारे गांवों के छोटे छोटे व्यापारी जो पढे लिखे नहीं हैं, हैं तो बहुत कम हैं, और आपके तरीकों को वे नहीं जान सकते और इस तरह से आप उनको कम्प्लीकेटड पोज़ीशन में ला डालते हैं । इससे तो बाहर के किसी ट्रेन्ड आदमी की जरूरत होगी जो कि आसानी से उनको मिल नहीं सकता और मिल जाय तो रखने की उनकी हैसियत नहीं हो सकती ।

मेरा खयाल है कि टैक्सेशन के मूल में एक भावना यह भी होती है जिसे हम पार्लियामेन्ट और विधान सभा वालों को भी समझना चाहिये कि टैक्स वसूल करना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी वसूली में की जानेवाली ज्यादतियां और हैरेसमेन्ट है जिसे हर सूरत में हमें टालने का प्रयत्न और व्यवस्था करनी चाहिये । गांवों में लोग कहते हैं कि हमसे कह दीजिये कि पांच सौ रुपया सरकार लेगी, वह हम से ले ले पर यह हिसाब की तरह तरह के फार्मों की रिटर्न की जो तवालत है इससे हमें छुट्टी दे दी जाय । इस तरह से वे बराबर शिकायत करते हैं । पर मैं समझता हूं कि उन शिकायतों से क्या लाभ हो सकता है ? यह तो आपकी गुड सेन्सेज़ और सेन्सेज पर है । मैं आपसे अधिक अर्ज नहीं कर सकता ।

एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि आपकी टैक्सेशन की मशीनरी के बारे में मुझे भारी शिकायत है । यह वह घिसा–पिटा डिपार्टमेन्ट है जिसमें मोस्ट अन-एफीशियेन्ट लोग बैठे हैं । जिसे मोस्ट अन-एफीशियेन्ट विभाग कहना चाहिये । कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा कल्र्क मुश्किल से मिलेगा, जब कि उनके सारे फार्म वगैरह सब अंग्रेजी में होते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इसी वास्ते तो नये मिनिस्टर आये हैं इस महकमे में ।

(हंसी)

श्री मनोहर कोठारी : इस विभाग के काफी कर्मचारी वे हैं जो पहले एक्साइज़ में काम करते थे, नाकेदार थे, कस्टम के नाके पर बैठकर चुंगी वसूल करते थे, वे आज क्लर्क बना कर बैठा दिये गये हैं । अब उनके अंग्रेजी न जानने से वे रिटर्न फॉर्म वगैरह नहीं समझते, एक का दूसरे को भेजते रहते हैं और इस तरह से सारे मामले को कम्पलीकेटेड बनाते जाते हैं । वकील टाइप करके

Page No.65

(श्री मनोहर कोठारी)

दर्ख्वास्त देता है। और उसके जवाब में इस डिपार्टमेन्ट वाले हाथ से कार्बन पैंसिल से लिखकर भेजते हैं। जिस का राइटिंग पूरा पढ़ने में भी नहीं आ पाता।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर): इसीलिये आप कि पढ़ न सकें।

श्री मनोहर कोठारी : इसलिये यह निवेदन करूंगा कि इसकी इस इनएफीशियेन्सी को कम से कम दूर करने के लिये इस विभाग को टाइम दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इकोनोमी है यह तो।

श्री मनोहर कोठारी : 'इकोनोमी' का मतलब यह तो नहीं होता कि हम एफीशियेन्सी ही गंवा दें।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि इस एक्ट मे रेफरेन्स दिया दूसरे टैक्स का, पर उस एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया : दोनों में परस्पर तालमेल नहीं बैठता। परिणाम होता यह है कि खनिज के कुछ कामों में पेट्रोल, डीज़ल आदि पर जो एग्जेम्पशन लोगों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। अब मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट बनाते समय आपने वह बात नहीं रखी इसलिये एग्जेम्प्शन होते हुए भी वे इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं।

फिर एक बात और निवेदन करूंगा कि हमारे यहां सक्युर्लर जो विभाग के निकलते हैं उनको कानून से ज्यादा महत्व दिया जाता है और इस पर जुर्माने को एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्कम मान लिया जाता है। जो अधिकारी जितना अधिक जुर्माना वसूल कर सके वह उतना ही अच्छा अफसर गिना जाता है। जब कि जुर्माना सुधारने की दृष्टि से लगाना चाहिये ; पर यहां तो अच्छे बनने में जुर्माना करने की होड़ सी लग जाती है।

अन्त में एक बात और निवेदन कर दूँ कि आज के पहले किसान ट्रैक्टर और एन्जिन के लिये जो फ्युअल काम में लाता था तो उसको पावरिन और डीज़ल पर आधे की छूट थी प्रोवाइडेड वह एग्रीकल्चर विभाग से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके पास ट्रैक्टर और डीज़ल एन्जिन है, और वह उनका उपयोग एग्रीकल्चर में ही करेगा। आज हमने श्रेणियों को मिटा दिया है, नई व्यवस्था में, पर जो सुविधा पहले किसानों को थी वह व्यवस्था गायब कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों से भी आप टैक्स वसूल करेंगे। तो इस बारे में जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि यह क्या है ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप चाहते क्या हैं, यह समझ में नहीं आता।

आपने कहा कि खरीद और सेल पर होना चाहिये, इसका तो मैं समर्थन कर नहीं सकता; इसका तो विरोध ही मैं करूंगा। इसमें लिखा है कि चार प्रतिशत कर की दर हो जानी है। यह वांछनीय है कि उक्त वृद्धि दिनांक ६ मार्च, सन् १६६० अर्थात् जिस दिन कि सरकार के निश्चय की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई से प्रभावशील हो जानी चाहिये।

इसका मतलब यह है कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने ६ तारीख को यहां अपना

(श्री मनोहर कोठारी)

भाषण दिया और बजट प्रस्तुत किया उसी दिन से ३½ प्रतिशत की दर से यह कर चार प्रतिशत की दर से लागू समझा जावेगा और उसी दिन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है। अब उस पर आप मोहर लगाने चले हैं विधान सभा की रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ।

मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि जयपुर में जो गजट आपका ६ तारीख को छपता है वह जयपुर में भी ६ तारीख को ही लोगों के हाथों में नहीं पहुंच सकता, तब दूरस्थ स्थानों की तो बात ही दूसरी है । कुंभलगढ़ में, जहां की मैं बात करता हूं वहां तो व्यापारी के पास आपका गजट १ महीने बाद तक पहुँचता है । तो इस तरह आप सेल्स टैक्स लेना चाहते हैं या उसका गला काट लेना चाहते हैं ? क्या चाहते हैं आप ? जो चार पर्सेन्ट वह ग्राहक से वसूल न कर पाया वह आपको कहां से देगा ? यह उसूल की बात है कि वह तो बीच वाला है, वह तो ग्राहक से लेकर आपको देने वाला है व्यापारी तो । रजिस्टर्ड डीलर अपने पास से नहीं देता । वह तो केवल एक माध्यम मात्र है । आप उस पर जबर्दस्ती का प्रहार करना चाहते हैं इस तरह के कानून को सामने यह लाकर । होना आम सूरत में यह चाहिये कि आप इसे एक अप्रेल से जब से कि आपका आर्थिक वर्ष शुरू होता है तब से आप इसे लागू करते । आपकी इन २१ दिनों में कितनी घाटे की पूर्त्ति हो जावेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया ? तो हम यह समझते हैं कोई भी परिवर्त्तन हो तो मैं तो यह कहता हूं कि हमारे फाइनेन्शियल इयर में और अप्रेल, जिसको हम फाइनेन्शियल इयर मानते हैं उससे लागू होना चाहिए । अक्सर यह देखा गया है कि कभी तो जन हित शुरू हो जाता है और कभी खत्म हो जाता है । जन हित में कभी भी कोई घोषणा कर देते हैं और चाहे जब विथ्ड्रा कर लिया जाता है । मैं जानता हूं कि यकायक जन हित सामने आ जाता है सवेरे उठते ही तो यह हमारे अधिकारियों के लिए सोचने की बात है । तो यह जो ६ मार्च से लागू होने की बात कही गई है इससे लोगों पर ज्यादा आघात होता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि १ अप्रेल से ही इसको करें और जो टैक्स नहीं ले पाये उनसे इस समय ४ पर्सेन्ट लेना किसी भी दृष्टि से वाजिब नहीं है और उसे वाजिब कहना भी नहीं चाहिए, जहां तक मैं सोच पाता हूं ।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा जो अमेन्डिंग बिल आया है उसके संबंध में मैंने विस्तार से अपने अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं । मैं समझता हूं कि मैंने जितने विस्तार से इस अमेन्डिंग बिल को देखा है उसको देखने के बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर भी जहां राज्य सरकार चाहती है कुछ लोग छूट जाते हैं और छूट करके टैक्स से बच जाते हैं । मैं कहता हूं, हमारे डिपार्टमेन्ट में लीकेज होता है, डिपार्टमेन्ट को पहले हमें ठीक करना चाहिए । कई लोग छूट जाते हैं तो डेफीनिशन के इन्सर्ट करने के बाद और छूट जायेंगे इसलिए मैंने उसको और भी विस्तार से किया है । मेरे जो विचार हैं, मैं चाहता हूं कि उनको आप एग्ज़ामिन करायें । आपकी जो प्रपोज्ड डेफीनिशन है अगर उससे यह महत्वपूर्ण हो तो आप इसको मन्जूर कर

(श्री मनोहर कोठारी)

लीजिए नहीं तो मैं विथ्ड्रा कर लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपका अमेन्डमेन्ट कहां है ?

श्री मनोहर कोठारी : मैं खत्म करने के पहले यह चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह इतना लचर कानून है कि एक तरफ टिनेन्सी बिल को देखते हैं तो उसमें आपने १२ या १३ अमेन्डमेन्ट्स कर दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : 'लचर' से आपका मतलब क्या फ्लेक्सीबल से है ?

श्री मनोहर कोठारी : 'लचर' का मतलब मैं कमजोर से लेता हूँ। एक आदमी कोई कानून की किताब खरीद ले और उस कानून में हर साल अमेन्डमेंट हो जायें तो हर साल नई किताब खरीदनी होगी। बुकसेलर्स से मिलीभगत हो तो कह नहीं सकता; नहीं तो मैं समझता हूं कि हमें मोडीफाई करके इस कानून की कमजोरियों को दूर करना चाहिए। इसलिए इसे प्रवर समिति के सामने रख दिया जाये और जो माननीय सदस्यों के विचार आये हैं उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करके और जो कमियां हैं उनको दूर करके इस विधान सभा के सम्मुख आयेगा तो मैं समझता हूँ कि अधिक उपयोगी होगा और उसकी उपयोगिता को भी हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए मैंने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने हेतु अमेन्डमेन्ट रखा है।

(विद्युत के चले जाने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

कई माननीय सदस्य : अन्धेरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो जैसा कानून है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर ऐसा अमेन्डमेन्ट है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। जैसा कि हमें वित्त मंत्री महोदय के भाषण से आभास मिलता है कि यह जो संशोधन लाया गया है वह इसलिए लाया गया है कि इसमें कुछ कमियां थीं जिससे व्यापारियों ने सरकार को टैक्स नहीं दिया। जो सेल्स टैक्स का कानून है हमारा दल इसको हमेशा से परिगामी कदम मानता है। हमारा दल मानता है कि यह बिक्री कर लागू ही नहीं होना चाहिए और सरकार ने भी इसको माना है और इसे मान कर कुछ चीजों से सरकार ने सेल्स टैक्स हटा लिया। लेकिन दो वर्ष पहले सरकार ने इस प्रकार की चीजों पर एक्साइज़ कर लगा कर बिक्री कर हटा दिया। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर एक्साइज़ टैक्स नहीं लगा सकते थे। यानि सरकार अपनी आमदनी का दूसरा जरिया नहीं निकाल सकी इसलिए कुछ चीजों पर अब भी बिक्री कर लगा रखा है। कहीं पर सरकार ने कहा कि क्योंकि हमारा सिस्टम बदल रहा है, पहले तोल का सिस्टम बदला और उसको मन से ग्राम में किया और कहा गया कि इसलिए संशोधन ला रहे हैं। इसके बाद में जो सिस्टम नाप का था उसको बदला और उसके स्थान पर मीटर सिस्टम लाये तो इसलिए संशोधन ला रहे हैं। कहा यह गया कि हम प्रणाली बदल रहे हैं और प्रणाली

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बदलने में टैक्स भी बदलेगा। यह भी कहा गया कि हम रेट्स का सिम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन रेट्स के सिम्प्लीफिकेशन करने में यह समझ में नहीं आया कि सिम्प्लीफिकेशन करते कैसे टैक्स बढ़ गया ? सिम्प्लीफिकेशन की परिभाषा के द्वारा देखा गया है कि ३५ लाख रुपये का टैक्स बढ़ गया है। एक ओर तो आपने सिम्प्लीफिकेशन किया और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा दिया और सिम्प्लीफिकेशन करते समय जो ६ तारीख से रेट्स लागू की हैं उस लिस्ट को देखें तो मालूम होता है कि सिम्प्लीफिकेशन में ऐसे आइटम्स रखे हैं कि पुरानी की पुरानी रेट्स रख दीं। सिम्प्लीफिकेशन में जो ७ रेट्स थीं उनमें ५ कर दीं लेकिन कुछ रेट्स को उतना का उतना रखा गया है। चलते चलते जब आखिरी आइटम आता है उसको देखें तो मालूम होता है, अदर गुड्स कैरिंग १० पर्सेन्ट, वह १० पर्सेन्ट ही रहता है। इसी प्रकार से अदर गुड्स कैरिंग ४ पर्सेन्ट वह ४ पर्सेन्ट का ४ पर्सेन्ट ही रह जाता है। फिर अदर गुड्स चार्ज्ड एट ३½ पर्सेन्ट वह ४ पर्सेन्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो मार है वह ३½ पर्सेन्ट की रेट थी उसको ४ पर्सेन्ट करके सिम्प्लीफिकेशन में सबसे बड़ी मार ग्राहकों के ऊपर मारी है। २ पर्सेन्ट को २ पर्सेन्ट ही रखा है और ½ पर्सेन्ट को १ पर्सेन्ट कर दिया। तो यह जो प्रॉसेस सिम्प्लीफिकेशन का हमारी सरकार ने किया है और यह जो सरकार ने टैक्स बढ़ाने का तरीका निकाला है और इसके लिए कहा गया कि यह व्यापारियों की सुविधा के लिए किया है। क्योंकि व्यापारियों ने स्मरण-पत्र दिये हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और वास्तव में सुधार करने की जो बात है वह सिम्प्लीफिकेशन की प्रणाली के बजाय जो विभाग की प्रणाली है कि किस ढंग से टैक्सेशन करते हैं और किस ढंग से असेस करते हैं और नोटिसेज़ देते हैं उसमें ठीक तरह से किया जाये तो चोरी भी बचे और व्यापारियों को भी राहत मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सीकर के पत्थर के व्यापारियों का उदाहरण देता हूँ। सीकर के अन्दर १०० व्यापारियों को नोटिसेज़ दिए गए और व्यापारी आये। आने को तो वे मेरे पास भी आये उन्होंने कहा कि हम पर इतना टैक्स नहीं होता है पर फिर भी लगा दिया है। पर थोड़े दिन बाद वे फिर मेरे पास आए तो बाद में उन्होंने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है और हमने इसकी व्यवस्था करली है। अब उन्होंने क्या व्यवस्था की, पता नहीं और वह १०० या १५० व्यापारी होंगे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। तो विभाग के अन्दर यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से नोटिसेज़ देने चाहिए ? नोटिस देने की क्या प्रणाली है ? किनको नोटिस देना चाहिए और नोटिस देने के बाद में फिर टैक्स आयद क्यों नहीं होता ?

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर): माननीय उपाध्यक्ष, गणपूर्ति का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ओर के माननीय सदस्यों का आह्वान किया जाकर उस पूर्ति का समाधान किया जाय।

(गण पूर्ति न होने के कारण सचिव महोदय से)

Please ring the bell.

(श्री उपाध्यक्ष)

When you feel like taking rest than you raise this objection.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक के एक सेक्शन का जो सवाल है और इन कानूनों में जहां तक हमने देखा है कानूनों के अन्तर्गत रूल्स यहां नहीं बने। रूल्स सरकार बनाती है और उन रूल्स के आधार पर सारी बातचीत चलती है। रूल्स में गड़बड़ होती है। रूल्स सदन के सामने नहीं लाये जाते हैं। रूल्स पर सदन के सदस्य विचार नहीं कर सकते हैं। जिस ढंग से बनते हैं और जहां तक वे अमल में लाये जाते हैं उनमें अधिकतर सुधार करने की आवश्यकता है....

डॉ० बहादुरसिंह : रूल्स सब आते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पिछले साल से एक कमेटी बनी है।

श्री उपाध्यक्ष : That is not an objection from the Chair.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे कमेटी के सदस्य हैं। इसलिए बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : We will not recognise him while he raises an objection while sitting.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो उनके ऊपर विशेष रूप से विचार करके उनको सिम्प्लीफाई कैसे किया जाय, यह व्यापारियों की मांग थी। सरकार अपने विभाग को लेकर विचार करे कि इनका सिम्प्लीफिकेशन कैसे किया जाय?

व्यापारियों पर अभी पर्चेज़ टैक्स लगा और पर्चेज़ टैक्स लगने की दृष्टि से धारा ५ को कानून में जोड़ कर कुछ इस प्रकार का माल तो इसके अन्दर है जो कि सरकार के द्वारा क्रय होगा। व्यापारी जो माल बेचता है उस पर किस प्रकार का टैक्स लगता है और कई सरकार की चीजें हैं जिन पर अभी तक टैक्स नहीं मिलता है और सरकार भी बहुत कुछ माल बेचती है लगभग सरकार कई दफा आक्शन करती है, और उस माल पर संभवतः कोई टैक्स नहीं लगाया जाय क्योंकि सरकार बेचती है। अब इसका अर्थ यह है कि बेचने वाले पर टैक्स लगता है। व्यापारी माल बेचता था तो सारे टैक्स का हिसाब रखता था। सरकार टैक्स का हिसाब किस प्रकार से रखे? कबाड़ी ही सरकार का माल खरीदेगा। अब इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट को भी इन्कॉर्पोरेट कर दिया है। अब यह नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेन्ट अपना टर्न ओवर नहीं बताये। गवर्नमेंट को भी सारा हिसाब रखना होगा। उस दिक्कत से बचने के लिए सरकार ने पर्चेज़ टैक्स कर दिया। सारी चीजों पर पर्चेज़ टैक्स कर दिया जाता तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाती, लेकिन इससे सरकार स्वयं दुविधा में आने वाली थी। उससे बचने के लिए पर्चेज़ टैक्स कर दिया। इन सारी चीजों पर पर्चेज़ टैक्स लगाना उचित नहीं है। यह किसी प्रकार से लागू नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के पर्चेज़ टैक्स की सरकार ने दिक्कत से बचने के लिए व्यवस्था की है। तो इस ढंग से मेरा निवेदन था कि सिम्प्लीफिकेशन करें।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसके लिए एक कमेटी बैठाई जाय जिसके अन्दर व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात करके किस ढंग से इस विभाग के प्रति भ्रष्टाचार की जो अधिक शिकायतें आती हैं उन्हें बेकार करें। आजकल यह विभाग भ्रष्टाचार का जनक है जिसकी एक घटना बताई थी सीकर की। उस संबंध में एक कमेटी बैठाई जाय और स्वयं आप सारी बातों का निदान करें कि किस ढंग से इस टैक्स को अधिक सिम्प्लीफाई करें जिससे जो विभाग के अन्दर चोरियां होती हैं और गड़बड़ें होती हैं वे रुकें। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव रखा था। इन सारी बातों पर ठीक तरह से, ठीक ढंग से विचार कर सकते हैं, इसलिए यह प्रस्ताव रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) Hon'ble Member to my left please.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो सेल्स टैक्स बिल आज हाउस के अन्दर पेश हुआ है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इसके दो पार्ट कर दिये हैं। इसके आधे हिस्से को यानि सेक्शन ४ से ८ तक को हमारी सरकार ६ मार्च से लागू करना चाहती है और इसके बाद वाले भाग को १ अप्रेल से लागू करना चाहती है। यानि जहां पर टैक्स लगने का प्रश्न है, ३ रु० २ आ० पहले टैक्स कई वस्तुओं पर उसको अब हमारी सरकार ने ४) रु० तक कर दिया है। अब आपने ४) रु० तक टैक्स तो कर दिया, मगर लागू ६ मार्च से किया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को इसकी जानकारी कैसे हो सकती है? लोगों को मालूम नहीं है। कई जगह आपके नोटिफिकेशन्स और गज़ट्स नहीं पहुँचते हैं और नहीं पहुँचने के कारण लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। अगर वे ४ पर्सेन्ट ले लेते तो कानून की अवहेलना करते, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचा नहीं। किसी को मालूम नहीं कि जयपुर में सरकार ने एनाउन्समेंट कर दिया है, इसलिए ४ पर्सेन्ट लेना शुरू कर दें। ४ पर्सेन्ट लिया नहीं। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ६ तारीख से पहले सक्युलर, हिदायतें निकल गई होतीं और व्यापारियों को जानकारी हो गई होती कि ६ मार्च के बाद में ३ रु० २ आ० के एवज़ में ४) रु० पर्सेन्ट से टैक्स वसूल करना है तो इस दृष्टिकोण को लेकर चलते कि ४ पर्सेन्ट हिसाब से वसूल करें। लेकिन उनके सामने वह खाका है कि ३ रु० २ आ० वसूल करना है। उन्होंने टैक्स वसूल ३ रु० २ आना से किया है। कानून आज बनता है और हमारी सरकार कहती है कि ६ मार्च से टैक्स लेंगे। हमें ३ रु० २ आना के हिसाब से नहीं ४) रु० के हिसाब से दे दो चाहे, तुमने ३ रु० २ आ० के हिसाब से लिया हो। एक गलत तरीके से हम उन्हें चोरियां करना सिखाते हैं। व्यापारी लोग क्या करें? सरकार ऐसा रवैया करती है तो व्यापारी लोग आगे चलते हैं। किसी को आप मकान के अन्दर बन्द कर दो तो वह बाहर निकलने का तरीका सोचता है। व्यापारियों को इस प्रकार से आप चोरियां करना सिखायेंगे तो महीने, दो महीने का अपना खाता खुला रखें। सरकार चोरियां करना सिखाती है क्योंकि व्यापारियों को ऐसा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

विश्वास होता जा रहा है कि सरकार न मालूम किस टाइम पर कौन सा कानून लागू कर दे। इस प्रकार से सोच कर वे चलते हैं। सरकार इस प्रकार की परम्परा नहीं पटके कि ऐसे कानूनों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे। कानून लागू करना जरूरी हो तो पहले विधान सभा बुला लें। पहले कानून बना लें फिर लागू करना चाहिए, ताकि व्यापारियों के दिमाग में रहे कि यह कानून बना दिया है। मगर सरकार स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहती है।

दूसरा आपका जो है इसको देखते हैं तो इसके अन्दर कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर दुबारा भी टैक्स लगा सकते हैं। आपके इन्डेक्स का प्रेस नोट जो अभी इश्यू हुआ है उस पर आपने चांदी पर टैक्स लगा दिया है और चांदी के बने हुए गहने हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया है। एक दूकानदार दूसरे को बेचे और दूसरा तीसरे को बेचे तो टैक्स बढ़ता जायगा। कई वस्तुओं पर तो फर्स्ट पोइन्ट पर रखा है और कई वस्तुओं पर लास्ट पोइन्ट पर रखा है। एक गहना १० जगह बिकता है तो १० जगह टैक्स देता है। तो सरकार को स्पष्ट नीति रखनी चाहिए। पहले पहल ५५ के अन्दर टैक्स सोने और चांदी पर आठ आना प्रतिशत था और उसके जेवर कर से मुक्त थे। उसके बाद में ५६ के अन्दर सोना और चांदी पर आठ आ० करके जेवर पर भी आठ आना लगा दिया। उसके बाद में ६० में सोना-चांदी पर आठ आना और जेवर पर १) रु० कर दिया। इस प्रकार से आपका यह टैक्स बढ़ता गया। एक जेवर बना हुआ है वह मार्केट में आता है तो उस पर किसी प्रकार का पहले टैक्स नहीं होता था। वह मार्केट में आता है तो सोने पर टैक्स नहीं होता था और गहने पर टैक्स ले लिया। लेकिन इस प्रकार की प्रणाली के लिए किसी जगह सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। चाहे वह मार्केट में दुबारा आता है या तिबारा आता है सोने और चांदी के जेवर पर बिक्री टैक्स होगा। हमने फर्स्ट पॉइन्ट और लास्ट पॉइन्ट नहीं रखा है। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। कई वस्तुओं पर फर्स्ट पॉइन्ट और कई पर लास्ट पोइन्ट, और कहीं पर कुछ दे दिया है। आप एक तरफ, यह लेकर चलते हैं कि व्यापारियों को दिक्कत आती है इसलिए कानून को सुलझन भरा करना चाहते हैं। लेकिन यह तो सुलझन भरा नहीं उलझन भरा हुआ है आपका कानून। इस सम्बन्ध में एक पुरानी कहावत याद आती है। स्टेट के टाइम में एक राजाजी एक व्यापारी पर खुश हो गये। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि माल ले जाने को उसको छूट है। उस पर यह ऑर्डर दे दिया कि 'रोको मत जाने दो।' उसने समझा कि रोको मत, जाने दो से उसको हुकम मिल गया है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है कस्टम पर नाकेदार वगैरह द्वारा। आप कानून जिस वक्त बनाते हैं, यहां बैठ कर विचार करते हैं तो उसकी भावना हो सकती है कुछ, मगर जब उसका इम्प्लीमेंन्टेशन होता है, जब उसकी तामील होती है। तो कानून की तामील करने वाले, उसका इम्प्लीमेन्टेशन करने वाले उसका कुछ और मतलब ले लेते हैं। जब वह व्यापारी नाके पर पहुंचा तो नाकेदार ने उसको रोक दिया और उससे कहा कि इसमें लिखा हुआ है 'रोको, मत जाने दो।'

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अन्दर वहीं के वहीं हैं। अभी तो हुकम मिला कि 'रोको मत, जाने दो' और आप कहते हैं कि 'रोको, मत जाने दो।' उसके मतलब में एक ऑफिसर ने यह परिभाषा कर दी। उसके दोनों मतलब निकल सकते हैं, 'रोको मत, जाने दो।' और 'रोको, मत जाने दो।'

श्री उपाध्यक्ष : अर्धविराम की समस्या थी।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : सरकार ने इस कानून को उलझन भरा बना दिया है। क्रय और विक्रय हमेशा चीजों के बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों होते हैं तभी होता है।

२.२२ म. प.

और आप कहते हैं कि ५ हज़ार से ऊपर का बिज़नेस राजस्थान के बाहर का व्यापारी करता है और पर्चेज़ टैक्स नहीं देता है। आपने कानून में इस किस्म की व्यवस्था रखी कि जो इम्पोर्टर है, ५ हज़ार का बिजनेस करनेवाला इम्पोर्टर है उसको रजिस्टर्ड डीलर बनना पड़ेगा और यदि राजस्थान में ही बिज़नेस करता है तो उसका टर्न ओवर १२ हज़ार का रखा है। लेकिन आपकी एसेसिंग ऑथोरिटी इस बात को नहीं देखती है। चाहे बाहर से ४ बीड़ियों की पेटी मंगा कर २०० रु० का इम्पोर्ट किया है या उसका टर्न ओवर २ हज़ार का हुआ है और बाकी टर्न ओवर ६ हज़ार का हुआ है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी नहीं है। लेकिन आपकी एसेसिंग ऑथोरिटी कहती है कि तुम इम्पोर्टर हो इसलिये रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी होगा। तो आप जिस कानून को सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं उसका परिणाम क्या होता है ? उसका परिणाम जनता को और व्यापारी को भुगतना पड़ता है। अमूमन गांवों में जो व्यापारी होते हैं वे मामूली व्यापार करते हैं। हज़ार, पांच सौ रुपयों का सामान लाये और उसको बेच दिया। फिर गेहूं खरीद लिये और उनको बेच कर घी ले लिया; तो इस तरह से व्यापार करने वाले जितने व्यापारी हैं उनको भी आपके एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका कानून कुछ भी हो लेकिन उसका मतलब निकालनेवाली आपकी जो मशीनरी है वह यह कहती है कि हमको तो टैक्स वसूल करना है, सरकार का घाटा पूरा करना है। वे यह नहीं सोचते हैं कि वास्तविकता क्या है, इससे पब्लिक को हैरेसमेन्ट कितना होगा, वे यह नहीं सोचते हैं ! आप यह नियम कर दीजिये कि कोई भी व्यापार करे उसको १० रु० देने पड़ेंगे तो वे लोग १० रु० देना पसन्द करेंगे। लेकिन अब आपने यह कर दिया कि अकाउन्ट रखो, स्टेटमेन्ट पेश करो। आप एक तरफ तो इस तरह की पाबन्दी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह नहीं सोचते कि जनता में एजुकेशन कितनी है। गांव के व्यापारी तोलना तो जानते हैं लेकिन लिखना–पढ़ना नहीं जानते। आप उनको कहोगे कि तुम रजिस्टर्ड डीलर बनते हो तो तुमको पूरा अकाउन्ट मेन्टेन करना पड़ेगा। लेकिन अकाउन्ट मेन्टेन कराना चाहते हैं तो एज्युकेशन का पर्सेन्टेज भी देखना चाहिये। एसेसिंग ऑथोरिटी को कानून को ध्यान में रखना चाहिये लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि डीलर का इन्टेन्शन तो खराब नहीं है।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

उसने सरकार को मुगालता देकर लाने की कोशिश करके अकाउन्ट ठीक ढंग से मेन्टेन नहीं किया तब तो उसको पेनेलाइज़ कर सकते हैं लेकिन आपकी एसेसिंग ऑथेरिटी कहती है कि आपका प्रोपर अकाउन्ट नहीं इसलिए पेनल्टी लगाते हैं। तो वे लोग कहते हैं कि प्रोपर अमाउन्ट रखें कैसे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं ?

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिटर्न्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून में पहले यह व्यवस्था थी कि रिवाइज़्ड रिटर्न्स एसेसमेंट के पहले पेश कर सकते थे। उसके बाद यह प्रोविज़न कर दिया कि क्लॉज़ को अमेन्ड करके कि नक्शे में कोई गल्ती रह गई हो तो ३ महीनों के भीतर गल्ती को दुरूस्त करके रिवाइज्ड नक्शे पेश कर सकते हैं। गल्ती कई कारणों से हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन की वजह से भी हो सकती है। साल भर में व्यापारी उस स्टेटमेंट को देखेगा कि एसेसमेंट कराना है तो कहीं गल्ती तो नहीं रह गई है जोड़ वगैरह में। अगर गल्ती रह गई हो तो उसको रिवाइज करने की पहले व्यवस्था रखी थी जब कि सन् ५४ में तय किया था सेल्स टैक्स लगाना उस वक्त कानून में उलझनें नहीं थी। उस समय ठीक ढंग से सोचा गया था। जिस इन्टेन्शन से व्यवस्था रखी थी वह ठीक था। लेकिन अब दिन ब दिन इसमें परिवर्तन करके गल्ती को दुरूस्त करने का अधिकार नहीं रखा है।

चौथा मैं स्टेटमेंट टाइम पर नहीं पहुंचने के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण टाइम पर नहीं पहुंच सकता। कई जगह तो साधन नहीं हैं, पूरे पोस्ट ऑफिसेज़ नहीं हैं, डाक की व्यवस्था नहीं है। कई जगह तहसील भर में एक पोस्ट ऑफिस है। ऐसी हालत में किस तरह से व्यापारी स्टेटमेंट समय पर भेज सकते हैं ? लेकिन आपने इस पर ५० रु० की पेनल्टी रख दी है। आप इस तरह की पेनल्टी रख कर जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि हम इतनी सख्ती करना चाहते हैं ? यदि यह बात है तब तो उसका दुरुपयोग ही होगा, चाहे दुरुपयोग व्यापारी करें चाहे आपकी मशीनरी करे। आपकी मशीनरी यदि। दुरुपयोग करना चाहेगी तो व्यापारी उनसे भी आगे जायेंगे। आप उनसे जितना ज्यादा टैक्स लेना चाहेंगे वे उतना ही कम देंगे। कानून जितना सरल होगा उतने ही अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। यदि कानून उलझन भरा होगा तो उससे बचने का लोगों के पास और तरह का रास्ता होगा। इससे जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी।

पांचवीं बात एग्जेम्पशन के बारे में है। आपकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। जिस समय हिदायत निकालते हैं उसका समय निश्चित होना चाहिये। या तो व्यापारी एसेसमेंट इयर फर्स्ट अप्रेल से लागू करते हैं या दीवाली से लागू करते हैं। इसलिये आपके नोटिफिकेशन या हिदायतों से जो परिवर्तन होता है वह निश्चित डेट से होना चाहिये ताकि हिसाब में गलती नहीं हो, समझने में गल्ती नहीं हो, व्यापारी ठीक तरह से समझ सकें। यह नहीं कि मिनिस्टर साहब जब भी नींद में से जग गये तभी हिदायत निकाल दी....

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सक्युर्लर्स या हिदायत डिपार्टमेंट निकालते हैं, मिनिस्टर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मिनिस्टरों को नींद से वे जगाते हैं। आरम्भ रखिये।

श्री लक्ष्मीचन्द : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, पहले एग्जेम्पशन के लिये १० रु० रखे गये थे, उसको वापिस बंद करके इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि २५,०००) की बिजनेस वाले के लिये २५ रु० लाइसेन्स फीस रख दी और १ लाख के बिज़नेस वाले के लिये १०० रु० और ५० हज़ार के बिजनेस वाले के लिये ५० रु० रख दिया। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना आपने १४ तारीख को लागू किया। आपको यह मानना चाहिये कि १४ तारीख को आपका गजट सब जगह नहीं पहुंचा होगा इस पर भी सरकार ने कहा कि ३१ तारीख से पहले जो जमा करायेंगे उनको एग्जेम्प्ट किया जायगा। एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ एग्जेम्पशन मिश्री पतासा वगैरह पर कर दिया। यदि दो। चार दिन लेट जमा कराते हैं तो पेनल्टी लेते हैं। यदि कोई सोचता है कि दो-चार रुपये का व्यापार करेंगे इसलिये वह टाइम पर नहीं लाते हैं। तो भी एसेसिंग ऑथोरिटी टैक्स ले लेती है। एक तरफ तो १० रु० पर लाखों रुपयों की छूट देते हैं और दूसरी तरफ जमा नहीं कराते हैं तो दंड देते हैं। आपको यह करना चाहिये कि १० रु. का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो १५ रु० को पेनल्टी ले लें। लेकिन एक के लिये तो टैक्स और दूसरे के लिये लाखों रुपयों की मुफ्त छूट ! मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप किसी प्रकार का कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे व्यापारियों के सामने एक महीना पहले लाइये ताकि उनको मालूम हो जाय कि इस तरह से टैक्स देना है। समय पर हिदायत पहुँचने से इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो सकता है, नहीं तो मशीनरी अंधाधुन्ध तरीके से इम्पलीमेंटेशन करती है। वे चाहें तो किसी को छूट यह कह कर दे दें कि तुमको इसका इल्म नहीं था और किसी पर जुर्माना लगा दे। इस प्रकार की पॉवर्स अधिकारियों के हाथ में नहीं देनी चाहिये, कम पॉवर्स अधिकारियों के हाथ में देनी चाहिये ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। जितना परिवर्तन करना हो वह १ अप्रेल से करना चाहिये। जो गलत रवैया अख्त्यार करते हैं कि हम मर्जी आवे जैसा करेंगे तो उससे व्यापारियों को दिक्कत होती है और आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की पूर्ति नहीं होती। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो प्रस्ताव श्री मनोहर कोठारी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सेल्स टैक्स एक्ट सन् १९५४ में इस विधान सभा से पारित किया गया, उसके बाद आज १९६० में मेरे खयाल से यह पांचवां या छठा उसमें संशोधन है। अब सेल्स टैक्स के स्थान पर सेल्स एन्ड पर्चेज़ टैक्स बन जायगा ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो नीति राजस्थान सरकार इस अमेंडमेंट बिल में बरत रही है और व्यापारियों के साथ सीधा सम्बन्ध सरकार का होकर उनके साथ जो सरकार का व्यवहार रहा है वह थोड़ा आपत्तिजनक है। इसका कारण यह है कि जो एक्ट बनता है,

(श्री तेजमल बापना)

कानून बनता है, कानून की दृष्टि से सब व्यापारी एक निगाह से देखे जाते हैं, फिर क्या कारण हैं कि एक किसी वस्तु विशेष के व्यापारी कुछ फायदा हासिल करें और दूसरा व्यापारी उस फायदे को हासिल करने से महरूम रहे ? मसलन अभी मेरे पहले के जो वक्ता महोदय हैं उन्होंने बतलाया कि ऊन के व्यापारी हैं उनको ३१ मार्च तक छूट दी गई है कि वे अपने सर्टीफिकेट्स हासिल कर लें, जब कि दूसरे जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर यह छूट नहीं रखी गई हैं। यह डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार उचित नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज कई साधारण सी चीजें हैं उनके ऊपर तो टैक्स बढ़ा दिया और जिन चीजों पर से टैक्स घटाने की आवश्यकता नहीं थी उन पर से सरकार ने टैक्स घटा दिया है। एक प्रेस नोट गवर्नमेंट ने अभी अभी निकाला है और उसमें बतलाया है, जैसा कि हमारे वित्त मंत्रीमहोदय ने अपने भाषण में बतलाया था कि हम सेल्स टैक्स के जो अलग अलग आइटम्स हैं उनको कम करके कुछ राहत देना चाहते हैं व्यापारियों को। अब राहत कहां तक मिली है, कहां तक नहीं मिली है, वह तो जो व्यवहार उनके साथ किया जायगा उससे महसूस होगा, लेकिन टैक्स कोई लगाया जाय तो वह टैक्स उन चीजों पर लगाना चाहिए एक नीति के तौर, से जिस पर वह बर्दाश्त किया जा सकता है। मसलन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे टॉयलेट्स हैं और लग्ज़री की बहुत सी परफ्यूमरीज़ हैं, ऑयल, रोज़ ऑयल, जो इस किस्म की हैं उन पर सात पर्सेन्ट से घटाकर चार पर्सेन्ट कर दिया है। इसके साथ साथ पर्ल्स रियल और कल्चर्ड हैं उन पर दो पर्सेन्ट से घटा कर एक पर्सेन्ट कर दिया है। क्या जरूरत हुई इन चीजों पर से घटाने की ? इसको आप बढ़ायें, सात पर्सेन्ट से बढ़ा कर १०, १२ और १५ पर्सेन्ट कीजिये। अब ऐसी चीजें आई, तीन रुपया दो आना साधारण चीजों पर लगता है, उनको बढ़ा कर चार पर्सेन्ट कर दिया। वह बढ़ाया है, वह जनसाधारण के ऊपर ज्यादा लगाया है बनिस्बत जिनके ऊपर लगना चाहिए उनको छूट दी है। यह नीति गवर्नमेंट की शोभाजनक नहीं हो सकती। इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आइटम्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिनको किस दृष्टि से सरकार लाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। कुछ एग्जेम्प्शन सरकार ने दिये हैं। उनमें बहुत सी चीजें हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता। हैंड लूम्स की जो चीजें हैं या जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स माफ है। इसके साथ ही हमारे यहां पर कई सैकड़ों साधारण व्यक्ति हैं जो जुलाहे का काम करते हैं, जो दरियां बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं और निवार बनाते हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। यह समझ में नहीं आता कि क्या दृष्टिकोण है इस डिपार्टमेंट का ? जो आदमी अपने हाथ से, उसके पास पॉवर लूम भी नहीं होता, मेहनत मज़दूरी करके कारपेट बनाता है, दरी बनाता है निवार बनाता है उस पर क्यों सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ? यह एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जब पॉवर लूम और हैंड लूम की बनाई हुई चीजों पर टैक्स छोड़ते हैं तो इन लोगों से क्यों वसूल किया जाता है, यह सोचने की बात है माननीय मंत्री महोदय के लिए।

(श्री तेजमल बापना)

दूसरा यह है, बहुत सा सामान बाहर से आता है और यहां पर बिकता है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता। मसलन कपड़ा वगैरह ऐसा है। लेकिन जो बारदाना या पेकिंग मेटीरियल है उस पर टैक्स वसूल किया जाता है। मुझे इसका भी औचित्य समझ में नहीं आता। जब कपड़े पर छूट है, कपड़े का बारदाना हुआ, तो उस पर छूट क्यों नहीं दी जाती? आप कहें कि हम आपको आग जलाने के ऊपर तो छूट देते हैं लेकिन अगर कोई धुंआ कर देगा तो उस पर टैक्स वसूल कर लेंगे, यह जो एक तरह की अनोमोली है, यह समझ में नहीं आती। कपड़ा टैक्स फ्री है और अगर कपड़े को पेक करके भेजा जाता है तो उस पर टैक्स क्यों वसूल किया जाता है? इस तरह जो साधारण व्यापारी हैं उनको परेशान किया जाता है। इसके अलावा मैं एक बात की ओर मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स देने में, जो व्यापारी है वह घबराता नहीं है। आखिर वह कमाता है और कमाने पर टैक्स देता है लेकिन परेशानी....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अपने घर से नहीं देता है।

श्री तेजमल बापना : अपने घर से नहीं देता है, लेकिन उसको परेशान किया जाता है, उसको हर चीज़ के लिए हिसाब रखना पड़ता है। वह हिसाब पेश भी करता है, लेकिन कई चीजें कानून में साफ हैं, उनको डिपार्टमेंट देखेगा नहीं, वह देखेगा कि जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर या नोट आया है, उसको खुदा की लकीर समझ कर व्यापारियों के साथ व्यवहार करता है और इसका कारण यह है कि जो बहुत से सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं वे ट्रेन्ड नहीं हैं, कई नये नये ऑफिसर्स हैं उनको उलझन भरे हुए कानून को अमल में लाने को नियुक्त कर देते हैं, तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वक्तन फक्तन उनको ट्रेनिंग दी जाय और यह जो अनोमोली है जो सेल्स टैक्स का डिफरेन्स हैं उसको समझायें ताकि लोगों को राहत मिले। मैंने आपको यह निवेदन किया है कि उसमें एक अपील का प्रोविजन रखा है। लेकिन वह भी डिपार्टमेंटल रखा है। मेरे खयाल से पंचायत एक्ट में भी डिविजनल कोर्टस का सुझाव रखा है, तो सेल्स टैक्स के लिए एक ट्रिब्युनल, इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी कायम क्यों नहीं करते, जिससे लोगों को राहत मिले और जो लोग गड़बड़ी करते हैं. उनको कानून के अनुसार सजा मिले। यह बात ऐसी है, जिसे इस अमेंडमेंट बिल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के ध्यान में लाना जरूरी समझता हूं, इस लिए मैंने निवेदन किया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रखने का, इसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करने की दो खास मुख्य बातें हैं। एक तो मैं समझता हूं इस अमेंडमेंट बिल के कुछ प्रॉविज़न्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर क्लॉज ३, सब-क्लॉज (२) है इसमें कहा गया है :

"The words 'made within the State by one person to another' shall

(श्री पी० के० चौधरी)

be omitted." उपाध्यक्ष महोदय, ओरीजिनल एक्ट जो है उसके सब क्लॉज २ (अ) में है। "Sale is defined there" 'Sale' means any transfer of goods within the State by one person to another." अब इसमें सेल फॉर दी पर्पज़ ऑफ सेल्स टैक्स डिफाइन किया है। यह जो अमेन्डिंग बिल है, यह जो क्लॉज़ था : "made within the State by any person to another shall be omitted...'' यह लिखा हुआ है, मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to clause 2, sub-clause (2)

श्री पी० के० चौधरी : Clause 3, Sir, of the amending Bill part (2). There is one part 2 in clause 2:—

"The words, made within the State by one person to another shall be omitted." This is there in the amending Bill and the extract has been supplied to us of the Principal Act.

Could you get it Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : In that part 2 : "Sale' with all its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods made within the state by one person to another for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration, and includes a transfer of goods on the hire"...Now Sir, the definition for the purpose of sales tax, this is given here.

अब इस डेफिनिशन को इस अमेंडमेंट के जरिये अमेंड किया जाता है, पहले यह था :

"Sales for the purpose of sales will be made within the State,"

अब इसको अमेंड किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेफर करता हूं Article 286 of the Constitution. This Article 286 says "No law of a state shall impose or authorise the imposition of any tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place-

(a) outside the State, or

(b) in the course of the import of the goods into or export of the goods out of, the territotory of India."

I am referring you to Article 286 of the Constitution, Sir. तो कॉन्स्टिट्युशन का यह मेन्डेटरी प्रोविज़न है :

"Any sale made outside the State..."

इसके ऊपर हम कोई टैक्स लेवी नहीं कर सकते। तो इसको यहां पर अमेंड किया जाता है तो यह कॉन्स्टिट्युशन के खिलाफ होगा इस प्रकार का अमेंडमेंट। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गम्भीर विषय पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना परम आवश्यक है। आज जल्दी में

(श्री पी० के० चौधरी)

इम इसे पास कर लें और फिर यह चैलेंज हो सके, कॉन्स्टिट्युशन का जो क्लियर प्रोविज़न है, डाइरेक्टिव मेन्डेट्स हैं, उनके खिलाफ कानून पास कर दें, यह उचित नहीं होगा। इसलिये मेरा ऑब्जेक्शन है, डेफि-निशन ऑफ सेल में अमेंड किया जाता है : "transaction made within and outside the State." This amendment should not be there. यह इसमें नहीं होना चाहिये। टैक्स की रेट्स वगैरह गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में तय की जाती हैं, पर इस क्लॉज ३, पार्ट (५) का कन्स्ट्रक्शन विचित्र प्रकार का है। इसमें यह क्लियर नहीं है कि सेल्स टैक्स कन्ज्यूमर पर होगा.... 10 percent more will be transferred on the consumer. मैं आपका ध्यान पेज नं० २ पार्ट (५) की तरफ आकर्षित करता हूं, पार्ट (५) इस प्रकार है:

"In clause (t) after the first proviso and before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely, 'Provided further that in the case of a prescribed class of dealers other than a manufacturer, producer, processor or a dealer engaged in the execution of a contract, and at the option to be exercised by a dealer of such plscribed class, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed, turnover shall mean the aggregate of the amount of purchase price paid or payable by him in respect of the goods purchased by him for sale plus an amount equal to 10% of such purchase price."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुतल्लिक यह होता है कि अमुक क्लास का पर्चेज़र है, डीलर है, उस डीलर में कौन सी क्लास का डीलर आयेगा ? वह आयेगा जो आउट साइड राजस्थान से गुड्स इम्पोर्ट कराता है, वह आवेगा। एक डीलर सभी में काम करता है। He is registered for sales tax for all goods. कोई डीलर बाहर से या किसी फॉरेन एजेंसी से सामान खरीदता है तो उनकी सेल्स प्राइस पर तो टैक्स नहीं ले पाये, उसका ट्रान्जेक्शन अंदर टेरिटरीज़ से हुआ है। उसकी पर्चेज प्राइस पर होगा। यह मानकर चले हैं कि डीलर को १० पर्सेन्ट का प्रोफिट तो सीधा दे दिया। गवर्नमेंट ने मान लिया है कि १०० का माल है वह ११० में बेचेगा ११। के ऊपर असेस-मेंट होना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि कोई डीलर बतायेगा कि १०० में यह माल खरीदा है तो १० रुपया तो सामान में और यों ही बढ़ा दिया, that price he gets from the purchaser. जो समान खरीदने जायगा उससे १० पर्सेन्ट, १०० रुपयों पर १० रुपया लेगा पर उसमें गारन्टी नहीं कि १० पर्सेन्ट लेने के बाद चार पर्सेन्ट, पांच पर्सेन्ट या ७ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स बढ़ाये, मुनाफा बढ़ाये-तो इस तरह उसने १७ पर्सेन्ट लिया और फिर भी कोई गारन्टी नहीं है कि १७ पर्सेन्ट ही लेगा, वह इससे ज्यादा ले सकता है, २० पर्सेन्ट भी ले सकता है। कोई भी पर्चेजर १०० के बजाय ११० की या ११२ रुपया की खरीद बतायेगा और इसके ऊपर वह १० रुपया लेगा और १० रुपयों के अलावा सेल्स टैक्स लेगा। तो यह असेसमेंट का तरीका रखा है टर्न ओवर का। मैं समझता हूं, यह तरीका है इससे स्ट्रेट वे में डीलर्स को मौका देते हैं उस आर्टीकल पर १० पर्सेन्ट प्लस सेल्स टैक्स

(श्री पी० के० चौधरी)

फौरन बढ़ा दे, स्ट्रेट वे में बढ़ा दे।.... १० प्रतिशत प्लस सेल्स टैक्स जितना होता है वह फौरन उसमें जोड़ देगा । इसका मतलब यह हुआ कि आपने ७ पर्सेन्ट बढ़ाया है तो उसके अलावा वह १० पर्सेन्ट और लगा लेगा । तो मैं समझता हूं कि it will be an exorbitant incidence of tax on the consumer. तो ये जो दोनों प्रोविज़न्स इस बिल में है वे कॉन्स्टिट्युशन के प्रोविजन्स के खिलाफ हैं और दूसरा जो, उपाध्यक्ष महोदय, १० प्रतिशत टर्न ओवर बढ़ाने का रखा है, ये दोनो चीजें हैं, मैं बहुत सीरियस मानता हूं और इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जावे ।

अब दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बताना चाहता हूं वह यह है कि आपने कई चीजों को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है । जैसे एग्रीकल्चर के सामान जैसे ट्रेक्टर और दूसरे इम्पलीमेंट्स हैं उनमें आपने ट्रेक्टर को सेल्स टैक्स से एग्जेम्पट कर दिया है । लेकिन आपने कुंओं में जो पम्प पानी के लिये बहुत ही जरूरी चीज है जो सिंचाई के लिये आवश्यक है, उन पर आप सेल्स टैक्स लेते हैं । यह एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है । आपने फर्टीलाइज़र और ट्रेक्टर सेल्स टैक्स के शिडयूल से मुक्त किया है, मगर पम्प को एग्जेम्प्ट नहीं किया है । कुंओं में पम्प लगाने के लिये गवर्नमेंट से लोन लेकर पम्प लिये जाते हैं । अगर कोई तीन हजार का पम्प लेता है तो उस पर उसको ७ प्रतिशत सेल्स टैक्स लग जाता है ।

एक माननीय सदस्य : कई ड्रॉ बैक्स है ।

श्री पी. के. चौधरी : यह भी एक ड्रॉ बैक है, इसको करेक्ट करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इन्डस्ट्रियल रॉ-मेटीरियल को १०) रु० देकर एग्ज़ेम्प्शन मिल जाता है । ट्रेनिंग मेटीरियल के लिये एग्ज़ेम्पशन है, लेकिन टेनर्स को ट्रेनिंग के लिये, सामान के लिये कोई एग्ज़ेम्प्शन नहीं मिलता है, जो हाइड एन्ड स्किन का काम करते हैं उनको नहीं मिलता है । There are so many discripencies in the schedule for exemptions etc.

टेनर को केमिकल का एग्जेम्प्शन मिलता है लेकिन रॉ-मेटीरियल के लिये अभी हाइड और स्किन पर ७ पर्सेन्ट है पहले २० पर्सेन्ट था । There are so many other things which require serious attention. इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी सरकार का एक नोटिफिकेशन निकला है १५ मार्च को । गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इश्यु हुआ है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : There is no quorum, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You just go on. I am counting whether there is quorum or not. There appears to be the presence of the quorum, I think.

श्री पी० के० चौधरी : १५ मार्च का....

श्री उपाध्यक्ष : It is present. Including Chair we are 18.

(श्रीमती प्रभा मिश्रा के लॉबी की ओर जाने पर)

श्री मूलचन्द डागा : One is going out and hence short by one.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Now there in an absence of quorum. I think she is in efforts to call one more member. Yes, You can take rest Mr. Chaudhary.

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान में गवर्नमेंट पर्चेज़ेज करती थी किसी डीलर के पास से तो यहां पर वह ७ पर्सेन्ट टैक्स दिया जाता था। अब सरकार की तरफ से १५ मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो गवर्नमेंट को माल बेचता है उसको ज्यादा नहीं देना चाहिये। पहले ७ पर्सेन्ट था। उसमें यह था कि सरकार राजस्थान के डीलर से माल नहीं लेकर दिल्ली आदि दूसरे स्थानों के डीलरों से माल लेती थी क्योंकि रेलवे फ्रेट सेल्स टैक्स से कम पड़ता है। इसलिये सरकार ने प्रोसीजर को एमेन्ड किया है। १५ मार्च का नोटिफिकेशन इश्यू किया है, उसके अनुसार पहले जिसमें ४,६ या ७ प्रतिशत लेते थे उसको आज मिनिमम रखते हैं। मैं इसकी कोई युटिलिटी नहीं समझता। कोई सामान बेचेगा सरकार को तो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट डीलर को देगी और वह जमा करावेगा तो इसका मतलब क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। सरकार ? % देगी और % डीलर जमा करा देगा। इसमें गवर्नमेंट को परेशानी है और एकाउन्ट मेन्टेन करना होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है ? What is the scientific reason for this? स्टेट गवर्नमेंट पर्चेज़ेज़ करे और अपने डीलर के जरिये टैक्स देगी। इसलिये मैं इन सारी बातों को देखते हुए यह चाहता हूं इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने टैक्स कम किया है वह कॉसमेटिक्स् चीजें हैं जैसे पाउडर, आदि उनमें कमी कर दी है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ओल्ड रेट्स और न्यू रेट्स बताये हैं "All goods, applicances and accessories for toilet and shaving including toilet soaps and shaving soaps of all kinds, and all perfumery and scents... "

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य रोज इस्तेमाल करते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इन पर तो ७ प्रतिशत से आपने ४ प्रतिशत कर दिया है और इसमें लोगों का बड़ा फायदा किया है।

(हंसी)

बाकी तमाम चीजों में आपने ३ $\frac{1}{8}$ पर्सेन्ट से बढ़ा कर ४ पर्सेन्ट कर दिया। इसका सेन्स मेरी समझ में नहीं आया। उन चीजों का ७ पर्सेंट से ४ पर्सेन्ट टैक्स क्यों किया ? उनका तो ४ प्रतिशत के बजाय १० प्रतिशत कर सकते थे लेकिन दूसरी चीजों का कम करना था....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : It will be unfair to Fair Sex.

श्री पी० के० चौधरी : Fair Sex will look fairer without cosmetics.

एक माननीय सदस्य : As the Hon'ble Member looks.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble member has got a natural look.

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं देखता हूँ कि काफी डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं। इसमें जो लिस्ट है उसमें रेट स्ट्रक्चर हैं उसमें चीजें ऐसी हैं जिन पर विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी डिस्क्रिपेन्सी इसमें है वह यह है कि होमियोपेथिक मेडीसिन्स पर ८ पर्सेन्ट टैक्स लगाया है जब कि आयुर्वेद और यूनानी मेडीसिन्स पर कोई टैक्स नहीं है। एलोपेथिक पर लगाया है ८ पर्सेन्ट तो होमियोपेथिक पर इतना टैक्स नहीं होना चाहिये, वह भी नेचुरोपेथी के नजदीक है। नेचुरोपेथी के लिये हमारे मुख्य मंत्री ने योगाश्रम का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यह नेचुरोपेथ से मिलती जुलती है और चीपेस्ट भी है। मगर फिर भी इस पर ८ पर्सेन्ट टैक्स लगाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : होमियोपेथिक का कोई मिनिस्टर मालूम नहीं होता है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में देने का जो सुझाव रखा है वह बहुत उपयोगी सुझाव है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और जो एमेंडमेंट मूव किया है उस पर विचार करके इसको पास किया जावे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेल्स टैक्स को अमेन्ड करने का बिल सदन में पेश हुआ है और उसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

(हियर, हियर की आवाज़)

क्योंकि किसी फाइनेन्स बिल को इस तरह से सिलेक्ट कमेटी में पेश करके राज्य की आमदनी को मारा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सेल्स टैक्स बिल में जो खामियां हैं मैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों पर टैक्स लगता है, जिन व्यापारियों पर टैक्स लगता है उनकी सुविधा की ओर सरकार का ध्यान जाने लगा है। टैक्स स्ट्रक्चर में कमी कर रहे हैं, ७ से चार कर रहे हैं। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि टैक्स इवेड करके ईमानदार आदमियों पर प्रिफरेन्स न पावें, इस ओर भी सरकार ख्याल करने लगी है। माननीय मंत्री महोदय ने जो विचारार्थ रखते हुए संशोधन विधेयक पर वक्तव्य दिया उसमें यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि न तो वे इन्टर स्टेट टैक्स ही देते हैं और न ही राजस्थान सेल्स टैक्स देते हैं और बेईमानी करके उन व्यापारियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं जो कि ईमानदारी से सरकार को टैक्स देते हैं और देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वे लोग यहां पर सामान खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं जिन पर कि

Page No.82

(श्री चन्दनमल वैद)

सेल्स टैक्स लगने वाला है और बाहर से भी खरीद कर लेते हैं। इस तरह से न तो वे इन्टर-स्टेट टैक्स देते हैं और न ही राजस्थान सरकार को जो सेल्स टैक्स मिलना चाहिये वह देते हैं। दोनों तरह से वे व्यक्ति चोरी करके एक तरफ तो वे राज्य सरकार को नुकसान पहुँचाते हैं और दूसरी तरफ उन व्यापारियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं जो कि ईमानदारी से सरकार को इन्टर स्टेट टैक्स भी देते हैं और राजस्थान सेल्स टैक्स भी देते हैं। इसलिए ईमानदार और बेईमानी में डिफरेंशियेट किया जाय। यह नहीं हो सकता कि ईमानदार तो टैक्स देते हुए भी मुंह ताकता ही रह जाय और बेईमान टैक्स न देकर भी लाभ उठा जाय। इस ओर माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान दिया है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ।

लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं केवल दो बातों की ओर ही माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोई इन्डस्ट्री यदि हमारे यहां राजस्थान में सेट–अप होती है और यदि उसको रॉ-मेटीरियल चाहिये तो उसको राजस्थान में खरीदने पर चार पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा और दिल्ली से वह ही रॉ-मेटीरियल उस इन्डस्ट्री के लिए आता है तो उस पर एक पर्सेन्ट ही इन्टर–स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। यह बहुत सोचने की बात है। राजस्थान में यदि कोई इन्डस्ट्री सेट–अप होती है तो उसको राजस्थान में रॉ–मेटीरियल खरीदने पर चार पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना होगा और बाहर से लाने पर उसी रॉ-मेटीरियल पर एक पर्सेन्ट इन्टर–स्टेट टैक्स देना होगा। इससे राजस्थान के व्यापारियों को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हुआ और राजस्थान का ट्रेड भी नहीं बढ़ा और फायदा उठाया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के व्यापारियों ने। ट्रेड बढा तो उनका बढा यह सोचने की बात है और माननीय मन्त्री महोदय को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। यदि दिल्ली से माल आता है, रॉ-मेटीरियल आता है तो उस पर १ पर्सेन्ट इन्टर–स्टेट टैक्स देना होगा और वह ही माल राजस्थान में खरीदा जाता है तो कम से कम चार पर्सेन्ट, या जो भी वाजिब हो वह देना होगा। इसलिए यह एक सोचने की बात है कि क्या हम ऐसा कोई उपाय नहीं निकाल सकते कि जिससे जो इन्डस्ट्री यहां राजस्थान में माल खरीदे उसको उतना ही सेल्स टैक्स देना पड़े जितना कि बाहर से माल खरीद कर लाने में इन्टर स्टेट–टैक्स देना पड़ता है? यह भी एक सोचने की बात है कि हम ट्रेड और इन्डस्ट्री का समन्वय कैसे कर सकते हैं? इसका समन्वय करना चाहिये, यह आवश्यक है। दोनों का परस्पर सम्बन्ध है और ऐसा यदि नहीं होता है तो यह एक रॉंग साइडेड डेवलपमेन्ट हो रहा है हमारे राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ का। इन्डस्ट्रीज़ के साथ साथ ट्रेड का भी डेवलपमेन्ट होता है तो होना चाहिए। मैं तीन बातों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन्डस्ट्री, ट्रेड और कन्जूमर्स की पर्चेज़िंग केपेसिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इन तीनों बातों को ध्यान में रख कर यदि इन्डस्ट्री का डेवलपमेन्ट करते हैं

(श्री चन्दनमल वैद)

यह रोंग साइडेड डेवलपमेंट होगा । यह ध्यान देना होगा कि जो इन्डस्ट्री यहां सेट-अप हो रही है वह यहां से ही माल खरीदे या बाहर से । यदि दिल्ली और राजस्थान के व्यापारी को इस दृष्टि से समकक्ष नहीं करते हैं, राजस्थान के व्यापारी के समक्ष भेदभाव करते हैं और बाहर के व्यापारी को तरजीह देते हैं तो इससे हमारी इन्डस्ट्रीज़ का नुकसान हो रहा है और हमारे ट्रेड का डेवलपमेन्ट नहीं हो रहा है । इस दृष्टि से इस पर सोचना चाहिए कि जिन चीजों का राजस्थान में डेवलपमेंट हो रहा है, इन इन्डस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है उनको जो रॉ-मेटीरियल मिल रहा है उस पर सेल्स टैक्स एक पर्सेन्ट कर देना चाहिए और बाहर से जो रॉ-मेटीरियल आता है उस पर भी किस तरह से पाबन्दी कर सकते हैं, यह विचार करना चाहिये और यहां के ट्रेड को बचाना चाहिये ।

दूसरा पॉइन्ट जिस ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है ट्रेड और इन्डस्ट्री । जैसे मान लीजिए कि जयपुर में इन्डस्ट्री सेट-अप हुई । उसके जो फिनिश्ड गुड्स हैं, एक स्टॉकिस्ट जयपुर में और दूसरा दिल्ली में है । दिल्ली वाला एक पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देकर राजस्थान की इन्डस्ट्री में बने माल को स्टॉक कर सकता है जब कि जयपुर और जोधपुर के व्यापारी को उसी माल का चार पर्सेन्ट सेल्स टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स देना होगा । राजस्थान से बाहर का व्यापारी, दिल्ली का व्यापारी राजस्थान के व्यापारी के मुकाबले में प्रिफरेन्स पा जाता है, बाहर का व्यापारी एक पर्सेन्ट देकर स्टॉक कर लेता है । राजस्थान के व्यापारी को चार पर्सेन्ट देना पड़ता है ; इससे हमारे ट्रेड का डेवलपमेंट रुक जाता है । इसलिए दोनों स्टॉकिस्ट्स को एक ही श्रेणी में रखें । दिल्ली के व्यापारी के मुकाबले में राजस्थान के व्यापारी को प्रिफरेन्स दिया जावे और दिया जाना चाहिए । ट्रेड का डेवलपमेंट होगा हमारे राजस्थान में और यह रखना चाहिए । यदि नहीं रखते हैं तो राजस्थान की इन्डस्ट्री के साथ साथ ट्रेड को भी नहीं बढ़ा सकते । मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान देंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री उपाध्यक्ष : आपके मुकाबले में और कोई नहीं है । धीरे २ बोलिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज सेल्स टैक्स संशोधन बिल आया है उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी कहां भेजा जा रहा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : भेजने का प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

राजस्थान सरकार जो सामान व्यापारियों से खरीदती है और हर डिपार्टमेंट में खरीदा जाता है उसके ऊपर व्यापारी सेल्स टैक्स लगाकर सामान सरकार को देते हैं जिससे सरकार को बड़ा नुकसान होता है । उसके लिए राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह

Page No.84

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डाइरेक्ट सामान पर्चेज करें जिससे कि राजस्थान सरकार को भी नुकसान न हो और वह पर्चेज भी ठीक तरह से हो पाये।

दूसरा यह है कि जब राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ दिनोंदिन बढ़ रही हैं और छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ भी जब राजस्थान में आप बढ़ा रहे हैं तो चार पर्सेन्ट टैक्स राजस्थान के अन्दर एक जगह से दूसरी जगह इन्डस्ट्रीज़ पर लगाया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो माननीय चन्दनमलजी ने काफी प्रकाश डाल दिया है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): He is supporting me.

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं और बता दूँ। इसलिये जब कि सारे हिन्दुस्तान में बाहर की चीजें मंगाते हैं तो हिन्दुस्तान का पैसा बाहर जाता है उससे ही तो हिन्दुस्तान गरीब हो गया और इसी तरह से जब राजस्थान का पैसा बाहर जाता है तो राजस्थान भी गरीब रहेगा....

श्री उपाध्यक्ष : निश्चय है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो निश्चय है। राजस्थान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान की बनी हुई चीज ही राजस्थानी खरीदें, यह तो महात्मा गांधी का भी सिद्धान्त था....

श्री उपाध्यक्ष : क्या राजस्थान के लिये ही था ...

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनका कहना यह था कि हर गांव की चीज जो गांव में बनती है जैसे कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बनाते हैं अगर उसी गांव का बना हुआ कपड़ा उसी गांव में बिकता है तो उनको ज्यादा सहूलियत होगी। राजस्थान की चीजें राजस्थान में ही बिके तो ज्यादा सहूलियत होगी और वह भी ठीक कीमत पर बिके तो राजस्थान के लोगों को ही ज्यादा सहूलियत होगी और राजस्थान का पैसा बाहर नहीं जायगा। राजस्थान की चीजें राजस्थान में ही बिकें और उनको लोग खरीदें और बाहर की चीजें नहीं खरीदे यहां से चीजें दिल्ली जाती हैं वहां से बन कर जो चीजें आती है वह हम खरीदते हैं तो वह राजस्थान वालों के लिए महंगी पड़ती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : तो आपके ख्याल से राजस्थान की चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जानी चाहिए जब ज्यादा हों तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर): अमेरिका और रूस तक जाती हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान के अन्दर जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, सरकार की ओर से जो कोटा उनको मिलता है स्टील आदि का वह सारा का सारा दूसरी जगह रह जाता है और इन्डस्ट्रीज़ में काम नहीं आता। जो इन्डस्ट्रीज़वाले इस तरह का कोटा लेते हैं उनको चाहिए कि वे राजस्थान में काम में लें। दस हजार टन लोहा ३ महीने के कोटे के रूप में मिलता है उसकी कितनी चीजें बनती होंगी, लेकिन राजस्थान के अन्दर उनकी एक भी चीज़ नहीं बिकती

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है। जिन व्यापारियों को कोटा दिया जाता है वे इसको बाहर बेच देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका बजट भाषण हो गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जरा बोलने तो दो महाराज। मैं बता रहा था कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की चीजें बन कर राजस्थान में बिकनी चाहिये उस पर सेल्स टैक्स लगायें। बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ पर, जो चीजें यहां से बनकर बाहर जाती हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा सेल्स टैक्स लगायें। जो फोरिन कन्ट्रीज़ में माल जाता है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगना चाहिये। आपने, राजस्थान से राजस्थान में जो चीजें जाती हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया है और बाहर जाती हैं उन पर कम लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : आपके ख्याल से फोरिन कन्ट्रीज़ में कहां कहां जाना चाहिये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हमारा माल अमेरीका, रूस, जेकोस्लोवेकिया, पोलैन्ड आदि देशों में जाता है और भी कई जगहों पर जाता है; जैसे भोडल है, सोप स्टोन है। ऐसी कई चीजें हैं जो राजस्थान से बाहर जाती हैं। इसके अलावा खादी की चीजें, खादी की छपाई के डिज़ाइन्स ये सब जाती हैं और धीरे धीरे और भी चीजें बाहर जाने लगेंगी।

हमारे यहां बॉल बियरिंग फैक्ट्री है। उसका सामान राजस्थान से बाहर जाता है। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगाते हो ? रुपये से बढ़ा कर चार रुपया कर दीजिये। उसकी बहुत डिमान्ड है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं तो ज्यादा फायदा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर बिड़लाजी चन्दा कैसे देंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : चन्दा तो उसी तरह से देते रहेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी बातों में मत आइये, बोलते रहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन है कि वह इस बात को सोचे और विचार करे। गावों में बेचारे दूकानदारों के पास आपके इन्स्पेक्टर जाते हैं, साथ में वकील भी ले जाते हैं। वकील साहब तो पीछे पीछे आते हैं, इन्सपेक्टर साहब आगे आगे चलते हैं। उन बेचारे गांव वालों के पास जहां तेल, लूण, लकड़ी का सौदा रह गया है उसके आधार पर जो कुछ भी वे कमाते हैं उस पर सेल्स टैक्स रखना उचित नहीं है। इसी कारण तो लोग गांव छोड़ कर कलकत्ता, बम्बई जाकर बस गये हैं और इस तरह से गांव के गाव खाली पड़े हैं। जयपुर की पोपुलेशन भी काफी बढ गई है। मेरा कहना है कि गांव के अन्दर बीस, पच्चीस, तीस हजार की बिक्री करता है, वहां न तो पढ़े लिखे लोग हैं, न उनके घर में कोई पढ़ा लिखा होता है, न औरत पढ़ी होती है और न बच्चे। इस तरह से इन्सपेक्टर लोग वहां से लोगों को पकड़ लाते हैं, दस-दस, बीस-बीस पेशियों में आना पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप बाहर भी सुना सकते हैं....

श्री मुक्तिलाल मोदी : असलियत कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। गांव के लोग बड़े परेशान हैं। एक तो यह करना चाहिये कि जो इन्सपेक्टर लोग परेशान करते हैं वह नहीं होना चाहिये। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिये। गांवों के अन्दर आज हालत यह है कि जो गांव तीन हजार की आबादी के भी हैं, पांच हजार, के भी हैं उन पर भी राजस्थान सरकार टैक्स लगाती है, वह नहीं लगाना चाहिये। उससे इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जहां गांवों के अन्दर मामूली बिज़नेस होता है उसके ऊपर तो कम से कम टैक्स माफ कर देना चाहिए। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांवों की पोपुलेशन को देखते हुए यह टैक्स माफ कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी पोपुलेशन के गांव को माफ कर देना चाहिये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कम से कम जो दस हजार की पोपुलेशन है, आठ हजार की पोपुलेशन है वहां पर हमने म्युनिसिपैलिटी रखी है और उससे नीचे जहां पोपुलेशन है वहां पंचायत रखी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ८ हजार से कम आबादी के जो गांव हैं वहां यह माफ कर देना चाहिये। आप जब गांवों में सुविधा नहीं देते तब लोग शहरों की ओर आते हैं। आज गांवों के अन्दर सैकड़ों मकान खाली पड़े हैं। विदेशों में मारवाड़ी जाते हैं। आपको उन्हें यहां पर सुविधा देनी चाहिये। आपके अधिकारियों को तो गांवों की हालत का पता नहीं रहता, किन्तु आप तो गांवों में जाते हैं, मीटिंगें करते हैं, वोट लेने के लिये जाते हैं, सब मालूम है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

३. २८ म० प०

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यों ने जो यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संबन्ध में वाद–विवाद करते हुए माननीय सदस्यों ने जो अब तक विचार प्रगट किये इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन समस्त राजस्थान में और इस सदन में कई बार इस बात का जिक्र आता है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये सरकार कोशिश कर रही है वास्तव में ऐसा होना भी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि जीवन स्तर किस प्रकार का हो ? आजकल हम जो देख रहे हैं कि आजकल हमारा जीवन स्तर एक तरह से लग्जूरियस ढंग का होता जा रहा है। जितनी चीजें हमारे यहां लग्जूरियस के लिये खर्च होती हैं उसका परिमाण बहुत अधिक बढ़ गया है और प्रत्येक दिशा से इस बात की आवाज आती है कि इन चीजों के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिये ताकि इन लग्जूरियस चीजों का प्रयोग कम हो सके।

३. ३० म० प

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

(श्री रामचन्द्र)

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रेस नोट में एक लिस्ट दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस वस्तु पर कम कर किया गया है, किस पर बढ़ाया गया है और किस पर यथापूर्व रखा गया है। इससे ऐसा लगता है कि जो आमोद प्रमोद की चीजें हैं, उन पर अधिकांशतः कम किया गया है, और जो चीजें छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों में काम आती हैं उन पर बढ़ाया गया है। तो इसे मैं नीति के विरुद्ध समझता हूं। यह एक गम्भीर प्रश्न है और इसलिये इस पर सभी दृष्टियों से विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसमें बताया गया है कि आम तौर पर व्यापारियों की यह मांग है कि रेट्स की केटेगरी बहुत ज्यादा कर दी गई हैं उन्हें घटाया जावे, उसमें उलझन मालूम होती है। पर मुझे विश्वास नहीं होता कि वे कौन से व्यापारी हैं जो ऐसा कहते हैं। मुमकिन है मन्त्री महोदय की सेवा में कोई खास टाइप के व्यापारी आये हों। मैं तो ज्यादातर देखता हूँ कि व्यापारियों को यह शिकायत रहती है कि अकाउन्ट को मेन्टेन करने का तरीका एक तरह से एक जाल सा बन गया है। साधारण व्यापारी इस तरह से हिसाब किताब नहीं रख सकता। वह चाहता है कि यह हिसाब का ढंग, रेट्स कायम करने का ढंग सरल बनाया जावे। इस दृष्टि से भी इसे प्रवर समिति में भेजना ठीक ही है।

तीसरी बात कैश क्रॉप्स पर भी सेल्स टैक्स लगाने की बात कही गई है। आपने एक तरफ पंचायत समितियों को अपनी आय बढ़ाने के लिये कैश क्रॉप्स पर सेल्स टैक्स लगाने की बात कही है, इधर आप भी कर लगावेंगे तो इससे किसान पर बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। आपको यह कर उन पंचायत समितियों को देना होगा। इसलिये यह भी एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर प्रवर समिति में अच्छी तरह से विचार हो सकता है। पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति को भी आप इससे मेन्टेन रखने के लिये जरूरी समझते हैं।

ऐसी स्थिति में इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, सदन में जो प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करती हूं।

इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन मैं जानती हूं कि यदि मन्त्री महोदय स्वयं भी यह महसूस करते हों जैसी सदन की भावना है कि इसमें खामियां रह गई हैं और आगे चल कर दिक्कतें आने वाली हैं तो भी यह प्रस्ताव स्वीकार करने में उनकी मजबूरी होगी क्योंकि यह कानून कल से ही लागू होने वाला है। अब एक दिन के भीतर प्रवर समिति को सौंपना और उसमें डिस्कस होकर उसी दिन आ जाना बिल्कुल असम्भव सा है। पर यह सब जानते हुए भी हमने अपनी भावना प्रकट की है।

ऐसी स्थिति में इस समय तो आपके द्वारा मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि आगे से सरकार ऐसे बिलों के बारे में पूरी सतर्कता बरते। ऐसा जो विधेयक हो जिसमें सदन की भावनाओं को व्यक्त करने में काफी समय की जरुरत हो और जिसमें सदन की

(डॉ० चन्द्रकला)

भावनाओं को भीतर से महसूस करते हुए भी समयाभाव के कारण वे उन्हें स्वीकार करने में स्वयं असमर्थ हों तो ऐसे विधेयक को वे आगे से अवश्य ही इतने समय पहले लावें जिसमें प्रवर समिति में सोच विचार करने की भी जरूरत पड़ जावे तो वहां भी भेजा जा सके और हम लोगों की भावनाओं का समर्थन किया जा सके !

इस विधेयक के क्लॉज २ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह सरकार की एक दुरंगी नीति है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसमें विधेयक के एक क्लॉज़ को तो ६ मार्च से लागू करते और दूसरी को एक अप्रेल से। कोई हर्ज नहीं हो जाता, अगर सारे क्लॉजेज़ को एक साथ आप लागू करते।

फिर इसमें एक बात और है। इसमें विक्रय के साथ क्रय भी जोड़ा गया है। इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। जो कुछ कहा गया उसका मैं समर्थन करती हुई यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें सरकार को स्पष्ट होना पड़ेगा कि वह क्या चाहती है ? सेल्स टैक्स लोगों को कहाँ देना होगा, जहां उत्पादन है वहां देना है, किस पॉइन्ट पर कहां किस जगह देना होगा ?

कहा गया है कि कठिनाई इसकी व्यापारियों को होने वाली है। मैं कहती हूं कि व्यापारियों को तो केवल व्यवस्था में कठिनाई आने वाली है। लेकिन यह सारी जो कुछ दिक्कत है इसका सारा बोझा तो जनता पर पड़ने वाला है। व्यापारी घर से निकाल कर सेल्स टैक्स सरकार को नहीं देगा। अगर देता है तो वह व्यापारी ही कैसा ? वह तो जितना देगा उसका ब्याज सूद-दर सूद जनता से वसूल कर लेगा, किसी न किसी तरह से सवा गुना डेढ़ गुना वसूल कर लेगा। कठिनाई तो वास्तव में जनता की है। यह सेल्स टैक्स भी आखिर जाकर जनता पर पड़ेगा इसलिये सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि हम व्यापारियों को सुविधा देते हैं या नहीं। यह ठीक है कि व्यापारी चालाकी से हिसाब में गड़बड़ी कर सकता है। टैक्स की चोरी कर सकता है आमदनी जो सेल्स टैक्स की उसे वाजिब है जो सरकारी खजाने में जमा करानी है वह नहीं कराता है तो इसके लिये रास्ते ढूंढने पड़ सकते हैं। नये नये संशोधन लाकर कानून में उसे बांधने की कोशिश आप कर सकते हैं पर व्यापारी भी इधर आप कोशिश करेंगे उधर दूसरा रास्ता निकाल लेगा। चूहे की तरह आप एक बिल उसका बन्द कर दीजिये, वह दूसरा रास्ता निकाल लेगा। तो सब मिला कर यह सब भार व्यापारियों पर नहीं, जनता पर पड़नेवाला है।

हमारे वित्त मंत्री ने चालाकी से बताया कि सेल्स टैक्स की दरों में कमी कर दी है पर अन्त में फ़ाइनल जो बताया उसके द्वारा हमको भूल-भुलैया में रखना चाहा है। सात आठ रेट्स स्ट्रक्चर्स कम करके पांच कर दिये। कुछ चीजों पर कमी की पर उन पर जिसका असर साधारण जनता पर नहीं पड़ता, वे ऐसी चीजों पर कम की हैं जो "लगज़रीज" हैं। इनके विषय में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन पर आप अगर कुछ बोझा डाल भी देते तो महसूस होने वाला नहीं है, पर आपने उन्ही तबके पर कमी की है, और भार उन पर डाला है जिन पर उसे सम्हालने की शक्ति नहीं है,

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात पुनः)

डॉ० चन्द्रकला : इस पर एक प्रेस नोट आपने जारी किया है और उसमें अच्छे ढंग से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हमने जो बढ़ोत्तरी की है सोने वह चांदी के आभूषणों पर की है। इससे उनका मतलब यह है कि इसका भार पैसे वालों पर पड़ेगा, गरीबों पर नहीं। पर सभापति महोदय हम सब जानते हैं कि इसका बोझा पैसे वालों के ऊपर नहीं, गरीब से गरीब जनता पर ही पड़ेगा। छोटे-मोटे आभूषण वे अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई से बचा कर थोड़ा बहुत लेते रहते हैं और इसी में सन्तोष अनुभव करते हैं, पर यह सन्तोष भी अब उनका आपने छीन लिया। तो इस तरह से सरकार जनता को भ्रम में रख कर अपने खजाने में पैसा लाने का जो प्रयत्न करती है यह ठीक नहीं है। उसे जहां एक ओर अपनी आय का ध्यान रखना है वहां जनता की सुविधा का भी ध्यान रखना है। आदान-प्रदान का सिद्धान्त उसे लागू करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था। आप जितना भी लें, उसके बदले में जनता को कुछ थोड़ा ही सही, देना अवश्य चाहिये। पर ऐसा होता नहीं है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में एकांगी होता है। वह लेने का तो ध्यान रखती है, पर दूसरी तरफ सरकार जनता को क्या सुविधा दे रही है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

तो मैं जानती हूं कि हमारा यह समिति में ने वाला प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं होने वाला है पर हमने जो भावना सदन में प्रकट की है उसको ध्यान में रख कर सरकार इसको लागू करने का प्रयत्न करेगी, यह मैं आशा करती हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सेल टैक्स के सम्बन्ध में का काफी स्पीचेंज़ हो चुकी हैं और सब का सार यह निकला कि परिभाषा का नाम ही बदल दिया और इसके बाद आपने सेल्स टैक्स और विक्रय का नया नाम बढ़ा दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि आपको ये शब्द रखने की आवश्यकता क्या थी? ये शब्द बढ़ाकर आपने एक नई बात पैदा कर दी है और अगर नाम बदलने का कोई रीज़न बताया है तो मेरी समझ में इससे कोई फायदा नहीं मालूम हुआ। आप इस पर्चेज़ टैक्स से क्या फायदा करा सकेंगे? जहां आपने क्लॉज़ लिखा है मुझे ऐसा मालूम हुआ सिर्फ (ए) का कि "Every dealer who in the course of his business purchases such taxable goods not being goods exempted under Section 4..." और आपने यह कह दिया : "Or despatches them to a place outside the State except as a direct result of sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce, shall be liable to pay tax on the purchase prices of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under Section5." अब कुछ गुड्स के बारे में मान लीजिये कि मकान में है और उसे वह अपने ही काम में लें ले तो उसके लिये क्या होगा? आप इसके आधार पर परिभाषा

(श्री मूलचन्द डागा)

जब दे रहे हैं कि "Disposes of goods in any manner..." तो 'इन एनी मैनर' का मतलब घर पर काम में ले; न बाहर भेजे, न आढ़तियों को भेजे तो 'इन एनी मैनर' में तो आप इसे घर में काम में लेने को भी ले लेंगे और इसका फिर आपके पास सुबूत क्या रह जावेगा कि आप घर में काम लेने को रोक देंगे या पता लगा लेंगे ? आप प्रिज़म्प्शन पर चलेंगे और किसी वहम के आधार पर कह देंगे कि तुमने तो घर पर काम में ले लिया, वह कहता ही रहेगा कि साहब नहीं लिया, पर आप तो 'इन एनी मैनर' के तहत उस पर जुर्माना और टैक्स लगा ही देंगे। तो आप इस रूप में उसको परेशान भी कर सकते हैं। इससे तो बहुत चौड़ा स्कोप आपने ले लिया है। आप इसके तहत कुछ भी कर सकते हैं।

अब आप मुक्तिपत्र देते हैं, दस रुपया का दिया, दस लाख का, बीस लाख का, पांच लाख का, पर अगर किसी ने नहीं लिया मुक्तिपत्र, भूल गया, या किसी कारण से नहीं ले सका, तो कम से कम ६००) उसको अधिक लग जावेंगे। तो यह तो कोई उचित बात नहीं कि भूल का पनिशमेन्ट असल रकम से कई गुना आप दे दें। कानून बनाते हैं उसमें भी मानवीयता की इच्छाओं का आदर किया जाता है, भावनाओं को रखा जाता है, पर आप तो यहां इससे भी अलग चले गये हैं।

आप कई बार इसको अमेन्ड कर चुके, पर आप सही नतीजे पर अभी तक नहीं पहुँच पाये। आपको इसके लिये पहले वकीलों के पास जाना चाहिये था। जो सेल्स टैक्स की वकालत करते हैं, प्रेक्टिस करते हैं, उनसे आप राय मांगते, उनकी दिक्कतों को देखकर, फिर आप इसको उनके अनुरूप बनाते, मिनिस्टर कन्सर्न्ड पहले उनसे डिस्कशन करते, उनको इन्वाइट करते। आप यहां ले आते हैं। हमें उसकी बारीकियों का ज्ञान नहीं, हमने उसको बारीकी से स्टडी नहीं किया, हम क्या उसके लिये उचित राय दे सकेंगे ?

जैसे आपने ७ पर्सेन्ट का एग्जेम्प्शन दिया। जहां चाहा घटा दिया और जहां चाहा जोड़ दिया। आपके हाथ में ही है यह डिस्क्रीशन। इसकी क्या जरूरत थी ? तो, तो ये सारी बातें आप इतनी हरीडली करते हैं कि हम उस पर ठीक तरह से सोच भी नहीं सकते। इसके लिये तो मेहरबानी करके आपको चार पांच-दिन सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये और इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये। अगर आप जांच नहीं करते हैं और यहां आप, कल का दिन एक और है, तो आज और कल दो दिन में आप इस पर काफी विचार कर सकते हैं. आप सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेज सकते क्योंकि बिज़नैस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और हमारी मांग है कि इसे आज पास नहीं करके इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। मैंने तो इसको पढ़ा तो इसमें दो चार खामियां ये मालूम हुईं इसलिये उनको मिटाने लिये ,यह उपाय है कि सिलेक्ट कमेटी में आप इसको डिस्कस करके सभी की राय लें ; जिन्होंने इसको बनाया है उनसे भी डिस्कस करें, अन्यथा जल्दी जल्दी में इसको पास करना ठीक नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी की राय मानी जावे तो अच्छा है।

श्री सभापति : Yes, Minister in-charge.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री): माननीय चेयरमैन महोदय, इस बात पर बहुत देर से वादविवाद हो रहा है कि इस सेल्स टैक्स के अमेंडमेंट को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये । अधिकांश लोग इस विचार के ये कि इसको सुपुर्द किया जाये....

श्री मूलचन्द डागा : Except one.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस....

श्री सभापति : Will the hon'ble Minister instruct his whip to manipulate the fixed quorum. I think we are short of quorum. The Government should see to it. It is their responsibility.

(गण–पूरक घन्टी के पश्चात पून:)

जी हां, अब बोलिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस अमेंडमेंट से, जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में दिया गया है मन्शा यह है कि जो सेल्स टैक्स पहले से लगाया हुआ है उसकी करीब ८ दरें हैं, उनको सिम्पली-फाई किया जाये । अब ८ में से ५ दरें रख दी गई हैं । यह ६ मार्च से जब कि फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच हुई थी उस दिन से लागू किया गया है । जैसा कि आप सबको मालूम है और दूसरे इसमें पर्चेज़ टैक्स के बारे में अमेंडमेंट करना था, पर्चेज़ टैक्स का अमेंडमेंट क्यों चाहा गया है इसके लिए मैंने शुरु में ही निवेदन किया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहिए । लेकिन कुछ लोग कानून की आड़ से बचकर इसको इवेड कर रहे हैं क्योंकि जब तक कोई चीज़ बेची नहीं जाती तब तक उसको सेल नहीं कहते और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही नाम से बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास या कहीं भी राजस्थान के बाहर माल भेज देते हैं और अपने नाम बिल्टी करवा लेते हैं जिससे वह अपनी रियासत में तो सेल हुई नहीं इसलिए जो इन्टर स्टेट ड्यूटी है वह भी सरकार को नहीं मिलती । इसलिए इस पर्चेज़ शब्द को इन्ट्रोड्यूस करने की मन्शा यही है कि जो लोग बेईमानी करके टैक्स को इवेड करते हैं उनसे टैक्स लिया जाये और जो वाजिब भी है और जो कि ईमानदारी से अब तक लोग अदा करते हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा सामान ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर पर्चेज़ टैक्स लगने वाला हो क्योंकि राजस्थान सरकार को मन्शा यह नहीं है कि जो अनाज बाहर जाता है उसके ऊपर टैक्स लिया जाये । क्योंकि फूड-ग्रेन्स अपने यहां पर सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं । सिर्फ ऑइल सीड्स, धनिया, जीरा मिर्च और अजवान यह ५ चीजें फ़िलहाल ऐसी हैं कि जिनके ऊपर यह पर्चेज़ टैक्स लगाना चाहते हैं और जो लोग ईमानदारी से इन चीजों पर इन्टर–स्टेट ड्यूटी देते हैं उनके ऊपर आज भी नहीं लगता और आयन्दा भी नहीं लगेगा । सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा जो कि सेम ट्रान्ज़ेक्शन करके सेल्स टैक्स को इवेड करते हैं । इस-लिए मैं ऐसा मानता हूं कि कोई ऐसी चीज़ इस समय हाउस के सामने इन्ट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) :

(श्री चन्दनमल वैद)

इन चीजों के अलावा जो आपने अभी ५ बताई हैं, एक्सपोर्ट करें तो उनको तो अलाऊ करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: (श्री चन्दनमल वैद की ओर मुंह करके) : राजस्थान में ऐसी और चीजें नहीं हैं कि जो बाहर एक्सपोर्ट हों....

श्री सभापति : आप मुंह इधर ही रखिये, सुनाई दे जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये पांच चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं और काफी मात्रा में करते हैं और उनमें कुछ लोग जो सेम ट्रान्ज़ेक्शन करके टैक्स इवेड करते हैं उन्हीं पर टैक्स लगाने का विचार है। इसलिए ही यह 'पर्चेज़' शब्द इस बिल में बढ़ाया गया है। इसमें कई किस्म के ऐतराजात किये हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं मानता हूं सेल्स टैक्स जैसा अब है उसमें बड़ी कमियां हैं। क्योंकि यह यहां ३–४ साल पहले ही शुरु हुआ है और भारतवर्ष में भी यह बहुत पुराना टैक्स नहीं है, नया टैक्स है। इसलिए जैसे जैसे कमियां मालूम होती जा रही हैं उसमें सुधार होता है इसलिए आपने देखा है कि इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेकिन अब भी जैसा कि आप सब ने कहा है और मैं भी मानता हूं कि इसमें बड़ी कमियां हैं और भारतवर्ष की दूसरी स्टेट्स के भी एक्ट्स देखिये दूसरी चीजें जो आज तक हमारे सामने नहीं आई हैं उन सब चीजों को देखकर कन्सोलिडेटेड फॉर्म में सेल्स टैक्स और लाने का विचार है। लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन जैसा आपने प्रवर समिति का जिक्र किया है वह टैक्स जब आपके सामने आयेगा उस समय इस बिल पर पूरा विचार करने के लिए प्रवर समिति नियुक्त की जायेगी

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): तो अब इसको रोक दीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज जो हमारे समने चीज़ है वह यह है कि पर्चेज़ टैक्स लगाया जाये। सेल्स टैक्स तो पहले भी लगता था, लेकिन उसको सिम्पलिफाई करने के लिए जो रेट स्ट्रक्चर है ८ से ५ दरें की गई हैं और यह सब के हित में ही समझ कर किया गया है। वह तो ९ मार्च से अमल में आ गया। कुछ लोगों ने ऐतराज किया है कि ९ तारीख से क्यों लगाया गया....

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : On a point of information, Sir, when the Hon'ble Minister says 'Kuchh log': does he refer to Hon'ble Members of this House ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ माननीय सदस्यों ने ....

श्री अर्जुनदास : He has been using the words 'Kuchh log'. If he uses the words for the Hon'ble Members, then we will also say 'Kuchh log' for the Hon'ble Ministers.

श्री रामचन्द्र चौधरी: माननीय सदस्यों से मेरा मतलब है। जो मैंने कहा उसके लिए माफी चाहता हूं...

श्री अर्जुनदास : माफी क्या, १० मर्तबा आपने कह दिया ।

श्री सभापति : For such a minor offence, there can be no......

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो माननीय सदस्यों ने जो ऐतराज किया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और इसको ६ तारीख से क्यों लगाया गया है तो ६ तारीख से जो टैक्स लगाया गया है वह अनाउन्समेंट के दिन ही लगाया जाता क्योंकि बाद में अगर टैक्स लगायें तो उसमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी फैलेगी और लोगों को मौका मिलेगा कि टैक्स को इवेड करें और वह पहले सामान खरीद लेंगे और बेच देंगे और अनाउन्समेंट के दिन ही उसको लागू किया जाता है । कुछ माननीय सदस्यों का यह भी ऐतराज था कि जैसे कुम्भलगढ़ है या दूर जगह हैं उनको कैसे मालूम हो, तो मैं आपको बताऊं कि इसको उसी दिन गजट में पब्लिश किया गया और उसी रोज़ रेडियो पर भी अनाउन्समेंट कराया गया । और जो भी इम्पोर्टेन्ट न्यूज पेपर्स हैं उनमें भी इसको पब्लिश कराया गया । फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का यह ऐतराज था कि "within the State by one person to another," इसको हटा देने से जो स्टेट से बाहर सामान बेचा जाता है उस पर भी टैक्स लगाया जा सकेगा । इसकी दरअसल में यह मंशा नहीं है । ये जो शब्द हैं वे सुपरफ्ल्युअस हैं । पहले सेल्स टैक्स एक्ट की दफा ५ के प्रोवीजो में यह स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कि स्टेट के बाहर कोई सेल्स टैक्स नहीं लग सकता, इसलिये इसको ओवरराइड नहीं कर सकते । इसमें जो शब्द सुपरफ्ल्युअस थे वे हटाये गये ।

दूसरी बात यह है कि सब-क्लॉज ५ में जो है उसके मुत्तलिक ऐसा प्रोविजन किया गया है कि डीलर चाहे तो अपनी पर्चेज़ प्राइस पर १० पर्सेन्ट और लगा कर सेल्स टैक्स दे सकता है या अपनी एक्चुअल सेल पर सेल्स टैक्स दे सकता है । यह अमेंडमेंट उसकी सहूलियत के लिये किया गया है । बहुत से माननीय सदस्यों का यह ऐतराज था कि व्यापारी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए हिसाब–किताब ठीक तरह से नहीं रख सकते । उनको जो हेरेसमेन्ट होता है उसको देखते हुए यह प्रोविज़न किया गया है । जो हिसाब नहीं रख सकते वे अपनी पर्चेज प्राइस के ऊपर १० पर्सेन्ट लगा कर इस हिसाब से सेल्स टैक्स दे सकते हैं वर्ना एक्च्युअल सेल पर दे सकते हैं उनकी यह सहूलियत के लिए किया गया है । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ।

सरदारशहर के आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अपने यहां जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन पर सेल्स टैक्स उतना ही लगा दिया जाय जिससे कि बाहर से आनेवाले सामान से वह ज्यादा महंगा नहीं पड़े । बाहर से सामान आता है उससे ज्यादा लगाते हैं तो यहां की इन्डस्ट्रीज़ को सेट–बैक मिलता है और वे पनप नहीं सकतीं । यह बात ठीक है । लेकिन अपने यहां की इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत से एग्ज़ेम्पशन्स दिये हैं । कच्चे माल पर ज्यादातर सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता है और फिनिश्ड गुड्स पर इतना ही सेल्स टैक्स देना पड़ेगा जितना बाहर से गुड्स आता है उस पर देना पड़ता है । सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अपने यहां की इन्डस्ट्रीज़ के

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

मुकाबले में बाहर की इन्डस्ट्रीज को तरजीह दी जावे। अपनी गवर्नमेंट की तरफ से १ जनवरी, १९६० को एक स्टेन्डिंग कमेटी मुकर्रर की गई है जिसमें डिप्टी मिनिस्टर फ़ोर इन्डस्ट्रीज एंड फाइनेन्स हैं, फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं, इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी हैं....

श्री चन्दनमल बैद : Industries Minister.

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह पहले की बात है। सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, एडिशनल कमिशनर, सेल्स टैक्स इत्यादि; इन ६ आदमियों की कमेटी है जो जांच करके जिन इन्डस्ट्रीज़ को एग्जेम्पशन देना है उनको रिकमन्ड करेगी व उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। इसलिए यह भय नहीं है कि हमारे यहां की इन्डस्ट्रीज़ को सेट-बैक मिलेगा।

इन सब हालात को देखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कल १ अप्रेल, १९६० से यह टैक्स लागू करना होगा। इसलिये यह जरूरी है कि अब इस अमेंडिंग बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): टैक्स ६ तारीख से लागू कर दिया गया है, इसलिए इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने में क्या आपत्ति है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो ६ तारीख से लागू हुआ था वह तो रेट में थोड़ा हेर फेर था वह हुआ था, लेकिन पर्चेज़ टैक्स तो १ तारीख से लागू करना है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): अपना बजट भी ६ तारीख को पेश हुआ था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): मैं भी अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के जो संशोधन श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री मनोहर कोठारी ने रखे थे उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : सभापति महोदय, मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज २।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३।

Aamendment by Shri Manohar Kothori.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ३ में मैंने जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह बहुत लम्बा–चौड़ा है इसलिये इस अमेंडमेंट को दोहराने की तो शायद आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : इसकी अवश्यकता नहीं है। It has been circulated to the Hon'ble members.

श्री मनोहर कोठारी : जहां तक मेरे इस अमेंडमेंट को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट राज्य सरकार की ओर से डीलर यानि व्यापारी की परिभाषा के लिये काम में लिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख यह विचार रखा कि हम डीलर में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित करना चाहते हैं जो लोग छूट जाते हैं और उसमें कोई भी राज्य सरकार, सेन्ट्रल गवर्नमेंट अथवा उनका कोई डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट या कोई क्लर्क या इस तरह के एसोसियशन का हवाला दिया गया है लेकिन जो परिभाषा बदलने के लिये राज्य सरकार ने अमेन्डिंग बिल मूव किया है और उसमें डीलर की परिभाषा के लिये जिस तरह की व्यवस्था चाहते हैं उसके छूट जाने के बाद भी मेरे विचार से कई ऐसे फैक्टर्स बच जायेंगे जिनसे सेल्स टैक्स से छूट जाते हैं; इसलिये मैंने इस परिभाषा में कुछ शब्द और बढ़ाये हैं और उनमें खासकर एक सोसाइटी के आगे "कोऑपरेटिव सोसाइटी" एड किया है। इसी तरह से :–

"a factor, a broker, a commission agent, a dealer credere agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called and whether of the same description as here-in-before mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods on behalf of any principal."

ये मैंने इसके साथ और जोड़े हैं। इसके मूल में जहां तक अमेन्डिंग बिल है, ओरीजिनल, उसमें केवल "बाइंग, सेलिंग और सप्लाइंग" ये तीन शब्द हैं। इसके साथ मैं चाहता हूं कि इसमें "डिस्ट्रिब्यूटिंग गुड्स डाइरेक्टली ओर अदरवाइज" और जोड़ा

(श्री मनोहर कोठारी)

जाना चाहिये तभी इसका उद्देश्य और कारणों का विवरण है उसकी पूर्त्ति कर पायेंगे।

इसके सिवाय मैं जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं, हमारी परिभाषाएं जब तक स्पष्ट नहीं होतीं तब तक दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग ही नहीं होता बल्कि कई बार जस्टिस भी नहीं हो पाती और जस्टिस दूर रही, घोर इन्जस्टिस हो जाती है। इसको दूर करने के लिए लोगों को न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है जिसमें धन और शक्ति का व्यय होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्पष्ट मंतव्य प्रकट होना चाहिये। मैं मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि ओरीजिनल बिल में पहले नॉन रेज़िडेंशियल डीलर्स की व्यवस्था थी और बाहर के जो लोग राजस्थान में बिज़नेस नहीं करते थे उन लोगों ने राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत नॉन-रेज़ीडेन्ट डीलर के लाइसेन्स प्राप्त किये और अंत में नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट के द्वारा नॉन-रेज़ीडेन्ट डीलर की व्याख्या नल एन्ड वॉइड करार दी गई और बाहर के लोगों से, जिन्होंने वास्तव में सेल्स टैक्स वसूल कर लिया था वह भी वापिस नहीं ले सके। इसलिए इन परिभाषाओं के सम्बन्ध में बहुत साफ मन्शा प्रगट है, इस बात को ध्यान में रख कर मैंने इसमें एक्स्प्लेनेशन एड किया है "Every person who acts as an agent of a 'non resident dealer': that is an agent on behalf of a dealer residing outside the State of Rajasthan, and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as:

(i) a mercantile agent as defined in the Indian Sale of Goods Act, 1930 ntral Act No. III of 1930); or

(ii) an agent for handling goods for documents of title relating to goods or...etc." तो यह जो एजेन्ट है, इनके सम्बन्ध में हमारी व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो जिन लोगों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, जो लोग ईमानदार हैं उनसे टैक्स वसूल हो जाता है और कई लोग इसे इवेड कर जाते हैं, लीकेज होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो व्याख्या अमेंडमेंट बिल में है उसको रखने के बाद भी लीकेज होगा और इस व्याख्या के बाद भी कई लोग इस सीमा में नहीं आयेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो लोग टैक्स देते रहते हैं उनसे टैक्स मिलता रहेगा और जिनसे आप वसूल करना चाहते हैं वे बच जायेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है उसके मूल में यह भावना है।

इसके सिवाय जिस तरह के-पांच तरह के गुड्स का माननीय मन्त्रीजी ने डिक्लेरेशन किया है मैं समझता हूं उसको देखते हुए यह जरूरी है कि डीलर की परिभाषा में कम से कम किसान नहीं चला आये और क्योंकि ओरीजिनल अमेंडमेंट बिल की परिभाषा में स्पष्ट नहीं है इसलिए मैंने इसके आगे और जोड़ा है "an agent for the collection or the payment of the sale price of goods as a guarantor for such collection or payment and every local branch of a firm or company situated outside the State shall be deemed to be a dealer for the purposes of this Act; but shall not include an agriculturist

Page No.97

(श्री मनोहर कोठारी)

who sells or supplies exclusively agricultural produce grown on land cultivated by himself personatly इसका मतलब यह हुआ कि जो पर्चेज़ टैक्स वसूल करेंगे वह पर्चेज़ टैक्स लोकल डीलर से वसूल करेंगे, जब कि धनिया, अजवायन ऑयल सीड, इस तरह की चीजें किसान भी बाहर सप्लाई कर सकता है, डाइरेक्ट सप्लाई कर सकता है, आगे जाकर आपने बताया है कि पांच हजार की प्रोड्यूस होगी, उसके ऊपर टाइटल हो जायगा । मैं समझता हूं, कई किसान ऐसे हैं जिनकी काफी प्रोड्यूस होती है, वे डाइरेक्ट माल बाहर सप्लाई करते हैं, तो वे लोग पकड़े जायेंगे, उनको परेशानी होगी । इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार यह चाहती है कि बीच में मीडियेटर और हो, जिस तरह व्यापारी मीडियेटर होता है, और बाहर किसान डाइरेक्ट सेल नहीं कर सकता । मैं समझता हूं कि हमारी वह भावना क्लीयर नहीं होती । इसमें मैं स्पष्ट चाहता हूं कि कम से कम' जो स्वयं अपने हाथ से खेती बोता है और पैदा करता है, जो डिक्लेअर्ड गुड्स बताये हैं उनमें से किसान के द्वारा पैदा की हुई चीजें हैं उनको वह डाइरेक्टली सप्लाई करता है या बाहर भेजता है तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए । He shall not be liable for tax.

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, मेरे क्लॉज तीन में दो अमेंडमेंट्स हैं, एक अमेंडमेंट है :

"Part (2) Sub part (a) in clause (O) of section 2 of the Principal Act, the amendment sought to be made be omitted." इसमें जो अमेंडमेंट था, सभापति महोदय वह था "the words made within the state by one person to another...

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने क्लॉजें (एक) तक अमेंडमेंट प्रस्तुत किये हैं । आप चाहें तो धीरे धीरे ले लूं या आप चाहें तो एक साथ ले लूं ।

श्री सभापति : आपके क्लाज ३ पर जो भी संशोधन हैं उनको प्रस्तुत कर दें ।

श्री मनोहर कोठारी : क्लॉज तीन के क्लाज एक तक मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

श्री सभापति : आप सारे प्रस्तुत कर दीजिये ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय सभापति महोदय, जहां तक क्लॉज़ २ (ओ) का प्रश्न है, उसमें मैंने 'सेल' की परिभाषा दी है । जिस तरह 'सेल' की परिभाषा गवनमेंट ने अपने अमेंडमेंट बिल में पेश की है उसके लिए भी मैंने अपना विरोध प्रगट किया है । उसके मूल में यह है कि इसमें भी सेल को बाकायदा डिफाइन नहीं किया जा सका है, इसलिए मैंने चाहा है कि उसमें कुछ क्लेरीफिकेशन इसके साथ हो । इसलिए मैंने खास तौर पर एक्सप्लेनेशन जोड़ा है ।

'Sale' with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another

(श्री मनोहर कोठारी)

in the course of trade or business, for cash or deferred payment, or for any other valuable consideration, and includes a transfer of property in goods involved in the execution of works, contracts or in the supply or distribution of goods by a society (including a co-operative society), a club, firm, or association to its members, but does not include a mortgage, hypothecation or pledge of, or a charge on goods, and the word 'Purchase' or 'buy' shall be construed accordingly." राज्य सरकार ने 'इन दी कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस,' यह उसमें कहीं एड नही किया है । इसलिए ऐसा लगता है कि कई लोग जो बिजनेस के पॉइन्ट ऑफ व्यू से' एन्ड इन दी कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस" कोई माल नहीं भेजते हैं तब भी इस केटेगरी में आ जायेंगे । इसलिए इसमें क्लेरिफिकेशन करने की बहुत आवश्यकता है । एक्सप्लेनेशन एक 'A transfer of goods on the hire purchase or other instalment system of payment shall, not with standing the fact that the seller setains the title in the goods, as security for payment of the price, or for other reason, be deemed to be sale.' राज्य सरकार ने केवल कुछ शब्दों को घटाने-बढ़ाने के सम्बन्ध में यह अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है । मेरी मान्यता है कि जो सेल्स टैक्स का ओरीजिनल एक्ट है उसमें जो डेफ़िनिशन दी गई हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए नई डेफिनिशन हो, जिसमें राज्य सरकार की अमेंडिंग बिल को लाने की जो भावना है वह व्यक्त हो जाय और जो डिफेक्टिव डेफिनिशन है, उसको क्लेरीफिकेशन मिले । एक्सप्लेनेशन २;

"Notwith standing anything contained in any law for the time being in force, a sale or purchase of goods shall be deemed, for the purposes of this Act, to have taken place in the State, wherever the contract of sale or purchase might have been made, if the goods are within the State," जैसी कि माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात बताई कि बाहर के लोग अपने एजेन्टस के जरिये यहां माल खरीद लेते हैं और बाहर भेज देते हैं और इस तरह एक बात हो जाती है कि सेल्स टैक्स की चोरी हो जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीज सेल की डेफिनिशन के बाद भी बच जाती है, छूट जाती है, इसलिए इसको इतना क्लिअर करना चाहिए कि चाहे गुड्स स्टेट में रह जायं अथवा केवल टाइटल बदल जाय, जैसा आगे आता है :

"in the case of specification or ascertained goods, at the time of contract of sale or purchase is made: and

(ii) in the case of unascertained or future goods, at the time of their appropriation to the contract of sale or purchase by the seller or by the purchaser, whether the assent of the other party is prior or subsequent to such appropriation;" इसी तरह से इसके आगे फिर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट के पॉइन्ट पर है "Where there is a single contract of sale or purchase of goods

(श्री मनोहर कोठारी)

situated at more places than one, the provisions of clause (a) shall apply as if there were separate contracts in respect of the goods at each of such places." इसके सिवाय अगर यह मान लीजिये कि गुड्स यहां पड़े हुए हैं और जो सेलर है वह आज सप्लाई नहीं कर पाता है, फ्यूचर में करवाता है और करके रख देता है तो जब ट्रान्सफर डीड हो गई है उसके साथ ही उसको सेल किया हुआ माना जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनकी स्टेट के बाहर ब्रान्चेज हैं और इस नाम से चलती हैं, फिर भी जो आप स्टेट सेल्स टैक्स चाहते हैं, तो आप सेन्ट्रल टैक्स से वंचित रह जायेंगे। जो सेन्ट्रल एक्ट का सवाल है उसके मुताबिक कोई टैक्स चार्ज कर सकते हैं जब कि वह व्यापारी माल को डिस्पेच करेगा। तो आप यह टैक्स नहीं वसूल कर सकेंगे। इसलिए मैंने यह जरूरी समझा है कि इसे डेफिनिशन में लाने के लिए, कि चाहे वह व्यक्ति बाहर गुड्स भेजता है उसको इसमें जोड़ना मैंने उपयुक्त समझा है और यह जोड़ा जाना चाहिए ...

"Explanation III-Notwith standing anything contained in this Act or in the Indian Sale of Goods Act, 1930 (Central Act III of 1930), two independent sales or purchases shall for the purposes of this Act, be deemed to have taken place-

(i) when the goods were transferred from a principal to his selling agent and the selling agent to the purchaser, or

(ii) when goods are transferred from the seller to a buying agent to his principal if the agent is found in either of the cases aforesaid:-

(i) to have sold the goods at one rate and have passed on the sale price to the principal at another rate

(ii) to have purchased the goods at one rate and to have passed them on to his principal at another rate, or". There will be two different transactions. जिस एक रेट में यह खरीद लिया, दूसरी रेट पर प्रिन्सिपल पर बेचता है to have purchased the goods at one rate and to have passed them on to his principal at another rate. राजस्थान का सेल्स टैक्स उससे वसूल किया जाना चाहिये वह वसूल हो जाता है, इस अमेंडमेंट को जोड़ते हैं तो : "not to have accounted to his principal for the entire collections or deductions made by him in the sales or purchases effected by him on behalf of his principal, or, आपने प्रिन्सिपल के बिहाफ पर खरीद ले या प्रिन्सिपल के नाम पर पर्चेज कर लेते हैं तो इससे होना चाहिये। इसके साथ ४ करने की मंशा है :

"(iv) to have acted for a fictitious or non-existent principal."

"The words 'Plus an amount

(श्री मनोहर कोठारी)

equal to 10% of such purchase price' be deleted from the second proviso sought to be inserted in clause (t) of section 2 of the principal Act." आप इसमें १० पर्सेन्ट ऑफ दी पर्चेज़ प्राइस और जोड़ना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि यह जोड़ेगे तो इससे नेचुरली कई लोग अपने अकाउन्ट्स में १० पर्सेन्ट हर माल में बढ़ा देंगे। यह भी हो सकता है कि बड़े बिज़नेस मैन हैं, बाहर धंधा करते हैं तो हमेशा उन्हें १० पर्सेंट का मुनाफा हो, यह जरूरी नहीं है, इसमें नुकसान होने के भी बहुत ज्यादा चान्सेज़ रहते हैं। यह रखने से १० पर्सेन्ट मुनाफे की ओर और इवेज़न की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। इसलिये जो मार्केट वेल्यु है, पर्चेज प्राइस डिटर्मिन करते हैं उसके ऊपर ही केवल टैक्स चार्ज किया जाय तो मैं समझता हूं, इवेजन के लिये नये नये तरीके व्यापारी निकालते हैं, वह नहीं निकालेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ३ में मैंने संशोधन पेश किये हैं, या तो उन्हें री-शेप करवा लिया जाय या इस भावना को इसमें रखा जाय, ताकि लोगों को इवेज़न के लिये नये नये तरीके निकालने का मौका न मिले और सबको सहूलियत हो।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ ३ में है। यह अमेंडिंग बिल है, इसके क्लॉज़ ३ में पार्ट (२) ऑफ प्रिन्सिपल एक्ट इसके क्लॉज (अ) में मेरा अमेंडमेंट है। वह अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"The words 'made within the State by one person to another' shall be omitted. यह अमेंडमेंट इस बिल के जरिये करना चाहते हैं। मेरा अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट को डिलीट कर देने के लिये है। सभापति महोदय, जो ओरीजिनल प्रिन्सिपल एक्ट है उसमें पार्ट २ सब क्लॉज २ (अ) इस प्रकार है :

The word 'sale' has been defined there. "Sale', with all its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods made within the State by one person to another for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration, and includes a transfer of goods on the hire, purchaser or other system of payment by instalment but does not include a mortgage or hypothecation of or a charge or pledge on goods." अब मन्त्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसमें इस सेल की डेफिनिशन से इन शब्दों को उड़ादेना चाहते हैं : 'Made within the State by one person to another.' इसका मतलब यह हुआ कि उनका अमेंडमेंट स्वीकार करने के बाद जो प्रिन्सिपल एक्ट है उसमें : 'Sale' with all its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration..."

Without any reference of place where the transaction has taken place; whether this has taken place in Rajasthan or outside the State of Rajasthan. यह इसमें वेग रह जाता है।

(श्री पी. के. चौधरी)

अब सभापति महोदय, आर्टिकल २८६ ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन है, वह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें कहा गया है :

"No law of a State shall impose, or authorise the impositiou of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place–

a. Outside the State; or

b. in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India."

यह राजस्थान के बाहर, टैक्स इम्पोजिंग स्टेट के बाहर सेल होता है उसको सेल्स टैक्स में, सेल्स की डेफिनिशन में नहीं लिया जा सकता। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टीट्यूशन के इस प्रोविजन को मान कर चलने का इरादा है, तो यह अमेंडमेंट लाने का क्या मतलब होता है। जवाब में मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि हम अमेंडमेंट से यह "sales made within the State by one person to another..." इसको रिमूव कर रहे हैं। इसकी मंशा यह नहीं है कि बाहर सेल होगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स लेंगे....

You are supposed under the Constitution that, कान्स्टीट्यूशन के आधार पर सिर्फ आपकी स्टेट में ट्रान्जेक्शन होगा, उस पर टैक्स लेवी कर सकते हैं। on a transaction which has taken place outside the State यह जब आप नहीं कर सकते तो यह शब्द तो transaction made within the State form the definition of the word 'sale'. अमेंडिंग बिल के द्वारा इसको रिमूव करने का आपका क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह मेरा कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट है इसके लिये इसको डिलीट करने का मैंने अमेंडमेंट रखा है। मन्त्री महोदय के अमेंडमेंट से सेल की डेफिनिशन ऐसी बन जाती है कि स्टेट के बाहर जाकर सेल्स टैक्स लेवी कर सकते हैं। वह अगर मंशा नहीं है तो इस अमेंडमेंट को लाने का क्या इरादा है? मेरी समझ में नहीं आया कि किस मंशा से अमेंडमेंट लाया गया है? स्टेट के अन्दर ट्रान्जेक्शन है, उसको हटा दिया है।

तो मैं समझता हूं यह कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट है, कॉन्स्टीट्यूशन की दृष्टि से मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे। इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है :

(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1).

(3) Any Law of a State shall, in so far as it imposes or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, besubject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents

(श्री पी. के. चौधरी)

of the tax as Parliament may by law specify." इससे सिर्फ इन्टर स्टेट ट्रेड है उसमें सेल्स टैक्स लेवी हो सकता है, ना कि commodities which are not defined for Inter Sales Tax. इसलिये मेरा अमेंडमेंट है, काफी कॉन्स्टीट्यूशनल है और मैं मानता हूं मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है वह इस क्लॉज़ ३ में पार्ट (५) पर है। पार्ट (५) पर नया क्लॉज़ जोड़ दिया गया है :.

"In clause (t) after the first proviso and before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the case of a prescribed class of dealers other than a manufacturerpr.oducer processor or a dealer engaged in the execution of a contract, and at the option to be exercised by a dealer of such prescribed class, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed, 'turnover' shall mean the aggregate of the amount of purchase price paid or payable by him in respect of the goods purchased by him for sale plus an amount equal to 10% of such purchase price." यानि पर्टिक्युलर गुड्स के लिये, पर्टिक्युलर रजिस्टर्ड डीलर के लिये केलकुलेट करेंगे, not from the sale of those commodities कि उन्होंने कोमोडिटीज़ को पर्चेज प्राइसेज़ के कितने पैसे दिये उसमें १० प्रतिशत और एड कर दिया जावे। मान लें कि उसने १० हज़ार का सामान खरीदा तो १० प्रतिशत उस पर जोड़ने से वह १० हज़ार का नहीं, बल्कि ११ हज़ार का मानेंगे। उस पर १० प्रतिशत और चढ़ा दिये। यह जो हमने एक हज़ार का मार्जिन दिया है वह डाइरेक्टली ट्रान्सफर होगा कन्ज्यूमर पर और यह जो आपने "this will be for wholesale dealers." किया है तो होल सेल डीलर पर आप देखेंगे कि वहां पर १० प्रतिशत पर उनकी कानदू नहीं चल सकती है their profit margin is smaller. अब सरकार उनको जाकर कहती है कि आप टर्न ओवर पर १० प्रतिशत और लगावें, that means the Government is giving him a clue or asking him. आप १० हज़ार का या एक लाख का सामान खरीदें तो आप देखेंगे कि एक लाख पर १० हज़ार का तो उसको सीधा प्रोफिट है। It implies that एक लाख की खरीद पर १० हज़ार रुपया और लगा दें और टर्न ओवर पर और फिर आप एक्स्ट्रा टर्न ओवर लगावेंगे, तो naturally he will try to transfer it to the consumer and he will raise his profit margin. तो होल सेल डीलर का मार्ज़िन ऑफ प्रोफिट बहुत कम होता है। वह १० पर्सेन्ट नहीं होता और रिटेल सेलर का ज्यादा होता है बनिस्बत होल सेल डीलर्स के। जिस समय होल सेलर्स माल बेचते हैं तो वे एक रुपये में एक पैसा या दो पैसा कमाते हैं और रिटेलर एक रुपये में एक आना या दो आना कमाते हैं। इसलिये आपके १० पर्सेन्ट टर्न ओवर पर लेने का मतलब यह हुआ कि आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और कम्पेल कर रहे हैं कि एक लाख का सामान हो उस पर १० प्रतिशत रेट और बढ़ा दे और उसके

(श्री पी. के. चौधरी)

बाद में बेचे। That will be a clear argument to him, to the consumer. तो उस समय वे लोग यह कहेंगे कि हम क्या करें, सरकार ने १० प्रतिशत बढ़ा दिया है ? वे सरकार के नाम से बढ़ा देंगे। मैं जब उनके पास खरीद करने जाऊंगा तो वे यही कहेंगे कि सरकार ने बढ़ा दिया है, हम क्या करें। मान लें कि मैंने १० हज़ार का माल खरीदा या दो लाख की कोमोडिटीज चाहीं। मैं खरीदने गया तो जिस चीज की कीमत १० रुपये है वह कहेगा कि इसकी कीमत ११ रु० हो गई है। सरकार ने १० प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो वह सरकार के नाम से १० रु. पर एक रुपया ज्यादा ले लेगा। इसलिये मैंने इसको डिलीट करने के लिये अपना एमेन्डमेंट दिया है "Plus an amount equal to 10 percent of such purchase price." इसको हटाने के लिये मैंने अपना एमेन्डमेंट रखा है और मेरे से पूर्व वक्ता, कुशलगढ़ से आने वालों ने भी जो रखा है उसमें काफी वजन है और मैं मानता हूँ that the Hon'ble Minister will do accordingly.

४.३० म. प.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो एमेन्डमेंट रखे हैं, कुशलगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने, इसके लिये मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इस एक्ट में बहुत कमियें हैं उनको हमें ठीक करना है। आपके सामने यह है, 'पर्चेज' शब्द बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से हेर-फेर करना पड़ रहा है बाकी कोई मंशा इसमें नहीं है। क्योंकि अगर हम डेफिनिशन में ज्यादा रद्दोबदल कर लेंगे तो बहुत सी सेक्शनों का मतलब उलट पुलट हो सकता है। इसलिये जो पर्चेज शब्द बढ़ाया गया है वह कॉन्सीक्वेन्टली चेन्ज करना पड़ा है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं और जो शब्द हटाने के लिये कहा, उसमें यह हो सकता है कि स्टेट के बाहर से जो माल खरीदा जावे उस पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये। इसके लिये कोई यहां पोजिशन नहीं है। मैंने बताया कि ५ सेक्शन का जो प्रोविजन है उसमें यह साफ दिया गया है कि स्टेट के बाहर के सेल्स पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लग सकेगा। तो उसकी मौजूदगी में यह सेल्स टैक्स लग सकें यह संभव नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : तो इसका मतलब क्या रहता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सुपरफ्लुअस है। मैंने पहले कहा कि इसको डिलीट कर दिया जावेगा। इसको कॉन्सोलिडेट करने के लिये सब स्टेटों से जानकारी प्राप्त करनी होगी। सब जगहों के बिलों को देखना होगा। तब तक के लिये यह सिम्पल एमेन्डमेंट लाये हैं, इनको पास कराने का मतलब है।

आपने १० प्रतिशत का कहा है कि सरकार ने १० प्रतिशत बढ़ाने की आज्ञा दी है। मैं यह कहूंगा कि आज बाजार में कम्पीटीशन में माल बेचा जाता है। शायद एक दूकान हो तो मनमाने ढंग से माल बेच सकता है और पैसा ले सकता है लेकिन जहां हजारों दूकानें हों वहां पर ऐसा नहीं हो सकता।

श्री पी० के० चौधरी : जहां पर

(श्री पी. के. चौधरी)

मोनोपोली एजेन्सी हो उसके लिये वे करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : है नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : बहुत हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आपकी सहूलियत के लिये किया है। ऐसा होता है कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स हिसाब नहीं रखते। जो लोग हिसाब नहीं रखते उनसे १० प्रतिशत मुनाफे के हिसाब से टैक्स वसूल कर लेंगे क्योंकि जो उनकी पर्चेज़ प्राइस है उस पर १० पर्सेन्ट मुनाफा मान कर टैक्स लेते हैं। अगर वे हिसाब रखना चाहें तो रख सकते हैं। उनके हिसाब पर सेल्स टैक्स वसूल होगा। यह उनकी सहूलियत पर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि यह क्लॉज जैसा है उसको उसी रूप में पास कर दिया जावे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज ३ में श्री मनोहर कोठारी और श्री पी. के. चौधरी ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendments.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ तीन विधेयक में अंग रूप जोड़ गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

क्लॉज़ ४ में कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५, श्री रामचन्द्र चौधरी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : सभापति महोदय,

"In Section 5 of the principal Act, for the figures '$3\frac{1}{8}$' the figure '4' shall be substituted."

श्री सभापति : In clause 5 you are moving this amendment. It is, I

(श्री सभापति)

think, some other amendment that you have read...

श्री रामचन्द्र चौधरी : "and the words 'or purchase', wherever occurring in the first proviso shall be ommitted."

श्री सभापति : That is the amendment that you want to move now ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, मूव तो दोनों एमेन्डमेंट कर दिये। एक को विथ्ड्रॉ करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक एमेन्डमेंट नहीं है।

श्री सभापति : वह तो एमेन्डमेंट था ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पहले पेश किया वह क्या था ?

श्री सभापति : वह तो ओरिजीनल था।

श्री भैरोंसिंह : पहले ओरीजीनल पढ़ा था या दूसरा था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह ओरीजिनल था। यह संशोधन है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ६

(विराम)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): "In the newly proposed section 5A—

(i) Omit 'Taxable'.

(ii) for 'not being goods exempted under Section 4' substitute 'other than exempted goods'.

(iii) insert the following further proviso—'Provided further that the provisions contained in the first proviso to section 5 shall apply to the tax leviable under this section as if for words 'sale' wherever occuring therein, the word 'purchase' were substituted.'"

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, धारा ५ ए जो अमेन्डिंग बिल में है, मेरा यह संशोधन है कि 'लेवी ऑफ पर्चेज़ टैक्स' की परिभाषा में यह सुधार किया जाय जिससे पर्चेज़ टैक्स के लिए कौन २ जिम्मेदार हो सकते हैं, उसका क्लेरिफिकेशन हो सके। अब जो 'लेवी ऑफ पर्चेज टैक्स' की परिभाषा है उसको पढ़ने से यह नहीं मालूम हो सकता कि एक व्यापारी जो रजिस्टर्ड डालर है वह पर्चेज़ करेगा तो वह जिम्मेदार होगा, निर्माता

(श्री मनोहर कोठारी)

है उसको १० हजार तक के लिए छूट है कि लाइसेन्स न ले और इससे ऐसे आदमी भी पर्चेज़ करेंगे तो उसके अन्तर्गत आ जावेंगे या नहीं; इसलिए मैंने इसमें अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। ५ ए मेरे विचार से इस तरह से हो तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा :

" Levy of purchase tax-In the case of such taxable goods not being goods exempted under section 4, as may be notified by the State Government in the Rajasthan Gazette from time to time, specifying the circumstances in which no tax under section 5 is payable on sale price of such goods and which have been despatched, brought or purchased from any place in India outside the State of Rajasthan for consumption therein, the buyer shall be liable to pay the tax on the purchase of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under section 5, unless the buyer produces a declaration made by the seller of such goods in the prescribed form certifying that the seller is a registered dealer under the provisions of this Act and shall pay tax on the such sale in due course. " यानि अगर हम यह क्लेरिफिकेशन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो व्यापारी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उन्होंने माल मंगवा लिया, साल के अन्त तक बिका नहीं है, असेसमेन्ट करने के लिए एस. टी. ओ. उसके पर्चेज़ पर भी १० पर्सेन्ट मुनाफा जोड़ कर असेसमेन्ट करके टैक्स चार्ज कर लेगा। इसके अलावा मैंने यह भी ठीक समझा है कि कम से कम जो लोग इस तरह के निर्माता हैं, मेन्युफेक्चर प्रोसेस करते हैं और फिनिश्ड गुड्स बना कर रीसेल करेंगे तो उन पर डबल टैक्सेशन हो जावेगा। They will have to pay Purchase Tax. फिर बाजार में बेचेंगे तो फिर टैक्स लगेगा। इस तरह से टैक्स का डबल भार उन पर हो जावेगा। इसलिए मैंने इसमें यह स्पष्ट किया है :

" Provided that no such tax shall be levied on the purchase of any goods by registered dealer if the goods are so purchased by him for resale or for use by him in the prescribed manner in the manufacture or processing of any goods for sale :

Provided further that no tax under this Section shall be levied on adealer of any year in which the aggregate of purchase priceof all such goods purchased by him does notexceed five thousand rupees as computed from the commencement of the year. " तो मैं यह चाहता हूँ कि यद्यपि हमारे माननीय मंत्री महोदय बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं कि हम तो केवल एक पर्चेज़ शब्द जोड़ कर सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह अमेन्डमेन्ट यहां प्रस्तुत किया गया है यदि उनको पहले ही एग्जामिन करवा लेते तो बाद में जो लीगल कॉम्प्लीकेशन्स अराइज़ होंगे वे नहीं होंगे और माननीय मंत्री महोदय को अमेन्डमेन्ट फिर इसमें करने की गुन्जाइश नहीं होगी, होगी तो कम होगी। इसलिए एक प्रश्न है। इससे निर्माता पर डबल टैक्स पड़ सकता है, जो रीसेल के लिये पर्चेज़ करेगा उसके प्रश्न

(श्री मनोहर कोठारी)

को हल नहीं किया। जहां तक टैक्स नहीं है, मान लीजिये पांच हजार का इम्पोर्ट किया है तो वह तो वाजिब है। इसीलिए ५ ए इन्सर्ट किया है, ओरीजिनल यों का यों रहता है। रजिस्टर्ड डीलर को भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अकाउन्ट्स में दिक्कत आवेगी। गुड्स फिर अगले साल बेचेगा तो फिर कहेंगे कि इतना बढ़ गया है। आपको यह करना पड़ेगा कि इतनी पर्चेज़ प्राइस दी है, १० पर्सेन्ट अबाऊ दिया है। यदि उसको प्रोफिट कम हुआ है तो आपको उसको कानूनन रिफन्ड करना पड़ेगा, पड़ सकता है। यह स्थिति आपके सामने है। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उस पर माननीय मंत्री महोदय विचार करें और ठीक समझें तो इसको स्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, क्लॉज ६ में मेरा अमेंडमेंट है "In new Section 5 A sought to be inserted, insert the word 'except' between the words 'goods' and 'in'' occurring in line 9, and delete the words "or otherwise, or, disposes of such goods in any manner other than by way of sale in the State.'

सभापति महोदय, यह जो नया क्लॉज ५ ए इन्सर्ट किया जाता है वह इस प्रकार का है : "Every dealer who in the course of his business purchases such taxable goods not being goods exempted under section 4, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, in circumstances in which no tax under section 5 is payable on the sale price of such goods and either consumes such goods in the manufacture of other goods for sale or otherwise etc. etc." तो इसमें मेरा जो अमेन्डमेंट है 'either consume such goods except in the manufacture of other goods for sale..'' और दूसरा जो मेरा अमेंडमेन्ट इसमें डिलीट करने के लिए है 'Or otherwise or disposes of such goods in any manner other than by way of sale in the State' इस क्लॉज को डिलीट करने लिए है–यह है।

सभापति महोदय, इसमें डीलर जो डिफाइन किया गया है। डीलर की डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन से कोई एसोसियेशन भी आ सकता है। मान लीजिये मेन्युफेक्चरर एसोशियन है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का एसोसियेशन है, डीलर की डेफिनिशन इस प्रकार है आगे जाकर : "dealer" means any person who carries on the business of buying or selling or supplying goods in the State, whether on commission, or for remuneration, or otherwise and includes the Central Government, a State Government, or any of their Departments, in respect of any such business, a Hindu undivided family and a society, a club or any other association which buys goods from, or sells or supplies goods to, its members."

सभापति महोदय, यह डीलर की डेफिनिशन है। इसमें जो स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जो कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हों, उनका कोई एसोसियेशन हो वह भी इसमें आ जाता है। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रि-

(श्री पी. के. चौधरी)

यलिस्ट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मान लीजिये रॉ-मेटीरियल प्रोक्योर करने का सवाल आता है, तो they might form an association for supplying raw materials. अब उसमें वे डीलर्स कैसे आवेंगे ? इसमें कहां सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे।? "On the sales price of such goods and either consumes such goods in the manufacture of other goods for sale"... जो दूसरा सामान बना कर बेचने के लिए बनाया तो उन आर्टिकल्स पर सेल्स टैक्स लेवी करेंगे। मैं समझता हूँ। जो हम इसको एग्ज़ेम्प्ट नहीं करेंगे तो कम से कम मेन्युफेक्चरिंग के लिये रॉ-मेटीरियल है, जो कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट है, छोटे छोटे हैं, जो लोग अपना एसोसियेशन बनाकर रॉ-मेटीरियल लेते हैं और उसी में डिस्ट्रिब्यूट करते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स कर दिया है। वह एग्ज़ेम्शन के बारे में आ गया। आखिर यह कौनसी केटेगरी रह जाती है कि जिस आय पर सेल्स टैक्स वसूल करना चाहते हैं ? मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है उससे यह मन्शा पूरी हो जाती है "either consumes such goods except in manufacture of other goods for sale or otherwise... सिर्फ उन गुड्स को जो मेनुफेक्चरर हैं दूसरा सामान यूज़ करेगा तब एग्जेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेन्युफेक्चरिंग आर्टिकल यूज़ के लिये करेंगे तो लागू नहीं होगा, नहीं तो होगा। दूसरा मेरा संशोधन सभापति महोदय, इन शब्दों को ऑमिट करने के लिये है। वे शब्द इस प्रकार के हैं: "Either consumes such goods in the manufacture of other goods for sale or otherwise..." यानि दूसरा सामान बनाने में यूज़ करें या दूसरे किसी तरीके से यूज़ करें: 'Or disposes of such goods in any manner other than by way of sale in the State" अब उसमें क्या होता है, जो सामान वह मंगाता है और वह एग्ज़ेम्प्टेड नहीं आता है सेक्शन फाइव के अन्दर उस पर टैक्स लेवी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मान लीजिये किसी ने दान या खैरात में दे दिया, उस पर भी टैक्स लग सकता है। कौन सी सर्कमस्टान्सेज़ हैं? इस तरह से इतना वेग क्लॉज़ हमें कानून में नहीं रखना चाहिये। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं।

He disposes it in any other way. We will be then showing way for fraud.

इससे आपकी डेफिनिशन क्लिअर रहेगी। The law will be accurate and definite. इसी ख्याल से मैंने ये दो अमेन्डमेंट्स मूव किये हैं। माननीय मंत्री महोदय इन पर ध्यान देकर इनको मन्जूर करेंगे।

श्री सभापति : Hon'ble Minister please. Not much time. That must be short and brief.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इससे डबल टेक्सेशन हो जायगा, यह तो संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, पर्चेज़ टैक्स से मतलब यह है कि जो लोग टैक्स से इवेड करते हैं अपने नाम से, या अपने एजेन्ट के नाम से बाहर भेज देते हैं उन पर टैक्स लगेगा....

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): आउट

(श्री मनोहर कोठारी)

साइड राजस्थान से माल मंगाते हैं तो क्या उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो चीजें मैंने बतलाई, उन पर पर्चेज़ टैक्स लगने वाला है, डबल टैक्स लगने का सवाल नहीं है। इसलिए मेन्युफेक्चरर्स को पहले एग्ज़ेम्शन दे रखा है, उनमें कमी करने की मन्शा नहीं है। अतः जैसा बिल में अमेंडमेंट चाहा गया है उसी तरह का पास करेंगे।

श्री सभापति : Shri Manohar Kothari and Shri P. K. Chowdhri.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): मैं सदन से अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी और श्री मनोहर कोटारी ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने क्लॉज़ ६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ७

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री): सभापति महोदय, "Renumber parts (i) and (ii) as (ii) and (iii) respectively and insert the following as part (i) :

"(i) for sub-section (1) the following sub section shall be substituted, namely:-

1. Every dealer liable to pay tax under this Act shall get himself registered in the prescribed manner."

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister should explain the purposes of this amendment. The House has not been able to understand that he should, therefore give a brief speech.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): That is quite clear.

श्री पी० के० चौधरी : We wanted if there should be some speech.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, अमेन्डिग बिल की क्लॉज ६ ए में जो भावना व्यक्त की गई है उसको पढ़ने के बाद वॉलेंटेरियली रजिस्ट्रेशन के लिये जो प्रोविज़न राजस्थान सरकार चाहती है उसमें केवल इतनी बात रखी गई है:

"If on the application of any dealer, the prescribed authority is satisfied that his turnover is likely to exceed the limits specified in section 3 the said authority may, not-with-standing that the dealer may not be liable to pay tax under section 3, register the dealer and grant him a certificate of registration in the prescribed manner..."

मैंने इसमें यह चाहा है "Authority is satisfied that his turn over is likely to exceed the limits specified." मैं इसमें यह चाहता हूँ कि वे अप्लाई करें ; that his turnover has exceeded or is likely to exceed the limits. यानि टर्न ओवर एक्सीड कर गये हैं इसकी लाएबिलिटी मुझ पर आती है इसलिये एप्लाई करता हूँ वालेन्टरी एप्लीकेशन मान कर रजिस्ट्रेशन करना; "has exceeded" बढ़ाया है, has exceeded or his likely to exceed. जो टैक्स इवेड करते हैं वे नहीं करेंगे। इससे इवेज़न के चान्सेज़ बहुत नज़र आते हैं। इसलिये "हेज़ एक्सीडेड" यह बढ़ाया जाना चाहिये, यही मेरी इस अमेंडमेंट के जरिये मांग है।

दूसरा मेरा संशोधन है "In sub-section (2) the following explanation be added at the end namely :-Nothing in this sub-section shall be deemed to make or construed as making a dealer, who is dealing exclusively in goods declared tax free under section 4 liable to pay tax on the ground that he has been registered upon application made under this section." इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि दस रुपये इसलिये लेते हैं कि कभी टैक्सेबल टर्न ओवर बढ़ जाय....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time is up, Sir.

श्री सभापति : One minute.

श्री मनोहर कोठारी : I will have to clear my position, Sir, and I would need more time.

श्री सभापति : There is nothing so much.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): It is quite clear.

Page No.111

श्री पी० के० चौधरी : He will take 15 minutes.

श्री मनोहर कोठारी : No, I want five minutes only.

मेरा मतलब यह है कि किसी व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, वह व्यक्ति कभी लाएबिलिटीज़ अराइज़ हो जाय उस पर पेनल्टी नहीं पड़े और यदि वह एग्जेम्पशन का फायदा जो १२ हज़ार की लाएबिलिटी बनती है उसका १२ हज़ार से कम टर्न ओवर है तब भी गवर्नमेंट यह चाहती है कि टैक्स वसूल कर लिया जाय। तो जो टैक्सेबल गुड्स हैं मैं चाहता हूं कि टैक्सेबल गुड्स हैं उन पर टैक्स वसूल किया जाय। इसका यह अर्थ नहीं कि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशन सर्टीफिकेट लें। जब तक वह १२ हज़ार को एक्सीड नहीं करें तब तक लायेबिलिटी नहीं डाली जा सकती है और टैक्स आयद नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर मैंने एक अमेंडमेंट का प्रोवीज़ो एक्सप्लेनेशन के तौर पर एड कराने का पेश किया है।

श्री सभापति : Is that the leave of the House to sit for five minutes more ?

(स्वीकृत)

Permission given

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): No, Sir.

श्री रामचन्द्र चौधरी (डग-सु.): सभापति महोदय, टर्न ओवर की लिमिट को एक्सीड नहीं करता हूँ तो उन पर ओब्लीगेटरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करायें। यह सहूलियत दी गई है। जो एग्जेम्पशन....

श्री पी० के० चौधरी : Time is up, Sir.

श्री सभापति: उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : But the time is up, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Time has already been extended by the Chair.

श्री पी० के० चौधरी : We would like to speak on this amendment and other Hon'ble Members may also like to speak.

श्री सभापति : मिस्टर चौधरी, जहां तक समय का सवाल है मैंने सदन की इच्छा इस सम्बन्ध में जान ली थी। आप उस सम्बन्ध में बोलना चाहते तो खड़े हो सकते थे, और मैं उस आधार पर सदन की कार्यवाही एडजोर्न कर सकता था।

श्री पी० के० चौधरी : I was under the impression that you will...

श्री सभापति : You were pressing to adjourn the House. You never rose to speak in support of the motion.

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह उन पर ओब्लीगेटरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करायें। यह तो उनकी सहूलियत के लिए है। जिनकी टर्न ओवर ज्यादा है उनके लिए है ओब्लीगेटरी रजिस्ट्रेशन कराना। इसलिए जो एमेंडमेंट आपका है वह मुनासिब नहीं है।

श्री सभापति : You want to withdraw it ?

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मनोहर कोठारी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ से १६ विधेयक में अंग रुप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १७

श्री पी. के. चौधरी।

(विराम)

You move your amendment and then you continue.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Yes, Sir, I move my amendment now and then I will speak on it...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.०३ बजे शुक्रवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६० के ११ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५९७१

जयपुर शहर के पद–पथों पर स्थित थड़ियों को हटवाना।

नारायण मीना, ग्राम अयाना, तहसील इटावा के हुई चोरी में पकड़े गये श्री सीताराम पटेल से रिश्वत की मांग का मामला।

तहसील सिरोही में पोसीदरा (Posidara) लघु सिंचाई योजना का निर्माण।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग में हुई नियुक्तियां।

नगरपालिका सूरजगढ़ के चेयरमैन व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।

ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर, तहसील बैराठ के लेखक श्री चिरंजीलाल गुप्ता।

पी. एस. आई. व एस. एच. ओ. के पदों हेतु योग्यताएं व वेतन।

भरतपुर पुलिस पंचायत सम्मेलन।

माउन्ट आबू के सलगम (Salgam) नाला से हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी स्कीम का सर्वेक्षण।

भीलवाड़ा में गांधी अस्पताल हेतु प्राप्त की गई भूमि के एवज में भूमि एवं मुआवजा।

पी. एस. आई. व पी. आई. को लीगल रिमेम्बरेन्सर के अधीन रखना।

म्युनिसिपेलिटीज़ को मैला उठाने की व्यवस्था में सुधार करने हेतु प्रदत्त धन-राशि।

घाणेराव ग्राम पंचायत, तहसील देसूरी के उप–सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही।

उदयपुर शहर की अम्बापुरा ग्राम कॉलोनी का इम्प्रूवमेन्ट।

भाखरा एरिया से बैटरमेन्ट लेवी।

पंचायत बदनोर, तहसील आसींद के सरपंच द्वारा सरकारी रकम का दुरुपयोग।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को हाई-

कोर्ट के नीचे रखने की योजना।

जयपुर नगर में यातायात दुर्घटनाएं।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के मिल मज़दूरों को बकाया वेतन की अदायगी।

सिरोही जिले में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाना।

वन समिति।

पी. एस. आई. को लॉ रिपोर्ट्स भेजा जाना।

टोडारायसिंह नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन व चुनाव में विजयी सदस्यों को शपथ ग्रहण नहीं कराना।

प्रान्त में प्रकाशित समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने का आधार।

चेयरमैन, नगरपालिका झालावाड़ के विरुद्ध कार्यवाही।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान ५७३१

श्री हरिदेव जोशी ने कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री हरिदेव जोशी ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

विधायी कार्य

वापिस लिया गया विधेयक

राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिषेध) विधेयक, १९५८ ५७३२

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री द्वारा सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक वापिस ले लिया गया।

विचारार्थ लिये गये विधेयक ५७३३

१. राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी एवं कर मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ।

Page No.115

स्कम्भ

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १६६० ५७७६

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी एवं कर मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सर्व श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, मनोहर कोठारी एवं जगदीशप्रसाद माथुर ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

श्री लक्ष्मीचन्द

(२) श्री तेजमल बापना

(३) श्री पी. के. चौधरी

(४) श्री चन्दनमल वैद

(५) श्री मुक्तिलाल मोदी

(६) श्री रामचन्द्र

(७) डॉ० चन्द्रकला

(८) श्री मूलचन्द डागा

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी एवं कर मंत्री के उत्तर के पश्चात्

स्कम्भ

सर्व श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, मनोहर कोठारी ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिये तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर का संशोधन अस्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ :—

खण्ड २, ३ व ४ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ५, ६ व ७:--संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ८ से १६ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

सदन की बैठक ५ बज कर ३ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक १ अप्रेल, १६६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

दिनांक १ अप्रेल, १६६० की कार्य-सूची

(१) राजस्थान इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज (संशोधन) विधेयक, १६६० (पुनःस्थापन)

स्कम्भ

(२) राजथान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६६० (विचार विमर्श एवं पारित)

स्कम्भ

(३) राजस्थान भू-राजस्व (सरचार्ज) विधेयक, १६६० (प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट "अ"

(मुख्य कार्यालय, जयपुर)

संख्या	नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का माध्यम	आवेदन की तारीख	विशेष विवरण
१.	कुमारी लक्ष्मी हीरानन्दानी	कनिष्ट लिपिक	५-५-५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
२.	श्री जगदीशप्रसाद जांगिड़	,,	१७-७-५८	—	१६-७-५८	इस नियुक्ति को नियुक्त कराये जाने के लिए एम्प० एक्सचेन्ज को लिखा हुआ है ।
३.	श्री वासुदेवप्रसाद बन्सल	,,	४-६-५८	—	२०-८-५८	त्याग-पत्र दे गये ।
४.	श्री रामेश्वरदयाल गर्ग	,,	२०-१२-५८	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज		
५.	श्री श्यामलाल गर्ग	,,	१०-३-५६	,,		

१	२	३	४	५	६	७
६.	श्री भगवानलाल पुरोहित	कनिष्ट लिपिक	१–५–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज		
७.	श्री ओमप्रकाश भाटिया	,,	१–५–५६	,,		
८.	श्री प्रदीपकुमार मौर्य	,,	३०–५–५६	—	४–५–५६	परिगणित जाति के हैं अत: एम्प० एक्स० द्वारा लिया जाना आवश्यक नहीं था।
९.	श्री नरोत्तमलाल व्यास	,,	८–५–५६	—	४–५–५६	इनका इस कार्यालय से ३१–७–५६ से स्थानान्तरण हो चुका है।
१०.	श्री किशनलाल शर्मा	,,	१५–१–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज		
११.	कुमारी सुशीला कुशवाहा	,,	४–८–५६	,,		
१२.	श्रीमती संयुक्ता ठुकराल	,,	५–८–५६	,,		
१३.	श्री सुरेन्द्रकुमार	,,	५–८–५६	,,		
१४.	श्री मुरारीलाल जैन	,,	२९–८–५६	,,		

पारिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
१५.	श्री सीताराम गुप्ता	कनिष्ट लिपिक	२६–८–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज		
१६.	श्री श्यामलाल माथुर	,,	२६–८–५६	,,		
१७.	श्री दामोदरलाल शर्मा	,,	२३–१०–५६	,,		
१८.	श्री प्रकाशचन्द्र बख्शी	,,	२३–१०–५६	,,		
१९.	श्री नवलकिशोर गुप्ता	,,	२३–१०–५६	,,		
२०.	श्री प्रतापसिंह	,,	२३–१०–५६	,,		
२१.	श्री डालचन्द	,,	२३–१०–५६	,,		
२२.	श्री अर्जुनलाल	अर्दली	१८–३–५६	,,		
२३.	श्री नाथूसिंह	चपरासी	२७–५–५६	,,		क्रम संख्या २३,२४,२५ व २६ वाले परिगणित जाति के हैं इसलिये एम्पलॉयमेंट एक्स० द्वारा नियुक्ति करना आवश्यक नहीं था।
२४.	श्री त्रिलोकचन्द	साइकिल सवार	१२–२–५६	—		
२५.	श्री देवीलाल	,,	२२–१०–५६	—		
२६.	श्री नाथूलाल	,,	२६–४–५६	—		

(जिला जन सम्पर्क कार्यालय)

क्रम सं०	नाम	पद	तारीख नियुक्ति	नियुक्त का माध्यम	तारीख यदि आवेदन पत्र प्राप्त हुआ होता	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री नटवरलाल त्रिपाठी	कनिष्ट लिपिक टंकरण कर्त्ता	१–६–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
२.	श्री रामजस	चपरासी	२०–६–५६	,,	—	
३.	श्री सोमा	अर्दली	१६–६–५६	,,	—	
४.	श्री मोहनलाल	कनिष्ट लिपिक टंकरणकर्त्ता	२८–२–५६	,,	—	
५.	श्री गोविन्दलाल	अर्दली	१–४–५६	—	—	ता० ३०–४–५६ को सेवायें समाप्त कर दी गई।
६.	श्री बालूसिंह	,,	१०–५–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
७.	श्री दौलतराम	चपरासी	१३–५–५६	,,	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
८. श्री नाथूसिंह	चपरासी	१०-६-५३	,,	—	
६. श्री भूरचन्द	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	१८-६-५६	,,	—	
१०. श्री अमरसिंह	चपरासी	६-१२-५८	—	२८-११-५८	यह पद विज्ञपित किया गया था । एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज को भी लिखा था, नामों की सूची प्राप्त हुई थी किन्तु उसमें से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विज्ञापन के आधार पर कुछ व्यक्ति आये थे उनमें अमरसिंह जो एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से रजिस्टर्ड थे उपयुक्त पाये गये थे ता० १७-१०-५६ से त्याग-पत्र दे गये।
११. श्री दुर्गाराम	चपरासी	१८-१२-५६	—	१०-११-५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज को नाम भेजने को लिखा गया था उनके द्वारा प्रेषित नामों की सूची में से केवल २ व्यक्ति आये थे, जो योग्य नहीं पाये गये। अतः

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
					श्री दुर्गाराम जो एम्प्लॉयमेंट से रजिस्टर्ड थे उन्हें योग्य पाया गया और नियुक्ति की गई। उसकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं।
१२. श्री जगदीश	चपरासी	१७–१२–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
१३. श्री डूबाराम	चपरासी	२८–१२–५६	,,	—	ये पद विज्ञपित भी किये गये थे।
१४. श्री देवाराम	,,	२–१–६०	,,	—	
१५. श्री जगदीश	,,	६–२–६०	,,	—	
१६. श्री गजराजसिंह	चपरासी	८–५–५८	,,	—	
१७. श्री नाथूराम	अर्दली	२–५–५६	,,	—	
१८ श्री गौतम	,,	८–११–५६	,,	२–११–५८	
१६. श्री रामनारायण	खल्लासी	१–६०	,,	—	
२०. श्री रामनिवास मुंदडा	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	७–६–५६	,,	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
२१.	श्री गम्भीरसिंह	अर्दली	२३–८–५८	,,	—	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज की आपत्ति या सेवायें तारीख ५–१–५६ को समाप्त की गईं।
२२.	श्री प्रहलादकुमार	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	८–९–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
२३.	श्री ओमप्रकाश	,,	३०–६–५८	,,	—	
२४.	श्री कंवरलाल	चपरासी	१–९–५८	,,	—	
२५.	श्री महमूदअली	,,	७–८–५८	,,	—	
२६.	श्री सुमनचन्द	,,	१–७–५६	,,	—	
२७.	श्री जीवण खां	चपरासी	३–७–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
२८.	श्री मोहम्मद रफ़ी	,,	१–१०–५९	—	—	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से रजिस्टर्ड थे।
२९.	श्री ग्यारसीलाल	,,	१७–८–५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	१–५–५६	यह पद विज्ञपित भी किया गया।
३०	श्री मोहनलाल	अर्दली	१३–११–५८	,,	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
३१.	श्री मंगला	चपरासी	७-८-५८	,,	—	
३२.	श्री घोंकलसिंह	अर्दली	७-२-५६	,,	—	
३३.	श्री हैदरराम	चपरासी	१७-५-५८	,,	—	
३४.	श्री भंवरसिंह	,,	२६-८-५६	,,	—	
३५.	श्री प्राणदत्त	,,	१-१०-५६	,,	—	
३६.	श्री सुखदेव	,,	१-३-५६	,,	—	
३७.	श्री इमाउद्दीद	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	१-६-५८	—	—	यह मामला बाद में नियमित कराया गया तथा अब अबये छोड़ कर जा चुके है।
३८.	श्री त्रिभुवननाथ	,,	५-१२-५८	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
३९.	श्री बोदूराम	अर्दली	१-८-५६	,,	—	
४०.	श्री भंवरलाल	चपरासी	२१-२-६०	,,	—	
४१.	श्री दीपसिंह	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	२८-८-५८	,,	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
४२.	श्री नन्दलाल	चपरासी	२३-१२-५६	,,	—	
४३.	श्री किशनदत्त पालीवाल	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	१८-७-५६	,,	—	
४४.	श्री गप्पूलाल बड़गोत्री	,,	२६-८-५६	,,	—	
४५.	श्री कन्हैयालाल सोनी	चपरासी	५-१-५६	,,	—	
४६.	श्री प्रकाशचन्द	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	२६-८-५८	,,	—	पदों को विज्ञपित किया गया था।
४७.	श्री बाबू खां	चपरासी	१६-८-५८	,,	—	
४८.	श्री चिमनाराम	अर्दली	२४-११-५८	,,	—	
४९.	श्री बृजलाल माली	अर्दली	२५-८-५६	,,	—	
५०.	श्री हीरालाल पोरवाल	कनिष्ट लिपिक टंकणकर्ता	१४-२-५८	,,	—	
५१.	श्री रामलाल	अर्दली	२३-१-६०	,,	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
५२,	श्री गुरुचरण दास	चपरासी	१४–५–५८	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से रजिस्टर्ड (नं० ५१८/५८)	—	
५३.	श्री गोविन्दराम	,,	१–५–५८	,,	—	
५४.	श्री कन्हैयालाल	,,	५–६–५८	,,	—	
५५.	श्री रामप्रसाद	,,	१–२–५८	,,	—	ये अब राज्यसेवा में नहीं हैं।
५६.	श्री हरिसिंह	,,	५–८–५८	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से रजिस्टर्ड नं० १७७६।५८	—	,, ,, ,,
५७.	श्री किशनलाल	,,	१–११–५८	–	—	,, ,, ,,
५८.	श्री कुन्दनलाल	,,	१–२–५९	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से रजिस्टर्ड नं० १६०।५८	—	,, ,, ,,
५९.	श्री मोहनसिंह	,,	१–५–५९	–	—	,, ,, ,,

१	२	३	४	५	६	७
६०.	श्री बद्रीलाल	,,	१-७-५६	–	—	ये अब राज्य-सेवा में नहीं हैं ।
६१.	श्री बनवारीदास	,,	७-७-५६	–	—	,, ,, ,,
६२.	श्री केशरामल	चपरासी	२२-७-५६	एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज	—	
६३.	श्री कुन्दनलाल	,,	५-६-५६	,,	—	
६४.	श्रीमती जमनाबाई	चपरासिन	१७-६-५६	,,	—	
६५.	श्री गोपाल	चपरासी	१५-११-५६	,,	—	
६६.	श्री रामेश्वरलाल	,,	१६-११-५६	,,	—	
६७.	श्री नरसी	,,	१५-११-५६	,,	—	
६८.	श्री बेरसिंह	,,	२४-१२-५६	,,	—	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ का उत्तर देखिये)

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक डी, २२२१। एफ. ७।६। एल. एस.जी. बी. ५७ दिनांक २४. ३. ५८ द्वारा १६५७-५८ में हैंड क्वा तथाटर्स व्हीलवेरोज हेतु जिन जिन नगरपालिकाओं को सहायता दी गई है उनकी सूची

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	स्वीकृत धन राशि
१.	शाहपुरा	३,०००
२.	नदवई	६००
३.	करनपुर	२,०००
४.	गंगाशहर	२,०००
५.	सीकर	२,०००
६.	बेंगू	५००
७.	फतेहपुर	३,५००
८.	लाखेरी	१,५००
९.	झालरापाटन	१,२००
१०.	रामगंज मन्डी	७५०
११.	गंगापुर (उदयपुर)	६००
१२.	चित्तौड़गढ़	१,८००
१३.	राजगढ (अलवर)	१,५००
१४.	बांसवाड़ा	४,५००
१५.	श्री गंगानगर	५,०००
१६.	कुचामन सिटी	१,५००

१	२	३
१७.	बीकानेर	२,०००
१८.	नाथद्वारा	१,५००
१९.	रतनगढ	५,०००
२०.	निवाई	१,५००
२१.	बारां	८,०००
२२.	सूरतगढ़	४,०००
२३.	सांभर	१,५००
२४.	बाड़ी	५००
२५.	सांगरिया	१,८००
२६.	उदयपुर	१३,५००
२७.	रायसिंहनगर	१,३००
२८.	जयपुर	२०,०००

———

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. ७ (१६) एल. एस. जी. । ५७ दिनांक
२३. १२. ५६ द्वारा १६५६-६० में हैन्ड् कार्टस तथा
व्हीलबेरोज हेतु दिये गये अनुदान की सूची

क्रम संख्या १	नगरपालिका का नाम २	स्वीकृत धन राशि ३
१.	केकड़ी	१,८००
२.	पुष्कर	२,६४०
३.	किशनगढ़	२,५००
४.	कोटपुतली	५००
५.	बान्दीकुई	१,०००
६.	रामगढ़	१,३००
७.	करोली	२,०००
८.	गंगापुर (सवाई माधोपुर)	१,५००
९.	टोंक	२,०००
१०.	मालपुरा	१,५००
११.	अलवर	१,६५५
१२.	राजगढ़ (अलवर)	५,०००
१३.	धौलपुर	१,५००
१४.	बीकानेर	१९,६१०
१५.	नापासर	३,०००
१६.	भीनासर	२५०
१७.	रतनगढ़	५,०००
१८.	सुजानगढ़	१,१५०
१९.	डूंगरगढ़	२,०००

१	२	३
२०.	राजलदेसर	१,०००
२१.	करणपुर	२,०००
२२.	हनुमानगढ़	७००
२३.	गजसिंहपुर	१,५००
२४.	सांगरिया	१,०००
२५.	नोहर	२,०००
२६.	मेड़ता	५,०००
२७.	मकराणा	१,०००
२८.	पाली	१,०००
२९.	बाड़ी	१,०००
३०.	बालोतरा	५००
३१.	जालोर	५,०००
३२.	सिरोही	५,०००
३३.	शिवगंज	५००
३४.	उदयपुर (सिटी कॉर्पोरेशन)	११,५००
३५.	राजसमन्द	७००
३६.	देवगढ़	५००
३७.	सलूम्बर	५००
३८.	डूंगरपुर (उदयपुर)	२,५००
३९.	प्रतापगढ़	३,०००
४०.	निम्बाहेड़ा	१,२५०
४१.	छोटी सादड़ी	१,५००
४२.	भीलवाडा	१०,०००

१	२	३
४३.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	१,५००
४४.	बांसवाड़ा	२,५००
४५.	कोटा	१५,०००
४६.	नैनवा	८७५
४७.	फलोदी	१,०००
४८.	मुकुन्दगढ़	७००
४९.	पाली	६००

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६२ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि:–पत्र संख्या १४६६, दिनांक २४.६.५८–ओर से : जिला स्तर पंचायत अधिकारी, पाली (राजस्थान)–श्री संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत), राजस्थान, जयपुर के प्रति।

विषय:–पत्र शिकायत उप–सरपंच व सरपंच, पंचायत घानेराव, तहसील, देसूरी।

महोदय,

मैंने पंचायत घानेराव की जांच की वक्त निरीक्षक काफी शिकायती पत्र उप–सरपंच श्री अगरचंदजी जैन के विरूद्ध लेकर आये। शिकायती पत्रों के अनुसार जांच की, शिकायतें सही मिली। हिसाबात में पंचायत भवन निर्माण का हिसाब, लाइब्रेरी निर्माण का हिसाब, चिल्ड्रन पार्क का निर्माण का हिसाब, स्कूल जो अब तक अधूरा है के हिसाबात पंचायत में नहीं पाये गये। समस्त कार्य मनमपाने तरीके पर बिना कोरम के पास किये, हो रहे है। बिना मंजूरी पंचायत की रकम खर्च की जाती है। स्टॉक रजिस्टर पंचायत में नहीं है। पंचायत में क्या क्या सामान है, पता नहीं चलता कि ऑडिट रिपोर्ट जो बदरे निकाली उनकी पूर्ति अब तक नहीं की गई, ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट दर्ज है कि ४०७० रु० जो बिना स्वीकृत्ति खर्च किये गये काबिल वसूली सरपंच ठहरते हैं। यह रकम अब कत पंचायत कोष में जमा नहीं हुई है।

निर्धारित रकम से अधिक हजारों रु० की रकम श्री अगरचंद, उप–सरपंच ने अपने पास रखी है। जो अवैधानिक है।

दरख्वास्त श्री महबूब वल्द जमालखां पंचायत घानेराव पेश हुई कि मेरा चार माह का वेतन १४० रु० भर पाई करा कर. अब तक श्री अगरचन्द, उप–सरपंचजी ने नहीं चुकाया। श्री महबूब गरीब, पंचायत का पुराना चपरासी है, पंचायत से रकम बरामद कर महबूब को न चुकाना और वसूल पाई के हस्ताक्षर करा कर अपने पास रख लेना भारी अपराध में आता है। यही हाल श्री रूपदास जो पंचायत हाजा में पानी पिलाने का कार्य करता है, उसकी शिकायत है कि हस्ताक्षर वसूल पाई करा कर उप–सरपंचजी ने वेतन नहीं चुकाया।

श्री पीता वल्द नेमा कौम भांभी ने अपने बयान में जाहिर किया है कि मैंने और मेरी पत्नी ने चिल्ड्रन पार्क में ७३) रु०, २ आने की मजदूरी की ; श्री अगरचन्द, उप–सरपंच ने इस मजदूरी के रुपयों के पेटे १०) रु० का अनाज सहकारी समिति, घानेराव से दिलवाया, शेष रकम ६३) रु०, २ आना श्री उप–सरपंच ने अब तक नहीं दिये, और न देना ही चाहते हैं। इसी तरह मुक्की को पार्क में काम करने की मजदूरी के ८) रु० तथा मंगली, कौम भांभी को २||) रु० मजदूरी के नहीं चुकाये।

मुलाहिजा हो रसीद नं० ३६६ की पंचायत को श्री चेराज, सांवतराज ने ता० ३-१०-६० को १०१) रु० सहायता हेतु चिल्ड्रन पार्क में झूला हेतु दी। यह रकम ३-१०-५८ को पंचायत में आई, पर अब तक झूला नहीं बना।

श्री अमरा धोबी, श्री जसवंतसिंह व श्री मोती नाई ने भी बताया कि क्रमशः ७५) रु० ३६) रु० व ८०) रु० मजदूरी के उप-सरपंच ने अब तक नहीं चुकाये।

उप-सरपंच श्री अगरचंद जैन ने सेविंग सर्टिफिकेट (२५,०००) के सम्बन्ध में गलत तस्दीक की और इस सम्बन्ध में डबल उजरत से नकल मांगने पर भी नकल नहीं दी गई।

मुलाहिजा हो मिसल नं० ४५६ मरजूआ १-४-५६ फैसला ता० ३-११-५७ मय आदेश तहसील पंचायत, देसूरी, तहसील पंचायत में श्री भभूतमल को ११) रु० जुर्माना माफ कर ११) रु० वापिस करने का आदेश दिया है। श्री भभूतमल द्वारा पंचायत में बार बार प्रार्थना पत्र द्वारा ११) रु० वापिस चाहने पर भी पंचायत घानेराव से अब तक नहीं लौटाये गये। जानबूझ कर तहसील पंचायत के आदेश की अवहेलना की और की जा रही है।

मुलाहिजा हो मिसल दायर सं० ६७३।५६ व मुकदमे पंचायत बनाम श्रीगिरधारी सुथार। मिसल दायर सं० ता० २७-५७ पंचायत बनाम गिरधारी मिसल नं० ६५-५६ श्री मलूकचंद नाई बनाम श्री गिरधारी वगैरह। इन मिसलों में बार बार तहसील पंचायत के आदेश देने पर भी पंचायत हाजा, हुकम तहसील पंचायत की तामील नहीं कर रही है।

श्री अगरचंद, उप-सरपंच पंचायत घानेराव में अवैधानिक तरीके पर बिना कोरम के पट्टा सीगे की ८२ मिसले एक ही दिन में फैसल की। मुलाहिजा हो सम्बन्धित मिसलें तथा रजिस्टर बैठक कार्यवाही पृष्ठ ४१, बैठक नं० ३६ ता० २३-११-५८ कार्यवाही रजिस्टर बैठक इसी ता० पर मोहर सरपंच, पंचायत घानेराव लगी हुई है, पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। इसी बैठक के खाना नं० ३ में ८ पंचों के नाम दर्ज हैं। पर, उपस्थित कार्यवाही बैठक में केवल चार पंचों के हस्ताक्षर हैं।

पंचायत हाजा की एक पानड़ी (बही) देखी गई। जमा खर्च ता० २५-४-५६ का है, ९००) रु० जमा में बंधा है जिसमें ४००) रु० श्री निहालचंद पोरवाल तथा ५००) रु० अगरचंद धनराज के कुल ९००) रु० सहायता के जमा हैं। उप-सरपंच श्री अगरचंद ने नामे मांड कर स्वयं ने उठाये हैं, जिस पर श्री अगरचंद, उप-सरपंच के हस्ताक्षर हैं। रसीद बुक में भी नायब, सरपंच श्री अगरचंद के हस्ताक्षर हैं। रसीदें तीनों कटी हुई हैं। ताज्जुब है कि यह रकम पंचायत हाजा की रोकड़ में जमा खर्च नहीं आई है। पानड़ी व रसीद बुक वक्त ऑडिट पार्टी को भी नहीं बताई गई। मुलाहिजा हो पानड़ी व रसीद बुक।

श्री लक्ष्मणसिंह, श्री लच्छा दुर्गाजो, श्री गुलाबखां, श्री नूरबेग, श्री नेमाकुमार व

श्री कादरखां के प्रार्थना–पत्र पेश हुये हैं, कि हमने स्कूल निर्माण में मजदूरी की व कीमतन पत्थर डाले हैं। श्री लक्ष्मणसिंह ने २५–३० रु०, श्री लच्छा दुर्गाजी ने २२०) रु०, गुलाबखां ने २८०) रु० ३ आने नुर बेग ने २७) रु०, १० आने, नामे मुकार ने एक दिन में १२–१३ चक्कर के ८ आना चक्कर के हिसाब से १५ दिन की मजदूरी और कादरखां ने ८५) रु० अपनी मजदूरी व ढ़लाई पत्थर पंचायत में बाकी बताये हैं, और जाहिर किया है कि अगरचंद, उप–सरपंच ने हमसे रसीदें प्राप्त करलीं, और रकम का चुकारा अभी तक नहीं किया।

असल संपूर्ण कागज पेश कर अर्ज है कि यह सारा काम मनमाने तरीके व अवैधानिक तौर पर किया गया है। सरपंच, उप–सरपंच पंचायत का अपना कार्य करने में असमर्थ रहे हैं। उक्त सब बातों को देखते हुए यह सब १७ (४) की तारीफ में आता है। अतः समस्त कागजात मुलाहिजा फरमा कर राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) की कार्यवाही फरमाया जाकर श्री सरपंच, उप–सरपंच को अपने पद से अलहदा फरमावें।

पत्र आज्ञार्थ सेवामें पेश हो।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE VILLAGEWISE, CLASS WISE AREA AND DEMAND OF THE 71 VILLAGES OF BHAKRA PROJECT

Sl. N.	Name of District.	Name of Villages.	Assessable Area for Betterment Levy (Bigha).	Class of Land.	Rates of Betterment Levy as proposed in (Acres). Lumpsum. Non-perennial	Perennial.	Instalment.	Amount of Levy Lumpsum.	Instalment.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 VILLAGES OF UTRADHA AND 4 VILLAGES OF DHIKANADHA CIRCLE:—										
TEHSIL-GANGANAGAR.										
1.	Ganganagar	Banwali	6824	Barani	128/-	208/-	264/-	8,87,172.00	11,26,026.00	
2.	,,	Budhrawali	4917	,,	,,	,,	,,	6,39,223.00	8,11,321.50	

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ganganagar	Chak-Bhagsar	1029	Barani	128/-	208/-	264/-	1,33,763.00	1,69,801.50
4.	,,	Bhagsar	5878	,,	,,	,,	,,	7,38,127.00	9,36,853.50
5.	,,	Chak-Dularasar	—	,,	,,	,,	,,	2,07,109.50	2,52,869.75
6.	,,	Chak-Fateh Singh wala	—	,,	,,	,,	,,	2,03,476.00	2,58,258.00
7.	,,	Chak Kikarwali	182	,,	,,	,,	,,	23,653.50	23,021.75
8.	,,	Daliawali	5413	,,	,,	,,	,,	7,03,677.00	3,93,120.50
9.	,,	Dulrasar	2331	,,	,,	,,	,,	3,03,075.50	3,84,672.75
10.	,,	Dualkichar	2329	,,	,,	,,	,,	3,02,757.00	8,84,268.50
11.	,,	Fateh Singhwala	—	,,	,,	,,	,,	3,70,188.00	4,69,854.00
12.	,,	Haakimabad.	—	,,	,,	,,	,,	9,39,601.00	11,52,570.50
13.	,,	Lalgarh.	—	,,	,,	,,	,,	35,70,385.00	45,31,642.50
14.	,,	Sham Singh-wala.	1241	,,	,,	,,	,,	1,61,297.50	2,04,723.75

Page No.138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Ganganagar.	Jomiat-Singh-wala.	2908	Barani	128/-	208/-	264/-	6,77,988.00	4,79,754.00
16.	,,	Chak-Korra.	1307	,,	,,	,,	,,	1,69,916 50	2,15,663.25
17.	,,	Mamar Khera.	3793	,,	,,	,,	,,	4,53,031.50	6,25,770.75
18.	,,	Panniwali	—	,,	,,	,,	,,	6,84,021.00	8,68,180.50
19.	,,	Rotanwali.	644	,,	,,	,,	,,	23,733.00	1,06,276.50
20.	,,	Sardarpura.	4066	,,	,,	,,	,,	5,28,586.50	9,70,998.25
21.	,,	Dungar Singh Pura.	5343	,,	,,	,,	,,	6,94,648.50	8,81,669.25
22.	,,	Ganeshgarh.	5324	,,	,,	,,	,,	6,92,113.50	8,78,451 75
23.	,,	Jogiwala.	2160	,,	,,	,,	,,	2,80,754.50	3,56,342.25
24.	,,	Takhranwali.	3522	,,	,,	,,	,,	4,57,673.00	5,31,146.50
2	ASSESSMENT CIRCLE I (TEHSIL HANUMANGARH)								
25.	Ganganagar	Amarpura Jalu.	4928	,,	,,	,,	,,	6,40,633.50	8,13,111.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Ganganagar	Amargarh.	4110	Barani	128/-	208/-	264/-	5,34,287.00	6,72,133.50
27.	,,	Indarpura	3832	,,	,,	,,	,,	4,98,147.00	6,32,263.50
28.	,,	Indargarh.	5400	,,	,,	,,	,,	7,01,967.50	8,90,958.75
29.	,,	Kheruwala.	5232	,,	,,	,,	,,	9,85,920.00	12,51,260.00
30.	,,	Buglanwali.	3364	,,	,,	,,	,,	4,37,352.50	5,55,101.25
31.	,,	Bolanwali.	11478	,,	,,	,,	,,	14,92,146.50	18,53,878.25
32.	,,	Bhagatpura.	4159	,,	,,	,,	,,	5,40,637.50	5,80,577.25
33.	,,	Pratapnagar.	2430	,,	,,	,,	,,	3,15,952.00	4,01,016.00
34.	,,	Jandwala-Sikhan.	6000	,,	,,	,,	,,	7,80,052.00	9,90,066.00
35.	,,	Deengarh.	3730	,,	,,	,,	,,	4,84,895.00	6,15,367.50
36.	,,	Rampura Mahla.	8697	,,	,,	,,	,,	11,23,662.00	14,35,071.00
37.	,,	Gadhar Khera.	4738	,,	,,	,,	,,	6,15,894.50	7,81,812.25
38.	,,	Kakarwala.	7584	,,	,,	,,	,,	6,80,218.50	8,63,354.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	Ganganagar	Morjand-Khari.	8303	Barani	128/-	208/-	264/-	10,79,435.50	13,70,052.75
40.	,,	Sangaria.	—	,,	,,	,,	,,	—	—
41.	,,	Singhpura.	4829	,,	,,	,,	,,	6,27,731.00	7,96,735.50
42.	,,	Santpura.	3691	,,	,,	,,	,,	4,79,875.50	6,09,072.75
43.	,,	Sundarpura.	3731	,,	,,	,,	,,	4,85,036.50	9,15,523.25
44.	,,	Shahpini.	4682	,,	,,	,,	,,	6,08,666.50	7,72,533.25
45.	,,	Bhakranwali.	4611	,,	,,	,,	,,	5,99,488.50	7,60,889.25
46.	,,	Alipura.	3690	,,	,,	,,	,,	5,99,726.00	6,08,883.00
47.	,,	Kishanpura-Utradha.	6411	,,	,,	,,	,,	8,33,462.50	10,57,836.25
48.	,,	Morjand-Sikhan.	4150	,,	,,	,,	,,	5,39,441.50	6,84,675.75
49.	,,	Naraingarh.	4495	,,	,,	,,	,,	5,34,285.00	7,41,592.50
50.	,,	Nukera.	11052	,,	,,	,,	,,	14,36,812.00	18,23,646.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Gangangar	Nurpura.	6072	Barani	128/-	208/-	264/-	7,89,347.00	10,01,863.50
52.	,,	Haripura.	7128	,,	,,	,,	,,	9,26,653.00	11,76,136.50
53.	,,	Hathianwala.	1672	,,	,,	,,	,,	2,17,366.50	2,75,888.25
54.	,,	Hari Singh wala.	3519	,,	,,	,,	,,	4,57,424.50	8,80,577.25
55.	,,	Patili.	3541	,,	,,	,,	,,	4,60,234.50	3,34,206.25
56.	,,	Pratappura.	4692	,,	,,	,,	,,	6,10,205.50	7,74,237.75
57.	,,	Takhathzara.	3471	,,	,,	,,	,,	4,51,178.00	5,72,649.00
58.	,,	Matili Saran.	3485	,,	,,	,,	,,	4,15,753.00	5,27,686.50
59.	,,	Chak Bhola.	2623	,,	,,	,,	,,	3,41,048.50	4,32,685.25
60.	,,	Sohan wala.	1999	,,	,,	,,	,,	2,59,858.00	3,29,818.50
61.	,,	Khatsajwar.	6438	,,	,,	,,	,,	8,36,914.00	10,62,237.00
62.	,,	Chamar-Khera.	5125	,,	,,	,,	,,	6,36,302.00	8,45,691.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	Ganganagar	Maniwali.	13358	Barani	128/-	208/-	264/-	17,36,592.00	22,04,139.00
64.	,,	Lanbidhat.	2339	,,	,,	,,	,,	3,00,118.00	3,90,319.00
65.	,,	Dhaklan.	—	,,	,,	,,	,,	23,03,381.50	30,50,445.75
66.	,,	Dholnagar.	—	,,	,,	,,	,,	4,33,881.50	5,50,695.75
67.	,,	Rasuwala.	6888	,,	,,	,,	,,	8,95,445.50	11,36,528.25
68.	,,	Dhintanian.	3909	,,	,,	,,	,,	5,08,118.00	6,44,919.00
69.	,,	Nathwala.	6268	,,	,,	,,	,,	8,14,853.00	10,34,236.50
70.	,,	Matili Kichran.	3246	,,	,,	,,	,,	4,21,834.50	5,35,532.25

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७४ का उत्तर देखिये)

THE LIST OF NEWS PAPERS APPROVED FOR RELEASE OF GOVERNMENT ADVERTISEMENTS

Sl.N.	Name of paper.			Place	Approved rate
			AJMER DIVISION (JAIPUR DISTRICT)		
1.	Lokvani	Daily	Hindi	Jaipur	7.00
2.	Rastradoot	,,	,,	,,	7.00
3.	Navyug	,,	,,	,,	7.00
4.	Rajasthan Patrika.	,,	,,	,,	5.00
5.	Amar Jyoti	Weekly	,,	,,	7.00
6.	Mashal	,,	,,	,,	5.00

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6
7.	Adhikar	Weekly	Hindi	Jaipur	5.00
8.	Congress Sandesh	,,	,,	,,	5.00
9.	Rajasthan Herald	,,	,,	,,	3.00
10.	Nav Jeewan Sandesh	,,	,,	,,	5.00
11.	Ayojan	,,	,,	,,	5.00
12.	Jwala	,,	,,	,,	5.00
13.	Lok Jeewan	,,	,,	,,	3.00
14.	Rajasthan Times	,,	English	,,	Not yet decided
15.	Rajasthan Chronical	,,	,,	,,	3.50
16.	Rajasthan Affair	Fort nightly	Hindi	,,	Not yet decided
17.	Rajasthan Samachar	Daily	,,	,,	do
18.	Vikas Kiran	For nightly	,,	,,	Rs.200/-P.2.75 & Page,
19.	Jai-Bhoomi	Daily	,,	,,	3.00
20.	Lohar	Monthly	,,	,,	Rs: 100/-Per page.

1	2	3	4	5	6
		AJMER DIVISION			
1.	Navjyoti	Daily	Hindi	Ajmer	3.50
2.	Hindvasi	,,	Sindhi	,,	3.00
3.	Jwala	,,	Hindi	,,	3.00
4.	Hindi	,,	,,	,,	3.00
5.	Meera	Weekly	,,	,,	3.00
6.	Darbar	Daily	,,	,,	3.00
7.	Azad	Weekly	,,	,,	3.00
8.	Janmat	,,	,,	,,	3.00
9.	Hindustan	,,	Sindhi	,,	3.00
10.	Nav Bharat	,,	,,	,,	3.00
11.	Janata	,,	,,	,,	3.00
12.	Rastravani	,,	Hindi	,,	3.00

1	2	3	4	5	6
			DISTRICT ALWAR		
1.	Swatatra Bharat	Weekly	Hindi	Alwar	2.25 ceased
2.	Rajasthan times	Daily	,,	,,	2.50
		BHARATPUR-SAWAI MADHOPUR DISTRICT			
1.	Navyug Sandesh	Weekly	Hindi	Bharatpur	3.00
2.	Aawaz	,,	,,	,,	3.00
3,	Gramvani	,,	,,	Hindaun	3.00
4.	Kranti	,,	,,	,,	2.00
5.	Lalima	F. Night	,,	Bharatpur	3.00
			SIKAR DISTRICT		
1.	Praja Bandhu	Weekly	Hindi	Sikar	1.50
			KOTA DIVISION		
KOTA DISTRICT					
1.	Kishan Sandesh	Weekly	Hindi	Kota	3.00

1	2	3	4	5	6
2.	Dharati Ke Lal	Weekly	Hindi	Kota	2.00
3.	Janvani	,,	,,	,,	5.00
4.	Janata Ki Aawaz	,,	,,	,,	2.75
5.	Swadesh	,,	,,	,,	5.00
		BUNDI DISTT.			
1.	Rajasthan	,,	,,	Bundi	5.00
		JODHPUR DIVISION			
1.	Praja Sewak	Weekly	Hindi	Jodhpur	5.00
2.	Lokraj	,,	,,	,,	2.00
3.	Lalkar	,,	,,	,,	5.00
4.	Marwar Times	Daily	,,	,,	4.00
5.	Marwar Sandesh	Weekly	,,	Sheoganj	2.50
6.	Vivak	,,	,,	Jodhpur	2.75

1	2	3	4	5	6
7.	Prerana	Weekly	Hindi	Jodhpur	100/-P. Page
8.	Rail Doot	F. Nightly	"	"	Not yet decided.
0.	Hindu Sandesh	Weekly	"	"	3.50
			BIKANER DIVISION		
1.	Senani	Weekly	Hindi	Bikaner	4.75
2.	Gan Rajya	"	"	"	3.00
3.	Varatman	"	"	"	3.00
4.	Lokmat	"	"	"	4.00
5.	Seana Sandesh	"	"	Ganganagar	3.00
6.	Ahuti	"	"	"	2.37
7.	Karamchari Sandesh	"	"	Bikaner	2.75
8.	Olma	F. Nightly	"	Ratangarh	3.00
9.	Seema Sandesh	Weekly	"	Ganganagar	2.00

1	2	3	4	5	6
		UDAIPUR DIVISION			
1.	Navjeewan	Weekly	Hindi	Udaipur	5.00 Ord. 7 00 Spl.
2.	Aravali	,,	,,	,,	5.00
3.	15th August	,,	,,	,,	5.00
4.	Kolahal	,,	,,	,,	3.00
5.	Pragati	,,	,,	,,	3.00
6.	Pratap	,,	,,	,,	3.00
7.	Rajasthan	,,	,,	,,	2.37
8.	Lok Jeewan	,,	,,	Bhilwara	3.00
9.	Lalkar	,,	,,	Chittorgarh	3.87
10.	Vishal Rajasthan	,,	,,	Calcutta	5.00
11.	Rajasthan	F. Nightly	,,	,,	Not yet decided.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार दिनांक ३१ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५६७५	शीर्ष	(श्री रा नरायण वर्मा)	श्री रामनारायण वर्मा
५६८५	१८	श्री जनादनराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
५६८७	६	४० रु० माहव	४० रु० माहवार
,,	२२	शत्यद अपने	शायद आपने
५६८८	६	श्री भैरोंसहिं	श्री भैरोंसिंह
५६९४	अन्तिम	(श्री मापुर)	(श्री माधोपुर)
५६९७	अन्तिम से ५	कलेक्ट किया है	कलेक्ट किया है
५७०७	,, ,, ३	श्र अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
५७२३	५–६	परिवत्तित कर	परिवर्तित कर
,,	२२	पास । किया	पास किया ।
५७२८	अन्तिम	जाती ह,	जाती हैं,
५७४७	४	तो ते गलत	तो वे गलत
५७४७	अन्तिम से २	मेग्ज़िमन रखा	मेग्ज़िमम रखा
५७४९	,, ,, ४	देते हैं,	देखते हैं
५७५५	अन्तिम से २	पैसे वे	पैसे, वे·
५७५६	,, ,, ३	introduceMe etric	introduce Metric
५७५८	३	से आवनोले	से आने वाले
,,	२८	हैं का	है उनका
५७७५	२४	विधेमक का	विधेयक का
५७७६	१२	विधेमक का	विधेयक का
५७८०	१०	(...मंत्री)	(आबकारी मंत्री)
५७८१	२५	वह थी कि	यह थी कि
५७८३	२३	होता, है	होता है,
५७८४	१५	आए ।	आए ।
,,	२४	करता का	करने का
५७८८	६	सूचन न-।पत्रों	सूचना-पत्रों
५७९१	शीर्ष	निकय कर	विक्रय कर
,,	२८–२९	पर एक कोमोडिटीज़	पर कोमोडिटीज़
५७९३	१०	गेज किया	एंगेज किया
५७९७	शीर्ष	विक्रय कर	विक्रय कर
,,	१२	जाना चाहिये)	जाना चाहिये ?
५७९९	५–६	इस आप कि पढ़	इसलिए कि आप पढ़
५८००	१७	को घी	को थी

(२)

१	२	३	४
५८०७	२	than you	then you
५८१५ से ५८२६	शीर्ष	विक्रीय कर	विक्रय कर
५८१५	४-५	ओथोरिटी	ऑथोरिटी
,,	७	अमाउन्ट रखें	अकाउन्ट रखें
५८१७	२०	एक तरप	एक तरफ
,,	२६	ऑथारिटी	ऑथोरिटी
,,	३०	एग्ज़ेम्पशन	एग्ज़ेम्पशन
५८२३	१८-१६	hall be	shall be
,,	अन्तिमसे२-१	Valable	valuable
५८२४	२०	the territotory	the territory
५८२५	२	कॉन्टियुशन	कॉन्स्टिट्युशन
,,	२७	plscribed	prescribed
५८२८	१४	का एग्ज़म्यूशन	का एग्ज़ेम्पशन
५८२६	३०	ओर %	और १ %
५८३४	शीर्ष	(संशधोन)	(संशोधन)
५८३७-३८	,,	-३१ माच	-३१ मार्च
५८४७	७	सोने वह	वह सोने
,,	अन्तिमसे३-२	यह समिति में ने वाला	यह समिति में भेजने वाला
५८५१	५	टैकस के	टैक्स के
५८५३	शीर्ष	(श्री चन्दनमम वैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
५८६०	शीर्ष	(र्संशोधन)	(संशोधन)
५८६५	२७	etains the	retains the
५८६७-६८	शीर्ष	-३१ मार्च, ६६—	-३१ मार्च, ६०-
५८६७	,,	-३१ मा, ६०—	,, ,,
५६१०	सीरियल ३१ कॉलम २	श्री इमाउद्दीद	श्री इमाउद्दीन
५६२८	सीरियल ६३ कॉलम १०	22, 04 139.00	22,04,136.00
५६३४	सीरियल ७ कॉलम ३	weekly	monthly